C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No. 14, Friday, August 19, 2011/Sravana 28, 1933 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 261 to 264	2-29
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 265 to 280	30-74
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	75-507

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 508-516

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
ADDRESS AS PASSED BY RAJYA SABHA 517

STATEMENTS BY MINISTER 518-520

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Energy on "Renewable Energy on Rural Applications", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 518

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Energy on "Funding of New and Renewable Energy Projects", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy 519

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Energy on "Small and Mini Hydel Project", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy

Dr. Farooq Abdullah 520

BUSINESS OF THE HOUSE 521-524

MOTION RE: JOINT COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING OF TELECOM LICENCES AND SPECTRUM 525

NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENTE) BILL, 2010	544-609
Motion to Consider	546
Shri Kapil Sibal	546-549 590-601
Shri Janardhana Swamy	550-553
Shri Bhakta Charan Das	554-557
Shri Shailendra Kumar	558-560
Shri Dhananjay Singh	561-563
Shri Kaushalendra Kumar	564-565
Shri P.K. Biju	566-568
Shri Bhartruhari Mahtab	569-572
Dr. M. Thambidurai	573-576
Shrimati J. Helen Davidson	577-578
Shri Prabodh Panda	579-580
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	581-584
Shri Arjun Ram Meghwal	585-587
Shri Prem Das Rai	588-589
Clauses 2 to 17 and 1	602-609
Motion to Pass	609
CUSTOMS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2010	610-611
Motion to Consider	610
Pranab Mukherjee	
MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	612-620

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) **COMMISSION FOR IMPARTING SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICAL SCIENCES EDUCATION IN INDIAN LANGUAGES BILL, 2011** 613

By Shri Hansraj G. Ahir

(ii) **COW PROTECTION AUTHORITY BILL, 2011** 613-614

By Shri Hansraj G. Ahir

(iii) **CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011 (AMENDMENT OF SCHEDULE)** 615

By Shri Hansraj G. Ahir

(iv) **GUTKA AND PAN MASALA (PROHIBITION) BILL, 2011** 615

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki

(v) **CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 (AMENDMENT OF ARTICLE 72)** 616

By Dr. Kirit Premjibhai Solanki

(vi) **COMPULSORY MILITARY TRAINING BILL, 2011** 616

By Shri Adhir Chowdhury

(vii) **NATIONALISATION OF INTER-STATE RIVERS BILL, 2011** 617

By Shri Adhir Chowdhury

(viii) **SPECIAL EDUCATIONAL FACILITIES (FOR CHILDREN OF PARENTS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2011** 617

By Shri Arjun Ram Meghwal

(ix) **UNIVERSITY OF PATNA BILL, 2011** 618

By Dr. Bhola Singh

(x) **GOVERNMENT SERVICES (REGULATION OF COMPASSIONATE APPOINTMENTS) BILL, 2011** 618

By Shri A.T. Nana Patil

(xi)	**TELEVISION PROGRAMMES (REGULATION) BILL, 2011**	619
	By Shri A.T. Nana Patil	
(xii)	**CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011 (INSERTION OF NEW ARTICLE 16A ETC.)**	619
	By Shri P.L. Punia	
(xiii)	**SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (RESERVATION IN POSTS AND SERVICES) BILL, 2011**	620
	By Shri Arjun Ram Meghwal	

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2009 621-665
(Insertion of new article 275A and 371J)

Shri Arjun Roy	621-625
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	626-631
Shri Mangani Lal Mandal	632-636
Shri Jagdanand Singh	637-641
Shri Mahabali Singh	642-644
Shri Bhudeo Choudhary	645-647
Dr. Monazir Hassan	648-650
Choudhary Lal Singh	651
Shri Namo Narain Meena	652-660 664-665
Prof. Ranjan Prasad Yadav	661-663
Bill Withdrawn	

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010 666-667
(Amendment of the Eighth Schedule)

Shri Satpal Maharaj 666-667

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 668

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 669

Member-wise Index to Unstarred Questions 670-674

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 675

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 676

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 19, 2011/Sravana 28, 1933 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q. No. 261)

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : Madam Speaker, I am happy to say that APDRP Accelerated Power Development and Reforms Programme 2002-2012 has seen an increase of around 22,000 Megawatts during the last five years. And during the next five years, a capacity addition of over 78,000 Megawatts has to be set up by 2012. If the GDP growth rate of India needs to grow at 8 per cent plus per annum, the power sector needs to grow by at least 1.8 to 2 times. To achieve this, we need to attract 250 U.S. billion dollars investment in the power sector. We need reliable and quality power on 24X7 basis at least in urban and industrial areas and also uninterrupted power supply to the irrigation projects and in villages. I want to ask the hon. Minister through you whether the Government is focussing on proper implementation of power sector reforms as required above because the outcomes are more important than outlays to realize the dream of power for all by 2012.

SHRI K.C. VENUGOPAL: We are taking various initiatives, bringing reforms in the power distribution and transmission system, even though there is no direct link between the power reforms activities and the generation projects. I would like to inform hon. Member, through you, that so far in the Eleventh Plan Period, we have achieved a capacity addition of 40,781 Megawatts which is double the capacity addition during the Tenth Plan. There are about 75,000 Megawatt capacity ongoing projects which will be expected to be commissioned in the Twelfth Plan itself.

We know that the State utilities are facing so much financial difficulties for doing so many activities in the reform sector. We have started APDRP in the Tenth Plan. Already in the scheme more than Rs. 17,000 crore was sanctioned covering 574 towns in the country. With the implementation of APDRP programme, we could bring down AT&C loss below 20 per cent in 15 towns, between 15 and 20 per cent in 52 towns and less than 15 per cent in 163 towns.

Further in the Eleventh Plan, we have launched RAPDRP giving thrust to IT enabled system to establish baseline data and use of proper accounting of energy. The total

outlay of RAPDRP scheme is Rs. 51,577 crore which is being implemented in two parts – Part A and Part B. Under Part A, Rs. 5176.99 crore have been sanctioned for establishment of IT based system covering 1401 eligible towns. Under Part B which is for strengthening and upgradation of the distribution network, Rs. 19,367.43 crore have been sanctioned for 907 eligible towns. Presently, the activities mainly related to establishment of IT based system under Part A are progressing in different States and the work under Part B will be taken once baseline data is established. I am sure that with these reform activities along with the capacity addition, we will have a positive impact in power sector.

SHRI RAYAPATI SAMBASIVA RAO : Madam, regarding the implementation of distribution sector reforms in Andhra Pradesh, can he please indicate the funds sanctioned under RAPDRP for Andhra Pradesh so far?

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, regarding implementation of RAPDRP in Andhra Pradesh, a total amount of Rs.1,562.21 crore has been sanctioned so far for Andhra Pradesh. Of this, under Part A for establishing IT enabled system and baseline data, Rs.388.81 crore has been sanctioned covering 113 eligible towns. Further, Rs.116.81 crore has been sanctioned for SCADA system for five major cities of Hyderabad, Warrangal, Guntur, Nellore and Vijayawada. For Visakhapatnam, a detailed project report prepared as per the guidelines of RAPDRP is yet to be submitted by the Implementation Agency.

Under Part B, Rs.1,056.59 crore has been sanctioned covering 42 eligible towns.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA : Madam, in the absence of natural resources like coal, gas and fossil fuels on the one hand and the transmission and distribution losses varying between 19 per cent and 23 per cent, I must say that the situation of power supply is deteriorating fast in the State of Punjab. When you look at the restructured APDRP programme in the case of Punjab, the sanctioned amount, Mr. Minister, in the year 2009-10 was Rs.511.8 crore, while the amount disbursed was only Rs.68.55 crore. For Part A of the APDRP, the amount sanctioned in the same year was Rs.272.85 crore while the actual disbursement was only Rs.81.85 crore. I fail to understand the reason behind such a low disbursal. My supplementary to the hon. Minister is, what efforts are being made by the

Ministry under the restructured APDRP programme to improve the present situation all over the country and particularly in Punjab? What is the reason for not disbursing the entire sanctioned amount of 2009-10 to the State of Punjab as yet?

SHRI K.C. VENUGOPAL: As far as Punjab is concerned, we have already sanctioned an amount of Rs.1,768.99 crore for RAPDRP project. As our hon. learned Member rightly pointed out, there is some gap between the sanctioned and released amount. That is because of the thing that we usually release the money. Initially the money was drawn by the Punjab State Electricity Board. Now the process of unbundling the Punjab State Electricity Board is already over. The Punjab State Electricity Board is converted as Punjab State Power Corporation Limited. There are certain formalities that should be completed and then only we can release the money. Therefore, we are waiting for the formalities to be completed. Once the formalities are completed, we will release the money accordingly.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, विद्युत क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। जो पिछड़े राज्य हैं, वहां बिजली की ज्यादा कमी है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसे भी काफी है। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां बिजली का आबंटन बहुत ही कम है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी काफी है, क्या ऐसे राज्यों के लिए अलग से सरकार ने कोई योजना बनाई है कि जहां बिजली की अत्यंत भारी कमी है और ढांचागत सुधार की जरूरत है, क्या आप वहां कोई राशि उन्हें दे रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): अध्यक्ष जी, जिन राज्यों में बिजली का अभाव है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बिजली निर्माण का काम ही नहीं हो रहा है। बिजली निर्माण कंक्रेंट लिस्ट में है अर्थात बिजली का निर्माण मूलतः स्टेट को करना है। गए दो-तीन फाइव ईयर्स प्लान में वहां बिजली निर्माण का काम ही नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सदन में कई बार यह सवाल उठा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के लिए हर गांव में बिजली देते हैं, लेकिन ट्रांसफोर्मर जल जाते हैं, यह बात भी सामने आई थी। जब तक बिहार में बिजली निर्माण का काम मजबूत नहीं होता है, तब तक यह नहीं हो पायेगा । लेकिन हम वहां सेंट्रल सेक्टर से भी बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा अनएलोकेटेड कोटा है, उससे भी बढ़ाकर बिजली दे रहे हैं। अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी समय चल रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। बाढ़ और कहलगांव एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट वहां आ रहे हैं, जो वहां के मंत्री जी के एरिया का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जब बन जाएंगे, तब वहां बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। इसीलिए हमने एपीडीआरपी स्कीम लगाई है ताकि चोरी नहीं हो। इसके लिए वायरिंग अच्छी कर दें, ट्रांसफोर्मर अच्छा बैठा दें।...(व्यवधान)

जो फिगर्स आये हैं वे मैंने पहले ही बता दिये हैं। ...(व्यवधान) चिट्ठी की जरूरत नहीं है, I know the situation of Bihar and I can explain fully about every project of mine. हमने वहां सूचना दे दी है और अभी जो राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें हमने बता दिया है कि जहां बिजली निर्माण का काम कम है वहां ये सब-स्टेशन्स सुधार दें, ट्रांसमीटर लाइन्स सुधार दें, पुरानी जो लाइन्स हैं उन्हें भी सुधार दें, तो वहां की सिचुएशन सुधर जाएगी।

SHRI P. KARUNAKARAN : Madam, in the answer given by the hon. Minister the steps taken by the Ministry to reduce consumption and distribution losses have already been stated. In many of our villages, especially in the interior areas, the common people are using all types of lamps which really increase the consumption instead of CFL lamps which consume less power. The hon. Minister is well aware that in Kerala there has been a very wide campaign to replace the ordinary lamps with the CFL lamps so that we can reduce energy consumption. Will the Central Government take steps to give wide publicity to this and also give some incentive in the form of distributing CFL lamps free of cost which would result in energy saving in the country?

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, we are taking this very serious issue of replacement of ordinary lamps with CFL lamps. As the hon. Member has rightly pointed out, in Kerala this job has been atempt and not only in Kerala but in the entire country we are focusing on this scheme. The Bureau of Energy Efficiency under the Power Ministry is already on the job to implement this all over the country.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Madam, is the Government aware of the fact that certain States, particularly Odisha, have been continuously deprived of benefits under the Accelerated Power Development Reform Programme (APDRP) which started since Tenth Plan, and the consumers of Odisha have been penalized to avail better quality of service and lower tariff because of private discoms? When restructured APDRP guideline issued on 19th September 2008 provides consideration of participation of the private utilities after a period of two years from the issue of sanction order, should Government favourably take a decision in providing funds to Odisha? That is the assurance which the Minister had given to the Chief Minister of Odisha on July, 2010. Already two years have passed. I would like to get a response on that from the Government.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Initially the project was envisaged without private participants. As the hon. Member has rightly pointed out, the hon. Minister has already given a commitment to some Chief Ministers amd now proposal to extend R

APDRP to private discom area is being considered for submission to the Cabinet provided that this benefit should go to the consumers themselves.

श्री रेवती रमण सिंह : अध्यक्ष महोदया, जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट था, उसमें बहुत बड़ा शार्ट फाल हो रहा है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो शार्ट फाल है, क्या ये दोनों टार्गेट 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे हो जाएंगे?

महोदया, मैं इसके साथ एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप केवल एक ही सवाल पूछिए।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : महोदया, माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व बिजली मंत्री रहे हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में टार्गेट से कम बिजली का निर्माण हो रहा है। मैंने सदन में कई बार बताया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में टार्गेट 41 हजार मेगावाट का था, लेकिन 21 हजार मेगावाट बिजली का निर्माण हुआ। लेकिन जब टार्गेट देने का कंसीड्रेशन हो गया, तब चार गुना ज्यादा टार्गेट दे दिया, जो कि पूरा करना मुश्किल था। 21 हजार मेगावाट बिजली का निर्माण किया, तो 78700 का टार्गेट दे दिया। आप देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल है। मुझे अभी मेरी साथी ने बताया कि 40 हजार मेगावाट बिजली का निर्माण हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने में अभी कई महीने बचे हैं। मुझे यह भी खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को सम्बोधित करते हुए कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना से दुगुनी बिजली का निर्माण किया गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम 50 हजार से 52 हजार मेगावाट तक बिजली का निर्माण करेंगे। मैं आपको यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है। मैं प्रणब मुखर्जी साहब को धन्यवाद देता हूं कि इसी सदन में उन्होंने और आप लोगों ने भी मेरा अभिनन्दन किया कि 15 हजार मेगावाट बिजली का निर्माण एक साल में किया। देश के लिए यह जरूरी था, रात-दिन हमारे आफिसर्स काम करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को ध्यान में रखते हुए बिजली का निर्माण करना है और यूपीए का कार्यक्रम है कि क्लीन बिजली, चीप बिजली और सस्टेनेबल बिजली। हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना का अनुभव लेते हुए सुधार किए। भेल जैसी पहले एक फैक्टरी थी, अब भेल जैसी 6 फैक्टरियां देश में आ रही हैं। इक्वीपमेंट्स के लिए हमें कभी भी दूसरे देशों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री रेवती रमण सिंह : अभी चाइना से आ रहे हैं।

श्री सुशीलकुमार शिंदे : ऐसा एकदम तो नहीं हो सकता है। काम करने में दो-तीन साल तो लगते हैं। महोदया, मेरे साथी ने बताया कि 75 हजार मेगावाट बिजली निर्माण का काम चालू है। …(व्यवधान) हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैंने बताया कि तीन साल पहले देश की एनर्जी शार्टेज 18 परसेंट थी और पिकिंग शार्टेज 22 से 23 परसेंट थी। मैंने कुछ दिन पहले सदन में बताया था कि पिकिंग शार्टेज 6 परसेंट है और एनर्जी शार्टेज 3.7 परसेंट है, लेकिन यह फ्लक्चुएट होती है, कभी पिकिंग आठ परसेंट होती है, कभी नौ परसेंट होती है, कभी तीन परसेंट होती है। डिमांड की ओर से हम यह काम भी देखते हैं।

(Q. No. 262)

अध्यक्ष महोदया : आप अपने स्थान पर नहीं बैठे हैं।

श्री धनंजय सिंह : मेरे पैर में चोट लगी है। आपसे इसके लिए मैं परमिशन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपको अनुमति है।

श्री धनंजय सिंह : अध्यक्ष महोदया, उदारीकरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दौर में पिछली सरकारों ने कुछ नीतियां बनाईं थीं और उसके बाद आपने वर्ष 2005 में उन पॉलिसीज में कुछ परिवर्तन किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक अमेरिका रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सामरिक महत्व की जो हमारे यहां पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं चाहे वह पॉवर सैक्टर हो जिसमें न्यूक्लिअर पॉवर भी अभी एड हुआ, अभी यहां पर बहुत जोर शोर से बिल पारित हुआ और साथ साथ पैट्रोलियम सैक्टर भी है। इन दो सैक्टर्स में जहां तक मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार के डिसइंवेस्टमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई चीज राष्ट्र से ऊपर नहीं है। राष्ट्र चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में व्यापार करने लगें। वर्ष 2005 में एक नीति बनाई गई थी कि जो पैसा हम अर्जित करेंगे, उनमें से 75 प्रतिशत पैसा हम सोशल सैक्टर में खर्च करेंगे और साथ साथ 25 प्रतिशत पैसा उन पब्लिक सैक्टर यूनिट्स में खर्च करेंगे ताकि वे और लाभ कमा सकें और देश के खजाने को और बढ़ा सकें। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या उस 75-25 के फॉर्मूले का पालन पिछले तीन वर्षों में किया गया और उसको जो सोशल सैक्टर यूनिट में खर्च किया गया तो किन-किन यूनिट्स में सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, it is correct, as the last part of the hon. Member's question mentions that a decision was taken and I think it is a correct decision, that the proceeds of disinvestment should not be spent to meet the revenue gap. Therefore, National Investment Fund was created. From that corpus 75 per cent of whatever will be the income will be spent for social sectors. Three important areas of social sectors were identified. One important social sector is education, another is health and the third one is infrastructure. Since the inception of NIF more than Rs.1800 crore of corpus has been created and whatever interest accrual comes we will spend in that. But if you look at the budgetary allocation and actual spending, you will find that investment is much more than what could be available from the NIF. It is true that in the last three years; 2009-10, 2010-11 and 2011-12, deposit in NIF was not made because we sought special dispensation. Huge amount of money had to be invested, in absolute terms it was about Rs.1,86,000 crore through three stimulus packages to ensure that further

deceleration of GDP is prevented. Keeping that in view, these three years special dispensations were given by the Cabinet. We used it for making our developmental expenditure. But that period is coming to an end on 31st March, 2012. I assure the hon. Member that I would not like to seek further extension though I am in a very difficult situation because of the world economic situation as all of you are fully aware of. But we will not seek any extension.

In respect of the disinvestment of the Defence production units, there is no such proposal right now. Only two Units have come right now which are already listed but no fresh proposal is under consideration. As and when the proposals will be considered they will be in the domain of the public knowledge. For the petroleum sector, there have been some proposals which are under consideration. Here, I would like to share one point with the hon. Member. Many of them may be knowing what is the value of the assets, which we have. Unless we go to the market, we cannot discover the market price of the assets, which we have.

Take the case of Coal India Limited. It was hundred per cent Government owned profit making company. It is doing well. There is no doubt that it is one of the biggest companies. Its book value now Rs. 52 per share. When it was listed after 10 per cent disinvestment took place, the Rs. 10 share is being traded in the market at around Rs. 387. Therefore, even for the discovery - not for raising money - of the value of the assets, this is being required.

श्री धनंजय सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पहले सवाल में जानना चाहा था कि अब हम न्यूक्लियर पावर सैक्टर में आ गए हैं तो क्या पावर सैक्टर में फ्यूचर में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे? लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I assure the hon. Member that there is no question of it either in atomic sector or in Uranium Corporation of India Ltd. That was your first question.

SHRI DHANANJAY SINGH : This was my first question. I did not get my reply, that is why, I have asked this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Please, put your second supplementary.

श्री धनंजय सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि सोशल सैक्टर्स में कितने पैसे खर्च किए गए? नेशनल इन्वेस्ट फंड बनाया गया था। आपने कहा इतना पैसा इन स्कीमों में खर्च हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी है इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट गारंटी स्कीम, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहर लाल नेहरु अर्बन रिन्युअल मिशन, एस्कलेटिड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स, एस्कलेटिड पावर डेवलपमेंट रिफार्म्स हैं। मेरा कहना है कि मैक्सिमम पैसा इस मद से कलैक्ट कर रहे हैं, नरेगा में जा रहा है। मैं मनरेगा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि महात्मा गांधी जी किसी को बेरोजगारी भत्ता देने के हक में नहीं थे। यह कांग्रेस का अपना एजेंडा है और वह निश्चित तौर पर देश पर धीरे-धीरे लाएबिलिटी बनता जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI DHANANJAY SINGH : Please, put the House in order ... (*Interruptions*) This is not the way. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप भूमिका बंद कीजिए और प्रश्न पर आइए।

...(व्यवधान)

SHRI DHANANJAY SINGH : Please put the House in order.

अध्यक्ष महोदया : आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI DHANANJAY SINGH : MNREGA is the agenda of Congress only and it is going to be the liability on the nation. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You have to ask the question. Is this your question?

... (*Interruptions*)

श्री धनंजय सिंह : मैं प्रश्न बता रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। इसका नाम नरेगा था, मनरेगा करने की कोई जरूरत नहीं थी।...(व्यवधान) आप इसे नरेगा ही रखते। आपका एजेंडा है, आप इसका नाम नेशनल रूरल एम्पलाएमेंट स्कीम रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है but do not put on the name of Mahatma Gandhi.

MADAM SPEAKER: Please, come to your question. Do you have another question to ask?

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप सवाल पूछिए, बहुत लंबी भूमिका मत बांधिए।।

…(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : हाउस आर्डर में आ जाएगा तो हम प्रश्न पूछेंगे।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please ask the question.

SHRI DHANANJAY SINGH : Madam, I am asking the question.

MADAM SPEAKER: I will proceed, if you do not have a question to ask.

SHRI DHANANJAY SINGH : I am asking the question.

MADAM SPEAKER: Ask the question immediately.

श्री धनंजय सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि स्पेशली आप बता दें कि नरेगा में कितना पैसा इस मद से लिया है?

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : इंदिरा आवास में भी इस योजना का बहुत पैसा गया है।…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All right, I will see it.

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री धनंजय सिंह : जी, हां। प्रश्न ही पूछ रहा हूं। …(व्यवधान)

नरेगा और इंदिरा आवास के लिए जो धन आबंटित किया गया है, इस मद से डिसइनवैस्टमैन्ट के द्वारा जो पैसा कलैक्ट हुआ है तथा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत और नरेगा के अंतर्गत जो धन दिया गया है, माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी दे दें। यह अत्यंत आवश्यक सवाल है, क्योंकि जितना बजट इंदिरा आवास योजना का है...

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, बस आपका प्रश्न पूरा हो गया, कृपया इलेबोरेट न करें।

श्री धनंजय सिंह : उससे अधिक यहां इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था के तहत एक-एक व्यक्ति का घर पल रहा है।

MADAM SPEAKER: Please do not elaborate.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: First of all, I would say that the young hon. Member should not be excited. Mahatma Gandhi's name was added by this House and not by the Government… (*Interruptions*). You have spoken and I am just correcting you that an amendment was brought for the approval of this House and this House approved it.

Therefore, do not get excited. You may not like the programme but that does not mean that the programme does not have its beneficial impact. It has its beneficial impact.

If you look at current year's Budget, for the total social sectors, we have spent more than Rs.1,86,000 crore. Surely this amount of money cannot come from the corpus of Rs.1800 crore in NIF. Huge amount of budgetary resources for the developmental programmes are to be provided. The purpose of establishment of NIF was to have a check on the Finance Minister or on the Government. There will be a propensity to use the disinvestment resources to bridge the budgetary gap what is called disposing family silver to meet the daily consumption. To prevent that, NIF was created. It is serving its purpose and it will serve its purpose. But the social sector's investment will have to be increased substantially. If you want the programmes in respect of the last two years, these are Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Indira Avas Yojana, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, Jawaharlal National Urban Renewal Mission, Accelerated Irrigation Benefits Programme and Accelerated Power Development and Reforms Programme. When I presented the Budget, the figures in respect of respective heads were given in the detailed budgetary document. They must be in the knowledge of the hon. Member but as he wanted to have particular investment figures for the Indira Avas Yojana and Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, I will provide that.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब आया है, उससे मैं संतुष्ट हूं, लेकिन एक सवाल मंत्री जी से मैं भी पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (ङ.) में उन्होंने जवाब दिया है कि "विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है, तथापि सरकार के विनिवेश के निम्नलिखित मामले पहले अनुमोदित कर दिये गये हैं।"

महोदया, मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यूरोपीय और अमरीकी देश अभी जिस वैश्विक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या सरकार फिर से अपनी विनिवेश नीति का पुनरावलोकन करेगी? क्योंकि हमारी विनिवेश नीति वैश्वीकरण के दौरान ही बनाई गई थी। वर्तमान में जो विनिवेशीकरण चल रहा है, वह एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है। मैं इसी के बारे में कहना चाहूंगा कि वह हमारे आर्थिक ढांचे का एक हिस्सा है, लेकिन सरकार इसे गम्भीरता से समझते हुए कोई निर्णय ले।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam Speaker, I would like to inform the hon. Member as also this august House that this policy is not new. This policy is continuing from 1991. When the present Prime Minister was the Finance Minister along with the major economic reforms, he introduced the first disinvestment policy in 1991. Till today the policy is on. We have mobilised resources to the tune of more than rupees one lakh crore. The exact figure is Rs. 1,00, 264.72 crore. The policy has received the endorsement of the wide political spectrum because during these years. From 1991-96, it was the Congress Government; from 1996-98 it was the UF Government; from 1998-2003-04, it was the NDA Government and from 2004 onwards it is the UPA Government – each Government mobilised resources through disinvestment process. For instance, from 1998 till 31st March, 2004, during NDA's regime-- substantial resources were mobilised – Rs. 33,655 crore were mobilised; during UF regime, Rs. 1284 crore were mobilised; during the period 2004 till 2010-11, till date, Rs. 55,357.63 crore have been mobilised.

In regard to the moot point of the hon. Member I would like to submit that surely when we go to the market we shall have to keep in view the market condition. We cannot sell our valuable assets in a condition, in a market situation where we will not get the adequate prices. The whole objective is to discover the latent price which is not known. It is because if you are holding 100 per cent, you do not know what would be its value. In that case you go by the technical method. At the close of the accounting year, you divide the net worth with the number of shares to arrive at the book value of the share. But when it is traded in the market, then the real value is discovered, as I mentioned to you that the ten rupees share of Coal India Limited which as per the book value mechanism would be just Rs. 52, today is trading at Rs. 387.

Therefore, my point is, yes, I am fully aware of the current volatile situation in the market, and surely not only me, any prudent Finance Minister would not like to dispose of valuable assets. If the House agrees, the hon. Leader of the Opposition is also here, I would like to share the present international scenario and how it is going to affect the Indian economy and world economy and I would like to have the benefit from the inputs of the hon. Members who can help us. Of course it would depend on the hon. Speaker. We can

have a discussion on the current international situation including the volatility in the market or all over the world.

MADAM SPEAKER: If a notice to this effect comes, then we would definitely have discussion on this.

DR. SHASHI THAROOR : Madam, Speaker, the statement given by the Minister outlines the disinvestment policy that seems to be largely based on whether CPSEs are profitable and their equity and so on. But I would like to ask the hon. Minister whether there is a broader vision as to which economic activities are appropriate for the Government to be involved in the public sector. For example, why is the Government in the business of running hotels? Is that necessary for the Government? And whether in the current economic global difficulties we face, whether one could not imagine a newer, a further set of guidelines, covering those activities where the private sector cannot provide a more efficient service, or those activities which are of the public and national interest or where the private sector would not be interested. Could we not have some guidelines as to whether there are certain areas where the Government needs to have the public sector involved, rather than simply be in all the sectors we have been since the 50s and 60s when capital availability was much less?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, Speaker there is always a revision of the guideline. If you look at the present policy as the mover of the question who has raised it correctly said in 2005, we have revised and the current guideline is available. During 1991, there was a set of guidelines and in 1996 those guidelines were changed when the UF Government came. In 1998, the concept of strategic sale, sale to the strategic partner, was brought in during the NDA regime. Therefore, there has been an evolution of the guidelines and the policy thrust in respect of the disinvestment. The hon. President in her Address clearly, after the new Government came, spelt out the broad outline. I have also indicated here. Though in the Question Hour we do not discuss the policy matters and only the facts are discussed yet as the question was put in respect of the policy, the first couple of paragraphs have dealt with the policy and salient features of the policy are given there. We have clearly spelt out that the Government holdings will under no circumstances come

below 51 per cent; at what level it will be decided and at what percentage it will be decided, all these things are being worked out in consultation with the administrative Ministries, and various stakeholders. There is a Group of Ministers under my Chairmanship which consults various stakeholders and concerned authorities looking at the market condition, getting the assessment of the individuals who have reputation in the market, not merely the Government authorities. All these processes are carried on before arriving at a decision.

श्री तूफ़ानी सरोज : महोदया, उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहां सरकारी उद्यम नगण्य हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत सरकार का एक उद्यम स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है। यहां लगभग एक हजार व्यक्ति काम करते हैं। इस कारखाने में प्रतिदिन 80 सीएनजी चालित विक्रम स्कूटर बनते हैं तथा विजय स्कूटर नाम से कल-पुर्जो की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसका ब्रिटेन में निर्यात किया जाता है। इस कारखाने के पास 149 एकड़ जमीन है। कारखाने में मैटीरियल की कमी है, फिर भी यह नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। यदि सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस उद्यम की प्रोग्रेस के लिए कोई पुनरूद्धार की योजना बना रही है या जिस तरह से एनडीए सरकार ने कंपनियां बेचने के लिए एक नये मंत्रालय का गठन कर दिया था, हम लोगों ने उसका नाम बेचू मंत्रालय रख दिया था, क्या उसी हिसाब से जैसा कि समाचार पत्रों में आया।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।

श्री तूफ़ानी सरोज : महोदया, जैसा कि समाचार पत्रों में आया कि इस कंपनी को सरकार बेचने की योजना बना रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्यम को बेचने की योजना चल रही है या आप उसके पुनरूद्धार के बारे में सोच रहे हैं?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Madam, I can inform the hon. Member and through you to this House that we are aware of the problems of the Scooters India Limited. It became sick. Thereafter, it was referred to the BRPSE. They have made a recommendation with a revival plan on 28.7.2010. There will be a strategic partner venture. The Central Government's shareholding currently is 95.38 per cent. The note for the revival of the Scooters India Limited has already obtained the Cabinet's approval.

Various steps are being taken. I do hope that with the implementation of these steps, Scooters India will be brought out of sickness.

(Q. No. 263)

SHRI NITYANANDA PRADHAN : Madam, the hon. Minister has not replied to all the questions that are related to this Question. The first thing that I want to know from the hon. Minister is regarding the benefit which accrue, which I have put in my question but it has not been explained in his answer. More over, the figure which has been given by the hon. Minister does not show what are the benefits derived from each country as far as DTAA is concerned.

The second problem is regarding the TIEA. It has not been mentioned. Everybody knows that there has been a lot of clamour regarding the money deposited in the Swiss Bank and other foreign banks by the Indians. Every attempt has been made by the individuals, civil society. They are clamouring for that. They want the money should be brought back. When the Government is taking a step regarding TIEA, why the Government has not taken steps to go into agreements with the Swiss authorities so that the information could have come to India regarding the money deposited in the Swiss Bank?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, the purpose of the Double Taxation Avoidance Agreements is basically to avoid double taxations on individuals or on companies. As the economy is integrated globally, various companies are making investments in different parts of the world, in different countries. Therefore, it is the international practice that the Governments of those countries enter into an agreement so that double taxation on the individuals, entities is avoided. It is called the Double Taxation Avoidance Agreement. This is going on for quite some time. In my earlier incarnation as Finance Minister, I signed a number of DTAAs including that of Mauritius.

So far as TIEA is concerned, that is, Tax Information Exchange Agreements, you have noticed that two words have been used. "one, country and another, jurisdiction." "Jurisdiction" means a notional concept has been created that a particular area in a country, which is treated as tax haven where the banks establish, they do not share any information or those who establish their units there, they are not to pay any taxes. These are called Tax Havens like the Isle of Man, Cayman Islands and St. Kitts. They are not sovereign countries. As per international law, they are not treated as sovereign entities but they are

treated as sovereign regions, sovereign entities so far as taxation is concerned. Therefore, a sovereign country cannot enter into any agreement with them but we do Tax Exchange Information Agreements. I am giving you a little background of this. Before 2008, seventy-nine Double Taxation Avoidance Agreements were signed. Not a single Double Taxation Agreement had any clause for sharing banking information. The countries flatly refused to share this information. Therefore, it was not incorporated. After the financial crisis of 2008, at the London Summit followed by the Pittsburgh Summit of the G-20 countries, the leaders in their declaration said that all those countries including Switzerland that are not cooperating, are to cooperate with each other.

They ought to cooperate with each other by making an insertion in the Double Taxation Avoidance Agreement to share banking information. Thereafter, the countries have started sharing information. We are amending the existing Double Taxation Avoidance Agreement. The countries with which we do not have Double Taxation Avoidance Agreement, we are entering into new agreement. So far as these entities are concerned, sovereign jurisdiction, the direction was that you enter into Tax Exchange Information Agreement. So, the details in the text of the reply have been given as to how TIEA have been signed, as to how many Double Taxation Avoidance Agreements and new Agreements have been signed, as to how many amendments of the existing agreements have been negotiated, negotiations completed, and as to how many countries we are in the process of negotiations – those details have been given.

Now, in respect of Switzerland – I have shared this information at least half a dozen times with this House - we have completed the negotiations during the visit of the Swiss Federal Finance Minister last August – I do not exactly remember whether it is August or September. But when she visited India last year, I signed amendment of the Double Taxation Avoidance Agreement with Switzerland where this clause was inserted that henceforth the banking information will be exchanged on demand from the country concerned as we are demanding. But that will be effective, if this Treaty is ratified by Switzerland as per their constitutional procedure. So far as this Swiss constitutional procedure is concerned, two Houses of their Parliament have ratified it but it will have to

be ratified by all the Cantons of Switzerland, as there is a direct democracy. So, it is currently under the consideration of those Cantons. We are expecting that the process will be completed by the month of September - October. Thereafter, we will get the information as per the provisions of the amended Agreement. Information will be shared with us from 1.4.2011 prospectively, not retrospectively. No country has agreed to have it retrospectively.

In respect of unearthing black money, those who have stashed the black money outside, it is a constant exercise. Income-Tax Department, Directorate of Enforcement, Transfer Pricing, Departments of Taxations are engaged in this job; they are doing it. We are getting information. As and when we get the information, we act on it.

SHRI NITYANANDA PRADHAN : Madam Speaker, the hon. Minister has mentioned in his reply that TEIA has been entered into with only four countries – Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, and Isle of Man. But what about other countries that are dealing with this matter? Why is the Government not entering into agreement with other countries also?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: We are entering into agreement with other countries also – in total, 13 entities. Four negotiations have been completed. You will find that with these countries, negotiations have been completed and some of them have been put into operation.

Regarding International Treaty, there is a difference between our practice and the practice followed by other countries. In our system, if you look at the Constitution, you will find that Executive has been provided enormous power to ratify the international treaty.

To enter into International Treaty and to ratify International Treaty, the Executive has been vested with the authority and power in our country. But in many countries, there is a very elaborate procedure to ratify International Treaty. This happens in various countries. As I mentioned, TIEA has been entered into with four countries and now they are operational. Now, TIEA is being negotiated with 16 countries and negotiations are to go on with 12 more countries.

MADAM SPEAKER: Shri Badruddin Ajmal - Not present.

Now I will move on to Question No. 264 because, I think, it is very important. प्रश्न संख्या 264 वॉयलेंस अगेन्स्ट वूमेन पर है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(Q. No. 264)

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI : Thank you Madam. This is a very serious issue throughout the country because atrocities against women are increasing rapidly in our country. I am first coming to the nearest State because the Minister has stated in her reply that atrocities against women are increasing more rapidly in rural areas than the cities. In Uttar Pradesh, in the year 2010, 1,290 cases against women are reported.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, we have very little time. Please ask your question.

SHRIMATI DEEPA DASMUNSI : Yes Madam. Out of those 1,290 cases, 45 per cent are against Dalit women. In 2011, till May, the number of cases reported is 698. I know that Police and Public Order is a State Subject, but this is very important because many times women are not allowed to go to Police Stations to lodge a complaint. वे डरती हैं और मुझे यह भी पता है कि लोक लाज और सामाजिक तिरस्कार इसका एक कारण हो सकता है। एक बार बलात्कार होने के बाद बलात्कार की शिकार महिलाओं के साथ पुलिस स्टेशन में जिस ढंग से व्यवहार होता है, जिस तरीके से उनको सहना पड़ता है, वह बड़े दुख की बात है। Now we are staying in a country where I feel that culturally it is the motherland, constitutionally it is the fatherland and obviously, socially it is the homeland.

अध्यक्ष महोदया : आप कन्क्लूड कीजिए। सिर्फ तीन मिनट का समय है।

श्रीमती दीपा दासमुंशी : यहां महामहिम राष्ट्रपति जी महिला हैं, लोकसभा अध्यक्ष महिला हैं, प्रतिपक्ष की नेता महिला हैं, यू.पी.ए. की चेयरपर्सन महिला हैं जिनकी तबियत अभी ठीक नहीं है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मैं एक महिला सांसद हूं। यू.पी. की मुख्यमंत्री भी महिला हैं और महिला मंत्री से मैं आपके माध्यम से यह बात पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2005 में एक कानून जारी किया गया था, जिस कानून और जिस एक्ट में कहा गया कि हर जिले में एक प्रोटेक्शन ऑफीसर को नियुक्त किया जाएगा।

MADAM SPEAKER: Please ask the question. Otherwise the Minister will have no time to answer.

श्रीमती दीपा दासमुंशी : मुझे यह कहना है कि प्रोटेक्शन ऑफीसर कहीं नहीं हैं। जम्मू एवं कश्मीर में भी नहीं हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों और वास्तविकता में फर्क है। That is why I am asking whether women can be appointed as Protection Officers so that women protection can be restored.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें उन्होंने यू.पी. की बात कही और कहा कि डोमेस्टिक वॉयलेंस बढ़ रहे हैं। वैसे यह प्रश्न डोमेस्टिक वॉयलेंस पर था, लेकिन उन्होंने बलात्कार की बातें की और प्रोटेक्शन ऑफीसर के बारे में कहा। प्रोटेक्शन ऑफीसर हर राज्य ने नियुक्त किए हैं। कुल 6483 प्रोटेक्शन ऑफीसर्स हर राज्य में हैं और कुछ राज्यों में सब-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, तहसील स्तर पर हैं, सिवाय जम्मू एवं कश्मीर के क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर का अपना एक्ट है। अभी हमने उनसे कहा कि आप अपने एक्ट के अनुसार प्रोटेक्शन ऑफीसर बनाएं। अभी हाल ही में स्टेट मिनिस्टर्स के साथ मैंने मीटिंग की थी और हर राज्य में प्रोटेक्शन ऑफीसर बना लिए गए हैं। मेरा मंत्रालय उसको बार-बार रिव्यू करता है और रिव्यू करने का असर यह हुआ कि सभी राज्य में डिस्ट्रिक्ट और सब-डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के प्रोटेक्शन ऑफीसर बने हैं, इसमें जम्मू एवं कश्मीर भी है।...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : इस पर नियम 193 के तहत चर्चा करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid, Shri Ghulam Nabi Azad.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4893/15/11)

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Indian Renewable Energy Development Agency Limited and the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4894/15/11)

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4895/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Mahila Kosh, New Delhi, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4896/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): Madam, on behalf of my colleague, Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Import Bank of India, Mumbai, for the year 2010-2011, alongwith Accounts.

(ii) A copy of the Performance Report (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Import Bank of India, Mumbai, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 4897/15/11)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acqusition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and 1980:-

(i) The Dena Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010 published in the Notification No. F. No. IR/696/2010 in Gazette of India dated the 6th April, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4898/15/11)

(ii) The Andhra Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009 published in the Notification No. 666/3/P/56 in weekly Gazette of India dated the 24th June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4899/15/11)

(iii) The Punjab and Sind Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009 published in the Notification No. PSB/PEN/AMEND/1/2010 in Gazette of India dated the 4th August, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4900/15/11)

(iv) The Vijaya Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2009 published in the Notification No. VB/PER/PA&PD/PENS/1386/2011 in Gazette of India dated the 8th June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4901/15/11)

(v) The Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010 published in the Notification No. PWPM 9098 78 DK in weekly Gazette of India dated the 22nd April, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4902/15/11)

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 4900/15/11)

(4) A copy of the Debts Recovery Appellate Tribunal (Procedure for Appointment as Chairperson of the Appellate Tribunal) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 224(E) in Gazette of India dated the 18th March, 2011 under sub-section (3) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

(Placed in Library, See No. LT 4903/15/11)

(5) A copy of the Small Industries Development Bank of India General Amendment Regulations, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. F. No. 6677/CAD in Gazette of India dated the 25th February, 2011 under sub-section (3) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

(Placed in Library, See No. LT 4904/15/11)

(6) A copy of the Notification No. S.O. 1500(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st July, 2011, together with an explanatory memorandum specifying M/s Inter Globe Aviation Limited (IndiGo) as "designated Indian carrier" for the purpose of the Central Sales Tax Act, 1956 issued under sub-section (5) of Section 5 of the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4905/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R. 567(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 23/2011-CE dated 24th March, 2011.

(ii) G.S.R. 568(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 3/2006-CE dated 1st March, 2006.

(Placed in Library, See No. LT 4906/15/11)

(iii) G.S.R. 591(E) published in Gazette of India dated 29th July, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 6/2006-CE dated 1st March, 2006.

(v) The Central Excise Third (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 581(E) in Gazette of India dated 28th July, 2011, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT 4907/15/11)

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 :-

(i) G.S.R. 571(E) published in Gazette of India dated 26th July, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on imports of Poly Vinyl Chloride Paste Resin, originating in, or exported from China PR, Japan, Korea RP, Malaysia, Russia, Taiwan and Thailand and imported into India at the specified rates for a period of five years from the date of imposition of provisional duty, *i.e.* 26th July, 2010.

(ii) G.S.R.582(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of certain Rubber Chemicals, namely, MOR, PX13 and TDQ originating in, or exported from, European Union, People's Republic of China, Chinese Taipei and the United States of America for a further period of five years pursuant to the final findings of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(iii) G.S.R.602(E) published in Gazette of India dated 5th August, 2011, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of Sodium Formaldehyde, Sulphoxylate, originating in, or exported from China PR for a further period of five years pursuant to the final findings of Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

(Placed in Library, See No. LT 4908/15/11)

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.592(E) published in Gazette of India dated 29th July, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 46/2011-Cus., dated 1st June, 2011.

(ii) G.S.R. 593(E) published in Gazette of India dated 29th July, 2011, together with an explanatory memorandum prescribing preferential tariff for specified goods imported under the India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement, subject to fulfillment of Rules of Origin.

(iii) G.S.R.596(E) published in Gazette of India dated 2nd August, 2011, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 16/2011-Cus., (N.T.) dated 1st March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4909/15/11)

(10) A copy of the Notification No. G.S.R. 583(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th July, 2011, together with an explanatory memorandum, appointing the 1st day of August, 2011, as the date on which the provisions of Section 57 of the Finance Act, 2011 shall come into force, issued under the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4910/15/11)

(11) A copy of the Notification No. G.S.R. 584(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th July, 2011, together with an explanatory memorandum, appointing the 1st day of August, 2011, as the date on which the provisions of Section 76 of the Finance Act, 2011 shall come into force, issued under the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4911/15/11)

(12) A copy of the Notification No. G.S.R. 580(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2011, together with an explanatory memorandum appointing the 1st day of August, 2011, as the date on which, the provisions of Section 62 of the Finance Act, 2011 shall come into force, issued under the said Act.

(Placed in Library, See No. LT 4912/15/11)

(13) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2011 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Raebareli

(Placed in Library, See No. LT 4913/15/11)

(ii) Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon

(Placed in Library, See No. LT 4914/15/11)

(iii) Nainital Almora Kshetriya Gramin, Haldwani

(Placed in Library, See No. LT 4915/15/11)

(iv) Narmada Malwa Gramin Bank, Indore

(Placed in Library, See No. LT 4916/15/11)

(v) Shreyas Gramin Bank, Aligarh

(Placed in Library, See No. LT 4917/15/11)

(vi) Baroda Rajasthan Gramin Bank, Ajmer

(Placed in Library, See No. LT 4918/15/11)

(vii) Wainganga Krishna Gramin Bank, Solapur

(Placed in Library, See No. LT 4919/15/11)

(viii) Haryana Gramin Bank, Rohtak

(Placed in Library, See No. LT 4920/15/11)

(ix) Rajasthan Gramin Bank, Alwar

(Placed in Library, See No. LT 4921/15/11)

(x) Hadoti Kshetriya Gramin Bank, Kota

(Placed in Library, See No. LT 4922/15/11)

(xi) Neelachal Gramya Bank, Bhubaneswar

(Placed in Library, See No. LT 4923/15/11)

(xii) Aryavart Gramin Bank, Lucknow

(Placed in Library, See No. LT 4924/15/11)

(xiii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Bharuch

(Placed in Library, See No. LT 4925/15/11)

(xiv) Pragathi Gramin Bank, Bellary

(Placed in Library, See No. LT 4926/15/11)

(xv) Nagaland Gramin Bank, Kohima

(Placed in Library, See No. LT 4927/15/11)

(xvi) Himachal Gramin Bank, Mandi

(Placed in Library, See No. LT 4928/15/11)

(xvii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa

(Placed in Library, See No. LT 4929/15/11)

(xviii) Deccan Grameena Bank, Hyderabad

(Placed in Library, See No. LT 4930/15/11)

(xix) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor

(Placed in Library, See No. LT 4931/15/11)

(xx) Prathama Bank, Moradabad

(Placed in Library, See No. LT 4932/15/11)

(xxi) Surguja Kshetriya Gramin Bank, Surguja

(Placed in Library, See No. LT 4933/15/11)

(xxii) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarpur

(Placed in Library, See No. LT 4934/15/11)

(xxiii) Allahabad UP Gramin Bank, Banda

(Placed in Library, See No. LT 4935/15/11)

(xxiv) Cauvery Kalpatharu Grameena Bank, Mysore

(Placed in Library, See No. LT 4936/15/11)

(xxv) Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank, Chhindwara

(Placed in Library, See No. LT 4937/15/11)

(xxvi) Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank, Jhabua

(Placed in Library, See No. LT 4938/15/11)

(xxvii)Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi

(Placed in Library, See No. LT 4939/15/11)

(14) A copy of the delay Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Notification* No. G.S.R 932(E) dated 1st December, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4940/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001:-

(i) The Bureau of Energy Efficiency (Manner and Intervals of Time for Conduct of Energy Audit) Regulations, 2010 published in Notification No. 02/11(6)/05-BEE in Gazette of India dated 28th April, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4941/15/11)

(ii) The Energy Conservation (Inspection) Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 645(E) in Gazette of India dated 30th July, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4942/15/11)

(iii) The Bureau of Energy Efficiency (Certification Procedures for Energy Managers) Regulations, 2010 published in Notification No. 2/11(2)/07-BEE in Gazette of India dated 30th October, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4943/15/11)

---

*The said Notification was laid on the Table of Lok Sabha on 12th August, 2011.

(iv) The Bureau of Energy Efficiency (Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of their List) Regulations, 2010 published in Notification No. 02/11(7)/09-BEE in Gazette of India dated 13th April, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 4944/15/11)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

(i) The Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 558(E) in Gazette of India dated 21st July, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4945/15/11)

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. L-7/145(160)/2008-CERC in Gazette of India dated 2nd May, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4946/15/11)

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. L-7/145(160)/2008-CERC in Gazette of India dated 22nd June, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4947/15/11)

(iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters)(First Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. L-7/145(160)/2008-CERC in Gazette of India dated 30th March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4948/15/11)

12.01 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND ADDRESS AS PASSED BY RAJYA SABHA*

`

SECRETARY-GENERAL**:** Madam Speaker, I have to report the following message received from Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "I am directed to inform the Lok Sabha that in accordance with clause (4) of article 124, read with article 218 of the Constitution of India and the provisions contained in the Judges (Inquiry) Act, 1968, the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 18th August, 2011 has passed an Address for presenting to the President praying for removal from office of Mr. Justice Soumitra Sen of Calcutta High Court.
>
> 2. A copy of the Address to be presented to the President is enclosed.
>
> 3. I am to request that further action, in terms of sub-rule (7) of rule 16 of the Judges (Inquiry) Rules, 1969 may be taken by Lok Sabha in the matter."

Madam Speaker, I also lay on the Table an Address passed by Rajya Sabha for presenting to the President for removal from office of Mr. Justice Soumitra Sen of Calcutta High Court.

---

* Laid on theTable

12.02 hrs.

STATEMENTS BY MINISTER

(i) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Energy on "Renewable Energy on Rural Applications", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam, I beg to lay the statement on the status of implementation of' the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of the direction 73 A of the Ilon'ble Speaker Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin -Part -II dated 1 September 2004.

2. The 11th Report of the Standing Committee on Energy was presented to the Lok Sabha on 21st August,2010. The Report relates to Renewable Energy for Rural Applications.

3. Action Taken Statement on the recommendations /observations contained in the 11th Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Energy on 16 December 2010.

4. There are 9 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations pertain mainly to issues like Budgetary Allocation and Targets, implementation issues related to various renewable programmes especially Remote Village Electrification programme , Village Energy Security Test Projects, Solar Photovoltaic and Thermal programme, Biogas programme and Small Hydro programme.

5. The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. 1 would not like to take the valuable time of the House to read

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4949/15/11

out the contents of this Annexure. 1 would request that these may please be considered as read.

12.02½ hrs.

(i) (b) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Energy on "Funding of New and Renewable Energy Projects", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam, I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of the direction 73 A of the Hon'ble Speaker Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin -Part -II dated 1 September 2004.

2. The 15th Report of the Standing Committee on Energy was presented to the Lok Sabha on 18th March 2011. The Report relates to Funding of New and Renewable Energy Projects.

3. Action Taken Statement on the Recommendations /Observations contained in the 15th Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Energy on 17th June 2011.

4. There are 11 Recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These Recommendations pertain mainly to issues like implementation of Jawaharlal Nehru National Solar Mission, Potential of Renewable Energy vis-à-vis Achievements, Research & Development Projects related to New & Renewable Energy and roles of Central/ State Governments and IREDA in Funding and Implementation of Renewable Energy Projects.

5. The present status of implementation of various Recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of this Annexure. I would request that these may please be considered as read.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4950/15/11

12.03 hrs.

(i) (c) Status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Energy on "Small and Mini Hydel Project", pertaining to the Ministry of New and Renewable Energy*

THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (DR. FAROOQ ABDULLAH): Madam, I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of the direction 73 A of the Hon'ble Speaker Lok Sabha vide LokSabha Bulletin-Part-ll dated 1 September 2004.

2. The 16th Report of the Standing Committee on Energy was presented to the Lok Sabha on 18th March 2011. The Report relates to Examination of the subject "Small and Mini Hydel Projects" of the Ministry of New and Renewable Energy.

3. Action Taken Statement on the recommendations / observations contained in the 16th Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Energy on 14th June 2011.

4. There are 12 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations pertain mainly to issues like potential of small hydro in the country, implementation of the programme during 11th Plan, financing, policy issues, micro hydel and watermills.

5. The present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. 1 would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of this Annexure. 1 would request that these may please be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4951/15/11

12.04 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government- Business during the week commencing Tuesday, the 23rd of August, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (a) The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010.

   (b) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011.

   (c) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.

3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-

   (a) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010.

   (b) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010.

   (c) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010.

   (d) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2010.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए।

1- पूर्व मध्य रेल हाजीपुर अंतर्गत सहरसा से पटना के बीच प्रस्तावित नई चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस के समय-सारिणी में परिवर्तन कर सहरसा से रात्रि 11 बजे एवं पटना से भी रात्रि 11 बजे चलाई जाए एवं इसमें AC-2, AC-3 एवं स्लीपर कोच लगाई जाए।

2- पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के सोनपुर/समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत बरौनी-सहरसा तथा समस्तीपुर- खगड़िया-सहरसा-मधेपुरा के बीच डी.एम.यू. सेवा शुरू की जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के वे सभी पी.आर.एस., जो कि सुबह आठ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक काम करते हैं, को शाम आठ बजे तक किये जाने की आवश्यकता है। जहां पी.आर.एस. का केवल एक काउण्टर है, वहां दो काउण्टर किये जाने की आवश्यकता है।

2. पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के नालन्दा स्टेशन पर कार्यरत पी.आर.एस., जिसमें अभी तक आरक्षण-सह-पूछताछ लिपिक की पोस्टिंग नहीं हुई है, इसके कारण यह पी.आर.एस. काम नहीं कर रहा है, पर आरक्षण लिपिकों की पोस्टिंग किये जाने की आवश्यकता है। इस स्टेशन पर पेयजल का कोई साधन नहीं रहने से वहां पर पेयजल का एक साधन उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam Speaker, I want that the following items may be included in next week's agenda:

a) need to build one more Dam at Bolpahari in Jharkhand in Damodar river as part of DVC project in consultation with Jharkhand and West Bengal Governments.

b) Need for dredging of the Durgapur Barrage which is silted by sand and also dredging of four dams – Maithon, Panchayet, Tilaiya, Konar of DVC projects for controlling flood and supplying water for irrigation and drinking.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. महाराष्ट्र की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना की धनराशि आबंटन के पश्चात् इसमें भारी अनियमितता होने का संज्ञान लेकर सरकार द्वारा इसकी जांच और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता।

2. चौकीदार और फाटकविहीन समपारों पर रेल दुर्घटनाएं घटने पर मृत और हताहतों को मुआवजा नहीं दिया जाता। इसका संज्ञान लेकर सरकार मृतकों और जख्मी लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान करे।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. एल.पी.जी. की आपूर्ति समय पर नहीं देने, कम वजन की एल.पी.जी. की आपूर्ति करने एवं कालाबाजारी करने वाली गैस एजेंसियों को रद्द किये जाने का कार्य किया जाये।

2. देश में बाढ़ से होने वाले लोगों के नुकसान की भरपाई करने एवं इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिये जाने का कार्य किया जाये।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को शीघ्र स्वीकृत कर बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

2. ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के खंड पन्ना-सतना में शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाये:

1. भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण विषय पर चर्चा को शामिल किया जाये। वर्तमान में एम.नागराज केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, जिसे दूर किया जाना अनिवार्य है।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, kindly include the following two items in the list of business for the next week:

(1) A large tract of land in West Bengal and other parts of India has been inundated due to heavy rain and discharge of water from dams which resulted in a huge loss of property and an adverse impact of agriculture.

(2) In view of the fact that per capita availability of drinking water has been decreasing alarmingly, it calls for fresh look into water policy.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषयों को जोड़ लिया जाए -

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में अनियमितताओं की घटनाओं पर चर्चा कराये जाने के विषय में।
2. देश में लगातार बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने के विषय में।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. जलगांव जिला, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों जोन में आता है और यहां से काफी ट्रेनों का आना-जाना रहता है, लेकिन पिछले कई सालों से जलगांव और चालीसगांव, धरणगांव अमलनेर और पाचोरा में कुछ ट्रेनों का ठहराव के लिए निवेदन और आंदोलन करने के बाद जलगांव में दो ट्रेनों का ठहराव दिया था। लेकिन अब रेलवे मंत्रालय इन ट्रेनों का ठहराव रद्द करने जा रहा है। यदि यह सत्य है तो इस निर्णय को तत्काल रद्द करने की आवश्यकता है।
2. भारत की प्राचीन सभ्यता की गाथा कहने वाली पुरातत्व संस्मारकों, ऐसे किले और पुरातन धार्मिक मंदिरों जैसे हजारों पर्यटन स्थल हैं, उसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में चांगदेव मंदिर, भुईकोट किला, पारोला और बहादपुर किला और फरकांडे झुलते मनोरे शामिल हैं। लेकिन आज उनकी दशा बद से बद्तर हो गई है। ऐसे स्थल के देखभाल व मरम्मत के लिए कानून मे संशोधन करने की आवश्यकता।

<u>12.12 hrs.</u>

MOTION RE: JOINT COMMITTEE TO EXAMINE MATTERS RELATING TO ALLOCATION AND PRICING OF TELECOM LICENCES AND SPECTRUM

MADAM SPEAKER: Item no. 11. Shri P.C. Chacko.

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): I beg to move the following:--

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum in the vacancy caused by the retirement of Shri Sitaram Yechury from Rajya Sabha and communicate to this House the name of the Member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint one member of Rajya Sabha to the Joint Committee to examine matters relating to allocation and pricing of telecom licences and spectrum in the vacancy caused by the retirement of Shri Sitaram Yechury from Rajya Sabha and communicate to this House the name of the Member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee".

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य : उपस्थित नहीं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल।

12.13 hrs.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे देश में लाखों ऐसे नौजवान साथी या कर्मचारी हैं, जो सालों से टेंपरेरी लगे हुए हैं और अभी तक कोई कारगर नीति उनके लिए नहीं बनायी गयी है। आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि तकरीबन 18-18 साल से उन लोगों को सरकारी नौकरियों में भी कैजुअल रखा गया है और जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनमें तो कैजुअल रखा ही गया है। इसका एक आंकड़ा मेरे पास है, जिसमें तकरीबन 33 परसेंट ऐसे हैं, जो कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है, अगर उसे अर्बन एरिया में देखें तो जो परमानेंट हैं, उनको 365 रूपए मिलती है और जो कैजुअल हैं उनको 122 रूपए मिलती है, जो रूरल में परमानेंट हैं, उनको 232 रूपए मिलती है और कैजुअल वालों को सिर्फ 94 रूपए मिलते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आज साठ साल होने के बाद भी कोई ऐसी कारगर नीति नहीं बनायी गयी, जिसमें उनको अपने आप एक समय-सीमा के बाद परमानेंट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है और वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनको निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। 10-12 साल नौकरी पर रहने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होती है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी नीति बनाए कि एक समय-सीमा के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाए, ताकि जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका बेनेफिट उनको मिल सके।

SHRI NILESH NARAYAN RANE (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I would like to talk about a very specific topic which is about my Constituency Sindhudurg.

Sir, it is about the National Highway 17. The work of widening the National Highway 17 is very slow for the past few years. It has started in a phased manner. It is going on at a very slow speed for the past few years. There have been a lot of accidents during the past two years. About thousand people have died on this Highway.

So, I request the Government to take action on this very specific phase which is Zarap to Patradevi. The work has completely stopped there for the past few months.

Eighty per cent of the work has already been completed. Twenty per cent of the work is still pending. The work has been stopped now.

Sir, the people are facing a lot of troubles. My constituency is Ratnagiri in Sindhudurg district. Sindhudurg is one of the districts that come in my constituency.

I would urge upon the Government to release funds immediately for the completion of the remaining 20 per cent work. The roads are already in bad condition, and the people are facing a lot of troubles. So, I would request the Government to take action and release funds immediately.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षण में व्याप्त व्यापारीकरण का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है। आज कल देखा जाए तो शिक्षण में व्यापारीकरण हो गया है। केजी कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक देखा जाए तो शिक्षण में पूरी तरह से व्यापारीकरण हो गया है। आजकल केजी कक्षा में एडमिशन के लिए एक लाख रूपया या दो लाख रूपया का प्रावधान होता है। यह सभी कोई जानते हैं। मैं अपनी बात मेडिकल शिक्षण के बारे में ज्यादा आकर्षित करना चाहता हूं। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी उसमें लिखा गया था नवी मुम्बई की एक निजी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी की पोस्टग्रजुएट सीट को 1 करोड़ 70 लाख रूपये में, कहो कि बेची गई थी। यह एक दुखद एवं शर्मनाक घटना है। अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो अंडर गेजुएट मेडिकल कॉलेज में निजी बैठकों के लिए 50 लाख से ले कर ऊपर तक के लोगों को पैसा देना पड़ता है। मानो कि सिर्फ उसका व्यापार हो रहा है। मैं इस पर अपनी आपत्ति जताना चाहता हूं। सभापति जी, शिक्षण में जो पोस्ट-ग्रेजुएशन है वहां रेडियोलॉजी है आर्थोपेडिक है वहां कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ और उससे भी ज्यादा जैसा मैंने अभी बताया की 1 करोड़ 70 लाख में व्यापार हो रहा है। इस पर रोक लगानी चाहिए। एनआरआई की जो सीटें हैं उसमें डॉलर में सब प्रावधान होता है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो दलितों, छोटे किसानों, वनवासी और श्रमजीविओं के बच्चे हैं मुझे लगता है कि अगामी वर्षों में उन के लिए कोई प्रावधान नहीं हो सकेगा। इसिलिए मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से माननीय एचआरडी मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षण का जो व्यापारीकरण है उस पर रोक लगा दी जाए। जो लोग व्यापारीकरण करते हैं, जो संस्थाएं व्यापारीकरण करती हैं उनको दंडित किया जाए और जब मेडिकल कालेज या शिक्षण संस्था का रिकॉग्निशन होता है उस वक्त उस पर प्रावधान रखा जाए ताकि कोई ऐसा काम नहीं कर सके। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Shivkumar Udasi, Dr. Rajan Sushant, Shri Virendra Kumar, and Shri Mahendrasinh P. Chauhan are permitted to associated with the issue raised by Dr. Kirit Premjibhai Solanki.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं जिस सवाल को उठा रहा हूं वह बहुत तकलीफदेह है। कटनी के पास कुटेश्वर माइन है जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन वहां डोलमाइट निकलता है जिसे मजदूर निकालते हैं। उन मजदूरों को वर्ष 1996 में जबरियां, ये जो सेन्ट्रल इण्डस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्सेज ये करीब 3 हजार 4 सौ बचे हैं। 728 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वे डेली वेजेस वर्कर थे। वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार जबलपुर से चुनाव लड़ा था तो उन मजदूरों ने मुझे वोट दिया था। मैंने कोर्ट के जरिए उनकी बहुत मदद की और कोई मंत्री ऐसे नहीं थे जिनके पास मैंने चक्कर नहीं लगाए। श्री बेनी प्रसाद वर्मा आए हैं। उनसे मैंने जरूर नहीं कहा। वहां 700 से ज्यादा लोगों की भूख से मृत्यु हो गई। लेबर कोर्ट ने कहा कि उन्हें 24 करोड़ रुपये दिए जाएं। हाई कोर्ट में गए तो एक बैंच ने कहा कि 21 करोड़ रुपये दिए जाएं, डबल बैंच ने कहा 21 करोड़ रुपये दिए जाएं। कपिल सिब्बल जी, आपकी सरकार की सेल कम्पनी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। गरीब लोगों के पास भूख से मरने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें आज के डेली वेजेस के पैसे के बराबर भी पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें पहले 35 या 36 रुपये मिलते थे। मैं आपसे कहूं कि वे डेली वेजेस वर्कर हैं।

सभापति जी, इस सदन के बड़े-बड़े नेता ऐसे हैं जो उस इलाके से गए हैं। वे बनिहार, मजदूर हैं। उनका केस लोग बड़ी मुश्किल से लड़ते हैं। एक बड़े वकील श्री नायर थे जिन्होंने पूरे देश में कॉफी हाउस बनाए। वे उनका काम फ्री में करते थे। उनकी मृत्यु हो गई है। मेरे घर में कल से 15, 20 लोग पड़े हुए हैं। मुझे उन्हें जाने के लिए किराया देना पड़ेगा। श्री गणेश सिंह वहां कई बार लड़ने गए।...(व्यवधान) ये वहां से एमपी हैं।...(व्यवधान) बंसल जी, आप सुन नहीं रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बहुत दर्दनाक केस है, तकलीफदेह केस है। उन्हें आज के डेली वेजेस के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है बल्कि पुराने डेली वेजेस के हिसाब से मिलता है। वे दो-दो बार हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं, लेबर कोर्ट में जीत चुके हैं। लेकिन सेल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उन्हें वाजिब पैसे नहीं दे रही है। श्री बेनी प्रसाद वर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं। आजकल वे धोती-कुर्ता छोड़कर पैंट पहनने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले पर जरूर गौर किया जाए, नहीं तो जितने लोग बचे हैं, वे सब मौत के मुंह में चले जाएंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शरद यादव जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में जरूर ध्यान दिया जाए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य इनके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वे अपना नाम दे दें।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं कहना चाहता हूं कि सेल ने जो मुकदमा...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Ganesh Singhji, you may send your name. Do not speak like this. It is a submission. If you want to associate, you may send your name at the Table.

श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री गणेश सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती पुनमबेन बेल्लजीभाई जाट, श्री ए.टी. नाना पाटील, डॉ. मिर्जा महबूब बेग अपने आपको श्री शरद यादव के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति जी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर खाद की कमी है जिससे किसानों के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया है। चन्दौली जनपद, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर आदि तमाम ऐसे पूर्वांचल के जनपद हैं जहां कृषि के क्षेत्र में उनका एक स्थान है। जनपद चन्दौली को धान का कटोरा कहा जाता है और वहां खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो खाद बनारस उतरती है, उसे अन्य जनपदों में भेज दिया जाता है, लेकिन जनपद चन्दौली जो उत्तर प्रदेश में किसी भी पैदावार के क्षेत्र में सातवां स्थान रखता है, उस जिले को खाद उपलब्ध न कराने से एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां रेलवे का जो खाद का रैक जाता है, चन्दौली में स्थान है, उसका खाद का जितना भी कोटा है, उसे भेजने का काम किया जाए। इसी प्रकार पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर खाद की कमी से मिर्जापुर के किसान परेशान हैं। पिछले कई वर्षों से वहां लाठियां और डंडों की बदौलत किसानों को पीट-पीट कर खाद किसी तरह से बंटवाई गयी थी। मैं बार-बार यह बात सदन मे उठाता रहा हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार न हो, खासतौर से उसके पिछड़ेपन और कृषि पैदावार को देखकर। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खाद की कमी है, उसे तत्काल दूर किया जाये। आज धान का कटोरा केन्द्र सरकार से मांग कर रहा है। ...(व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जितना भी खाद का कोटा है, उतना उसे भेजने का काम करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि नेपाल और बिहार में खाद की जो तस्करी होती है, वह उसे रोकने का काम करे। अगर पूरा कोटा उपलब्ध नहीं है, तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खाद किसानों को उपलब्ध कराये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खाद की कमी आ रही है, उसे दूर किया जाये और तत्काल किसानों के लिए खाद की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

सभापति महोदय : आप रिपीट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो भी माननीय सदस्य श्री राम किशुन जी के विषय के साथ अपने को एसोसियेट करना चाहते हैं, वे अपने नाम भेज दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कमल किशोर कमांडो अपने आप को श्री राम किशुन जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा रेल मंत्रालय के सामने हिमाचल प्रदेश की रेल लाइन से संबंधित मांग रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश बेसिकली हिली स्टेट है, पहाड़ी क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद वहां अभी तक कुल 36 किलोमीटर रेल लाइन ही उपलब्ध हुई है, जो कि बहुत कम है। मै कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भी रेल मंत्री बने हैं, उन्होंने कभी भी हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन देने के लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। पिछले दिनों जब हमने यह मांग रखी कि मेरी शिमला पार्लियामैंट्री कांस्टीटूएंसी में घनौली क्षेत्र, जो पंजाब से लगता है, वहां से नालागढ़, बद्री, बरोटीवाला से होते हुए, कालाअम्ब और पांवटा साहब होते हुए देहरादून, जो उत्तराखंड के साथ लगता है, उसके साथ जोड़ दिया जाये। रेल मंत्रालय ने मेरी इस बात को सुना और उसे अभी सर्वे के लिए रखा गया है। परन्तु मेरा मानना है कि पिछले एक वर्ष से वह अभी तक सर्वे के लिए ही रखा गया है। उस सर्वे को पूरा नहीं किया गया है। इसमें दो स्थान बहुत धार्मिक हैं। एक स्थान पांवटा साहब है, जो सिख धर्म का बड़ा भारी स्थान है। वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। दूसरा, हरिद्वार है जहां हिन्दु धर्म के लोग हर वर्ष स्नान करने जाते हैं। ये दोनों स्थान उसी क्षेत्र में लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र अब इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बन गया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए के समय हमें इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, उस वजह से वहां लाखों लोगों को रोजगार मिला है और अरबों रुपये का निवेश हुआ है। मैं चाहता हूं कि वहां यह रेल लाइन बने और सर्वे का जो आश्वासन दिया गया है, उसे पूरा किया जाये। उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाये। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से चाहता हूं कि यह सर्वे इस वर्ष पूर्ण किया जाये, ताकि उससे वहां के लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री पकौड़ी लाल (रॉबर्ट्सगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में पिछड़े अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है।

महोदय, मेरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है और पथरीला क्षेत्र होने के कारण वहां जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पेयजल का संकट बारह महीनों रहता है। वहां जनता हानिकारक रासायनिक युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है, जिसके कारण उनमें विकलांगता, हृदय रोग और किडनी खराब होने जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। सर्वेक्षण के आधार पर शहरी विकास मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय ने विशेष पैकेज के तहत रखा है, जो वर्षों से विचाराधीन है, उसमें धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, जो जनहित में उचित नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने का कष्ट करें। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री राधे मोहन सिंह जी, आपने जो नोटिस दिया है, वह क्लियर नहीं है, इसलिए संक्षेप में बोलिए।

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर): सभापति महोदय, आपने शून्य प्रहर में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और झारखण्ड में उड़द और तिल की बड़े पैमाने पर खेती की गयी, लेकिन फसलों में दाने नहीं निकलने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को क्षति हुई। कुछ ऐसे लोग इसकी क्षतिपूर्ति न होने के कारण आत्महत्या करने पर विवश हुए और ऐसे चार लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस संबंध में सरकार ने जो वादे किए, आश्वासन दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वे आश्वासन मात्र कोरे आश्वासन ही रह गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय बीज निगम, मोनसैंटो, पायनियर, हाईब्रीड, मायको जैसी बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के बीज भी अक्सर बंजर निकल रहे हैं, उनमें या तो पौधा नहीं निकलता है या पौधा निकलने के बाद दाना नहीं निकलता है। सरकार द्वारा इन दोषी कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, न ही किसान को उन दोषी कंपनियों से क्षतिपूर्ति दिलाई जा रही है। विवादित बीज विधेयक, 2010 किसानों की मांग को पूरा नहीं करता। इस बिल में बीज कंपनियों के प्रति नरम रुख अपनाया गया है और किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। यह बिल पूर्णतः बीज कंपनियों के पक्ष में है। मोनसैंटो ट्रम्पोर्ट सिंगेरा ने यहां अपनी जड़ें जमा ली हैं। साथ ही 500 कंपनियां भारत में आ रही हैं, जो बड़ी संख्या में हाइब्रिड बीजों के नाम पर घटिया बीज बेचकर किसानों को मरने पर मजबूर कर रही हैं। नए विधेयक में बीजों की शुद्धता एवं उर्वरता को मानकों के अनुरूप न रहने पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, साथ ही किसानों को होने वाले नुकसान का आकलन क्षेत्रीय विशेषज्ञ समिति के सहयोग से किया जाएगा जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित होगा। यह बिल्कुल गलत है। जब बीज उपजाऊ नहीं होता है, उसमें दाना नहीं बनता है, तो किसान बर्बाद हो जाता है। नुकसान की क्षतिपूर्ति महज बीजों के दाम से नहीं हो सकती है। जरूरत नए बीज दायित्व विधेयक की है जिसमें फसल बर्बाद होने पर न्यूनतम आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए। नए बिल में यह प्रावधान हो कि बीजों की कीमतों पर नियंत्रण होना चाहिए, किसानों को उचित दाम पर बीज

मिलना चाहिए, जो कंपनियां घटिया बीज बेच रही हैं, उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और पूरी फसल नष्ट होने पर बीज कंपनी द्वारा पूरी फसल की कीमत के बराबर जुर्माना दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

Now, Shri S.S. Ramasubbu.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, now-a-days, the match industry is facing a very serious problem not only in Tamil Nadu but also all over India. The safety match industry is segregated into three parts, namely, completely handmade, partially mechanized and fully mechanized. Safety match making can be classified into five steps, namely, frame filling, dipping, box filling, label pasting and packing. In completely handmade units, all these five processes are being carried out without the use of power. But in partially mechanized units, the processes of frame filling and dipping are being carried out through machines while box filling, label pasting and packing are being performed by hand. In fully mechanized units, all the five processes are being carried out through machines.

Sir, now-a-days there is a very serious problem. The current situation is that the completely handmade units have shrunk into three per cent while the partially mechanized units are contributing 72 per cent of the total production and 25 per cent comes from completely mechanized units. As a result, all the labourers, who are engaged in handmade units, have shifted to semi-mechanized units.

After the implementation of the National Rural Employment Guarantee Scheme, now-a-days this industry is also facing labour crunch.

However, they did not attain their production target and the imposition of excise duty is adding fuel to the fire. As per the available survey report, partially-mechanized unit contributed to providing employment to 38,959 persons. This is 79 per cent. Handmade safety match industry employs least number of labourers. Semi-mechanised units employ most of the labourers and it took over the position of small-scale industries from handmade units and they are to be protected.

MR. CHAIRMAN : Please come to the point.

SHRI S.S. RAMASUBBU): I shall, therefore, urge upon the Union Government that total excise duty exemption should also be extended to semi-mechanised units at par with handmade units to save this industry.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I would like to place before this House some serious issues with regard to the EPF pensioners and also the EPF Pension Scheme. There are about two and a half crore people, who are enrolled in this Scheme now. This Act has come in our country in the year 1952. After 43 years of big gap, the Scheme has come in 1995. Before this 1995 Scheme, the employees could enroll or join in the family pension scheme. There is a very serious lacuna in the 1995 Scheme because every employee has to complete 10 years service in this Scheme. But, it is not possible because only the new one, who joined after 1995, can complete it. So, a large number of employees are not able to get the minimum pension. It is surprising to note that many of them are getting only pension below Rs.100. There are persons who are getting only Rs.10 and Rs.2. The former Labour Minister, Shri Oscar Fernandes had visited Kerala and he himself was aware of the fact that many of the workers are not getting it. Irrespective of the political affiliation, all the trade unions have demanded the Government for a new Act.

Sir, it is also surprising to note that for the last 11 years there was no revision in the pension as far as this Scheme is concerned. There is revision after every five year for the Central and State Government employees. On the one side, Government says that there is financial difficulty. But, we know that every year the Provident Fund amount is increasing. So, there is no justification on the side of the Government. The trade unions have demanded that the minimum pension has to be raised up to at least Rs.3000. We know that the NREGA workers are getting Rs.150 or Rs.200. But, at the same time, the workers, who have served this nation for a long time, are getting Rs.100 as pension. The pensionable service should be counted from the date of the enrolment in the EPF. Then, this lacuna can be rectified.

The entire wages should be considered as pensionable salary. Now, there is a ceiling of Rs.6500. Earlier, commutation facility was allowed. But, now, it is stopped. That has to be restored. The capital return scheme may be reinstated. So, this is the most important issue as far as a large number of people are concerned. They have worked for this nation for a long time, but there is no one to hear them. I request the Government to take up these

issues. A delegation is coming to meet the Prime Minister and the Law Minister. The Government should give this issue due importance.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आजादी के 64 साल बीत गए। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का आंकलन आज तक नहीं हो पाया है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान लगाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए।

महोदय, सादर अनुरोध है कि बिहार में बीपीएल परिवारों का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर रहा है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार द्वारा कराए गए अनुसंधान और सर्वेक्षण से बीपीएल परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ 40 लाख का है।

जबकि केन्द्र सरकार ने सिर्फ 65 लाख बीपीएल परिवार को ही निर्धारित किया है जोकि बिल्कुल विरोधाभासी है। इन आंकड़ों के असंगत होने से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहा गरीबी उपशमन कार्यक्रम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। इसका दुःखद पहलू यह है कि इससे प्रदेश की अशिक्षित और गरीब जनता बुरी तरह से प्रभावित होती है। तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट द्वारा सीमा तय किये जाने के बाद बीपीएल श्रेणी से जुड़े लाभों को पात्र जनता को दे पाना संभव नहीं हो पाता है। एक सच यह भी है कि अन्य राज्य बीपीएल का लाभ उठाने के लिए बेमेल और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। बेहतर यह होगा कि निर्वाचन आयोग की भांति एक स्वतंत्र बीपीएल आयोग का गठन किया जाए।

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कहा है कि सही मापदंड नहीं अपनाए जाने से समाज में आर्थिक विपन्नता और पिछड़ेपन का नया चेहरा सामने आयेगा, जो राष्ट्र और समाज के लिए बेहद खतरनाक होगा।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, मैं देश में खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई के निवेश की वजह से पारम्परिक खुदरा व्यापार और रोजगार पर जो बुरा असर पड़ रहा है, उसी पर मैं बोलना चाहता हूं।

देश में खुदरा व्यापार क्षेत्र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। गांव में, शहर में और देश के सभी हिस्सों में खुदरा व्यापार को आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। वहां पर एफडीआई के निवेश के लिए सरकार ने अनुमति दी है। इसके चलते मल्टी-नेशनल कंपनियों को सिंग्ल-ब्रांड के लिए अनुमति दी गयी थी। इसमें अपने देश की बड़ी कंपनियां रिलायंस और महिन्द्रा सरीखी कंपनियों ने प्रवेश किया था, लेकिन अब जब मल्टी-ब्रांड के लिए सरकार ने अनुमति दी है तो बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियां वॉलमार्ट-मेट्रो आदि कंपनियां प्रवेश करेंगी, जिसका असर हमारे देश की छोटी-छोटी दुकानों पर पड़ेगा।

भारत 120 करोड़ लोगों का देश है और इन छोटी-छोटी दुकानों के माध्यम से हमें बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा था लेकिन इनके आने से खुदरा व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा और लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति न दे और अगर दी है तो उसके बारे में पुनर्विचार करे। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार खुदरा व्यापार के क्षेत्र में इन छोटे दुकानदारों को कुछ आर्थिक लाभ देने की योजना बनाए क्योंकि यह उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। खुदरा व्यापार बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है, एफडीआई से इस पर बुरा असर न पड़े, सरकार इसे जांच लेकर कोई निर्णय ले। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल को माननीय हंसराज अहीर जी के विषय के साथ संलग्न किया जाता है।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति जी, मैं आज देश में बढ़ते हुए प्रदुषण पर चिंता व्यक्त कर रहा हूं। जिस इलाके से मैं आता हूं वहां हमेशा बाढ़ का प्रकोप रहता है और उसके कारण प्रदुषण फैलता है, जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरी यह मांग है कि ऐसे तमाम पिछड़े इलाकों में जहां बाढ़ के कारण प्रदूषण फैलता है, वहां अस्पताल से लेकर अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मेरा क्षेत्र बहराइच है और वहां के पानी में बहुत बड़ी मात्रा में आर्सेनिक पदार्थ है जिसके कारण बड़ी मात्रा में लोगों में बीमारियां फैलती हैं। वहां के गन्ना मिलों से जो पानी निकलता है उसके कारण लोग बीमारियों के शिकार होते रहते हैं। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए और गन्ना मिलों के पानी की शुद्धता के लिए मेरी यह मांग है कि वहां पर्यावरण संरक्षण की नीति बनाई जाए, जिससे वहां बीमारियों को रोका जा सके। अगर पर्यावरण संरक्षण की नीति नहीं बनेगी तो यूपी के पूर्वी भागों में, जहां नदियों के पानी से लोग परेशान रहते हैं बीमारियों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। मेरी यूपी सरकार और केन्द्र सरकार से यह मांग है कि इन नदियों पर मजबूत बांध बनाए जाएं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Shri Badu Deb Acharia, earlier your name was called and you were not present. Would you like to speak now or later?

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I can speak just now.

MR. CHAIRMAN: Then, you may please finish in only two minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I cannot finish in two minutes.

MR. CHAIRMAN: No, that is all. Then, we are going to the next item.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, there is a devastating flood in the State of West Bengal. Out of 18 districts, 12 districts are adversely affected. More than one lakh people have been affected because of the devastating flood. Thousands and thousands of villages are marooned. Thousands of people have been shifted from their villages and they are staying in relief camps. People are not getting food and drinking water. This is the worst situation. The situation is very grim.

The situation has been further worsened because of discharge of 1.50 lakh cusecs of water from various reservoirs under Damodar Valley Corporation. Every year five districts of West Bengal face flood situation because of excessive discharge of water by Damodar Valley Corporation. There are three reservoirs – Tilaiya, Maithon and Panchet – and Durgapur Barrage. Since their inception, these reservoirs have not been dredged. As a result of this, their capacity to hold water has declined and reduced. Moreover, another additional reservoir was to be constructed at Balpahari in Jharkhand. That has not been undertaken by Damodar Valley Corporation. As a result of this, there has been devastating flood because of excessive discharge of water.

I demand from the Government of India, as we have demanded in this House a number of times, that dredging should be done on war-footing of Durgapur Barrage as well as Tilaiya, Maithon and Panchet reservoirs. I also demand that the additional reservoir, which was to be constructed at Balpahari in Jharkhand, should also be constructed.

I demand that a Central Team should be immediately sent to assess the extent of damage that has been caused by the recent flood in 12 districts of West Bengal. The damage caused there is huge, and standing crops have been damaged in a number of

districts. The Central Government should come forward to assist the State Government financially and in other matters also.

I would reiterate that the Central Government should send a Central Team to assess the extent of damage and provide assistance to the State. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri Ravindra Kumar Pandey is also associating on this issue.

The remaining portion of submissions will be taken up at the end of the day. Today, we will skip the lunch break and take up the Legislative Business.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैंने शून्य प्रहर में बोलने के लिए नाम दिया है। … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We will take up them at the end of the day.

… (*Interruptions*)

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदय, मैंने भी अपनी बात सदन में कहनी है।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, शून्य प्रहर में बोलने के लिए मैंने भी अपना नाम दिया है।

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Some more submissions are there. We will take up them at the end of the day. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let me inform you that we are not taking all the *'Zero Hour'* submissions at the same time. It is always taken-up in two installments. So, the remaining portion will be taken up at the end of the day, and this is the practice that we are following.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मैंने भी ज़ीरो ऑवर के लिए अपना नोटिस दिया है। आज मैम्बर्स को जाना भी है, इसलिए ज़ीरो ऑवर अभी ले लीजिए।…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: All the remaining submissions will be taken up today at the end of the other business. Why do you not please adjust?

… (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, हमारी दो बजे ट्रेन है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Okay. All of you can take only two minutes each. I will be very strict on this.

… (*Interruptions*)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): There should be equal justice. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The protest is taken in its true spirit, but I will allow only for two minutes each. Shri Shailendra Kumar.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विशेष उल्लेख पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामला इस सदन में उठाना चाहता हूं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपनी गायकी को लेकर मोहम्मद रफी जी का नाम बहुत ऊंचाइयों पर है और बड़े सम्मानजनक तरीके से उनका नाम लिया जाता है। उनके गाने सदाबहार हैं जो कभी पुराने नहीं हो सकते। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मोहम्मद रफी साहब को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाए, उससे उन्हें अलंकृत किया जाए ताकि इस देश का सम्मान बढ़े और देश में गायकी को लेकर जो प्ले बैक सिंगर्स हैं, उनका भी मान-सम्मान बढ़े।

श्री पन्ना लाल पुनिया : सभापति महोदय, मैं श्री शैलेन्द्र कुमार जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान एक ऐसी भेदभावपूर्ण नीति की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके चलते मध्य प्रदेश के जो 35 लाख वहां पर आवास हीन परिवार हैं जिसका मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सर्वे किया है, उसमें 35 लाख से अधिक आवासविहीन परिवार मिले हैं लेकिन उन परिवारों को इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ लगातार भयंकर भेदभाव होता रहा है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। मेरा उन राज्यों से कोई विरोध नहीं है। भले ही उनका और कोटा बढ़ा दिया जाए लेकिन फिर भी मैं सदन और सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 3,32,000 से अधिक और बिहार को 7,37,000 से अधिक...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not mention statistics, and only make your point.

… (*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : सर, मैं प्वाइंट ही दे रहा हूं। गुजरात को भी आपने इसी तरह से दिया।...(व्यवधान) मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जिन राज्यों को आपने लाखों की संख्या में इंदिरा आवास दिया है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? हमें मात्र 76000 आवास मिले हैं जबकि राज्य सरकार ने ढ़ाई से पौने तीन लाख की मांग की थी। लगातार हमारी सरकार आपसे बातचीत कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश के इन आवासविहीन परिवारों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि एक समान व्यवहार पूरे देश के साथ करिए। हर राज्य को आज आवास की जरुरत है। इसलिए बराबर के अनुपात में दीजिए। या तो जनसंख्या का अनुपात हो या पूरी संख्या का अनुपात देखिए लेकिन मुझे लगता है कि इसमें न्याय करने की जरुरत है।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। भारत सरकार के मल्टी सैक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत देश के सभी मुस्लिम बाहुल्य जिलों में बजट का आबंटन किया गया था जिसमें मेरा लोकसभा क्षेत्र भी आता है। जनपद के विभिन्न कार्यों के लिए 51,70,00,000 रुपए का परिव्यय आरक्षित किया गया। इसमें से 50,77,00,000 रुपए का कार्य पूरा स्वीकृत हो गया। बताया गया है कि अवशेष 92.79 लाख का कार्य प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है। इस प्रकार बाराबंकी जनपद के लिए भारत सरकार द्वारा मल्टी सैक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत कुल बजट समाप्त हो गया है। जिले की स्थिति को देखते हुए और अधिक बजट देने की आवश्यकता है। अतः मेरा निवेदन है कि बाराबंकी जनपद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार किन्तूर, सुबेहा, हसनपुर टांडा, लालपुर करोता, गणेशपुर, हैदरगढ़, बासा, ब्याहारा के लिए बालिका इन्टर कालेज खोलने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया जाए ताकि बाराबंकी जैसे पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में समुचित विकास कार्य किया जा सके जो अन्य जनपदों के मुकाबले अधिकांश विकास मानकों में बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। संतुलित विकास तथा इस जनपद की आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता के रूप में अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद।

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of serious public importance.

You must be aware of the fact that in 2003, the Government of India and the State Government of Assam had signed a political agreement with the leaders of the erstwhile Bodo Liberation Tigers (BLT). In the second Bodo political agreement particularly, the Government of India had inserted one clause, that is, clause 8, by way of assuring the Bodo people that the Bodo people living in Karbi Anglong and North Cachar Autonomous

Districts would be given the status of Scheduled Tribes. But in spite of having lapsed long seven years, till today, clause 8 of the Bodo Accord has not yet been implemented.

Through you, Sir, I would like to urge upon the Government of India to take appropriate steps to help include the Bodo Kacharis living in Karbi Anglong and North Cachar Hills in the list of Scheduled Tribes without any further delay. सात साल बीत गए लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया गया। वर्ष 2002 में असम सरकार की तरफ से इस मुद्दे की भारत सरकार से सिफारिश की गई थी। The inaction of the Government of India has hurt the minds and sentiments of the Bodo people living in Karbi Anglong and North Cachar Hills. The Bodo people living in the plain districts of Assam have been given the Scheduled Tribes status, whereas the Bodo people living in two-hill Districts in Assam have been deprived of the Scheduled Tribes status.

MR. CHAIRMAN : Please come to the point. You have made one point mentioned in the notice. You cannot raise the whole issue of Bodoland now.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps to include the Bodo Kacharis living in the Karbi Anglong and North Cachar Hill Autonomous Districts in the list of Scheduled Tribes without any further delay. Thank you.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत और महत्वपूर्ण विषय पर अपना पक्ष इस सदन में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के सहयोग आप्रेशन फ्लड योजना के तहत 1971 में 39 जनपदों में सहकारिता उपक्रम स्थायित्व देकर दुग्ध उत्पादक जनता कामगार उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया। इससे पहले इसी कार्यक्रम को प्रदेश ग्रामीण अंचल में विकसित करने में शासन दुग्धशाला विकास संघ 1963 में दुग्ध सहकारिता को बंद कर चुका था। 1971 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटिड संस्था ने दुग्ध सहकारिता का क्रियान्वयन कराकर दुग्ध उत्पादक किसानों और कामगारों को लाभ और रोजगार दिया था। दुग्धशाला विकास का जवाहर नगर भवन कार्यालय पीसीडीएफ लिमिटिड संस्था का क्रियाकलाप संचालक मंडल द्वारा किया जाता था लेकिन शासन ने 1999 में उसे प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर भ्रष्टाचार और घोटालों का बढ़ावा देकर आज पूरे देश में 39 जनपदों में सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद, फतेहपुर, जेपी नगर दुग्ध संघों की तालाबंदी घोषित कर चुका है।

13.00 hrs.

इसके अलावा कानपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, इटावा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर को बंद करने के लिए तैयार हैं। जिसके कारण 43 हजार कर्मचारी सड़क पर आ जायेंगे। पूरे प्रदेश में पीसीडीएफ कर्मचारी संघ हड़ताल पर हैं। उन्हें लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवार तथा बच्चे बहुत परेशान है। 16 करोड़ रुपये प्रदेश में किसानों के बकाया है, जिसके कारण लगभग दो लाख किसान भुखमरी के कगार पर हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को नये उद्योग लगाने की कोई उत्सुकता नहीं है। बल्कि जो पुराने उद्योग थे, उन्हें भी बंद किया जा रहा है, चूंकि आज उनकी जमीनें कीमती हो गई हैं और वे प्राइम लोकेशन में आ गई हैं, इसलिए सरकार उन्हें बेचने जा रही है।

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बोलिये।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे कानपुर जनपद में ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : What is your demand to the Central Government?

श्री राजाराम पाल : हमारे कानपुर जनपद में एक बड़ी संस्था थी, जिसके कर्मचारी हड़ताल पर है। इसलिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री से डिमांड करता हूं कि 43 हजार कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा दो लाख किसानों के बकाया धन का भुगतान करने के लिए आर्थिक सहायता करें और पीसीडीएफ संस्था को सहकारिता कार्यक्रम के तहत एनडीडीबी के अंतर्गत लेकर इसे संचालित करने का काम करें तथा उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान करने का काम करें।

SHRI KAMAL KISHOR ‘COMMANDO’ (BAHRAICH): Sir, I may be also permitted to associate with Shri Rajaram Pal.

MR. CHAIRMAN: Okay. Your name will be associated.

13.02 hrs.

NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2010

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up item No. 12. Shri Kapil Sibal to speak.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, with your permission, I beg to move…

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, हाउस में कोरम पूरा नहीं है और आप बिल टेक-अप कर रहे हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We are sitting during lunch hour. So, during the lunch hour, quorum is not raised.

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल : लेकिन हाउस में कोरम तो होना चाहिए, आप बिना कोरम के हाउस कैसे चला रहे हैं।

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Conventionally, we do not ask for the quorum during lunch time. You please understand that. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल : लेकिन सभापति महोदय कोरम होना चाहिए।

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is a convention. Please understand this. Please ask your senior Members. प्लीज, आप कांटीन्यू कीजिए।

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल : इसका मतलब यह है कि सरकार सीरियस नहीं है। कम से कम इनके मैम्बर्स तो हाउस में होने चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Why do you not understand? I have told you. Please understand that during lunch hour normally quorum is not asked for. So, please understand that. If you are insisting on that, please tell me.

… (*Interruptions*)

श्री देवजी एम. पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी नहीं है? यह गवर्नमैन्ट बिल है, इसलिए हाउस में मैम्बर्स होने चाहिए। चूंकि यह गवर्नमैन्ट बिल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हम यहां सुनने के लिए ही बैठे हैं।

MR. CHAIRMAN : The bell is being rung--

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, there is a quorum. Hon. Minister, Shri Kapil Sibal may continue.

SHRI KAPIL SIBAL : Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration."

Sir, the National Institutes of Technology Act, 2007 covered about twenty NITs. It was in operation for about 34 months. In the meantime, the Government of India in the context of expansion in the education sector decided to set up five Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs). They started their courses in 2008. Now three years have passed and many have completed their courses. They have to get their degrees. There was no statute under which they were recognized as degree granting institution. So, we needed to bring the Indian Institutes of Science Education and Research under the 2007 Act, as institutions of national importance and include them in the Schedule.

While the amendment was sent to the Standing Committee, after the Bill was introduced on April 15, 2010, the Standing Committee in the course of consideration of the Bill referred to the Cabinet decision of 17th of September, 2009 saying that the Government has decided to set up ten new NITs. As you know the Government had decided that there should be no State or Union Territory in this country which does not have a NIT. So, we decided to set up ten more NITs at Arunachal Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Goa, Delhi, Uttarakhand and Puducherry. Goa was to cater to Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep.

The Standing Committee suggested that since these ten NITs are set up, they should also be included in the present Act. In the course of the deliberations of the Standing Committee, they also suggested that we need to take care of some transitional provisions in the context of the governance of the NITs and IISERs, it is important to make governance more streamlined. They indicated that the Board of Governors set up under the IISERs Council, the Council had very little role to play. They said that the members of the Board of Governors in IISERs are 16 in number. They indicated that this was too large and in fact, they should be reduced because in the NITs, the members in the Board of Governors are eleven in number. They said that there was an over-representation of the Central

Government amongst the nominees in the Board of the IISERs and that experts in the Board are also nominated by the Central Government.

They said that the IISER Council does not have any say in the nomination of those Members to the Board of Governors. So they said let us change the composition of the Board of Governors; let us reduce the number of Secretaries that are included, instead of three let us reduce them to two; reduce the number of eminent scientists also from three to two and at least one of them should be a woman who has special knowledge or practical experience in respect of education, engineering or science to be nominated by the Council not by the Government.

Then they suggested that it is better to reduce the number of *ex-officio* members, which is five Secretaries, to four representing Ministries and Departments of the Government of India dealing with biotechnology, atomic energy, information technology and space. They were to be *ex-officio* members. The further suggestion was that in most of these Boards of Governors when the Secretaries are nominated, the Secretaries and the Chief Secretaries of the States do not have the time to attend the meetings of the Board of Governors. So, what is the point of nominating the Secretary of a Central Government Department and the Chief Secretary of a State when he has no time to attend the meetings? So, it is better to amend it by allowing the Secretary of the Government of India to nominate somebody so that at least there is proper representation of the Central Government, and similarly the Chief Secretary of the State may nominate somebody as an *ex-officio* member.

Those are the broad parameters of the amendment that I am moving. I might just indicate that today in the context of the 21st century we need to make our institutions more competitive. We need to amend the governance structure of these institutions, both government and private. We need to have representation of experts from outside the system instead of these institutions being controlled by officials. We must ensure industry representation in the Board of Governors, representation of scientific experts into the Board of Governors, representation I believe also of alumni, which so far has not been done. Who is really interested in the institution? It is the student who has passed out of the institution

who cherishes memories and has deep affection for the institution and, therefore, would like to invest in it and achieve greater heights.

So, I think that as this House considers some of these issues, we should evolve consensus. Any discourse on education should be above party politics. Educating our youths is investing into the future of India. Our young people, no matter where they are and to which community they belong, are entitled to quality education. These are institutions of quality. The NITs, the IISERs are institutions of quality. But they do not have appropriate governance structures to be able to compete with the rest of the world and create knowledge which alone is the wealth of any nation.

The wealth of a nation is not the infrastructure of an institution. The wealth of a nation is not the amount of fees that the institution charges. The wealth of a nation is not also the representation on the Board of Governors of people of so-called high eminence. The wealth of a nation ultimately is the creativity of the student community. And the creativity of the student community will only come about if you allow the student community the freedom to think and give it the necessary infrastructure so that they can actually realise the dreams that they have for themselves, for their families and for their country.

We have done a lot, this Government has done a lot for expansion of the education sector but I think we have to do much more for quality. Expansion alone will not take us where we want to be. This is a small step, Sir, I request the distinguished Members of this House to take this Bill into consideration.

MR. CHAIRMAN: Thank you, hon. Minister.

Motion moved:

"That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Janardhana Swamy.

SHRI JANARDHANA SWAMY (CHITRADURGA): Mr. Chairman, Sir, I may be permitted to speak from here.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI JANARDHANA SWAMY : My name is Janardhana Swamy, and I represent the Chitradurga Lok Sabha Constituency in the State of Karnataka.

Mr. Chairman, I thank you and my Party for giving me an opportunity to initiate a discussion on the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010.

First of all, I would like to express my sincere appreciation to the hon. Minister, who is trying his best to improve the present situation. However, I would like to share some of my observations with the hope that the hon. Minister considers them seriously.

At present, there are 20 National Institutes of Technology which are governed by the National Institutes of Technology Act, 2007. The proposed Bill amends the National Institutes of Technology Act, 2007 to declare certain institutions of technology as institutions of national importance.

Before we go further, I would say that the names 'Indian Institute of Technology' and 'National Institute of Technology' are fundamentally very confusing. When we say 'national', are we not referring to India, in this country? The words 'national' and 'Indian' are inter-changeable in most common use. Thus, the Minister must demonstrate his commitments to aid the modest students and their parents by correcting this confusion.

Saying 'this as an error that was done long back' can only be an excuse to carry this further by doing the least. The hon. Minister must use his position and the opportunity for correcting this than letting this confusion slide further into the future.

The newly established five Indian Institutes of Science Education and Research, which the hon. Minister mentioned, are at Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram; they are to be declared as institutions of national importance. I must say that it is terribly confusing to call these five newly established institutions as Indian Institute of Science Education and Research, while we already have the Indian Institute of Science at Bangalore. Are they not different? If they are different, why should we call them with similar names? Further, by calling the new institutes as Indian Institutes of Science Education and Research, would have the danger of implying that there is no education and research in the present Indian Institute of Science at Bangalore. We should pay attention to these preventable errors.

The vision of these institutes is said to be the creation of institutes of the highest calibre in which teaching and education in the basic sciences will be totally integrated with the state-of-the-art research. However, nowhere in the Bill, it is clear to me, how we are going to accomplish that. Is it because we have already accomplished this in other similar institutes and we just want to replicate this in these new institutes? Or is it because we have not accomplished this with other similar institutes and hence, we are trying it out here? You may kindly clarify this.

This is an important Bill; this demonstrates the importance of R&D in our country. As I mentioned during the debate on the Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010, on the 24th March 2011, we must also care for the quality of education at the lower levels as they are the feeding channels for the higher education and R&D, without which our ability at the higher levels will be highly limited.

In a broader sense, we must change the education system entirely. Even in institutes like IITs, NITs, IISc, and also in other engineering, medical and other colleges, we are producing graduates who will just read, remember and reproduce, for the sake of examinations, without really making them understand what they really study.

In a way, we are turning them to be a kind of 'memorizing devices' who will vaguely remember what they study than 'thinking individuals', who will apply their learning and knowledge in their real life applications. Arguably, most of our engineers, doctors, Ph.Ds, coming out of our institutions today, are understanding as little as 10 per cent or even less, of what they study. You can imagine what to expect from someone with 90 per cent gap in their understanding of what they are educated in.

As a result, we have turned our institutions as just certificate printing factories. It is a serious waste of public money and valuable time of our students and significantly compromises our country's ability to compete in the global environment.

When it comes to the funding, the present total funding outlay for all the new five Indian Institutes of Science Education and Research is about Rs.2000 crore. In contrast, a foreign institute may spend as much as tens of thousands of crores putting out institutions at highly disadvantaged situation when it comes to compete with the foreign institutes on

infrastructure, laboratory, communication, computing and so on. We should consider increasing the budget to these institutions further.

I agree with our several distinguished Members here that we do not really need to follow any particular country's model. Having worked in the United States and other countries for more than a decade prior to contesting in the Lok Sabha elections, I think there are a few good things in every country's model if we know how to spot them. We should explore, learn, debate, understand and adapt these items as suitable in our situation.

I think there is always a good return for the country when it comes to investing in education. I propose we take this opportunity to lead other countries by investing more in the quality and affordable education to every child and youth of this country thereby setting our own standards for others to follow.

Presently, the situation at most of the old and new National Institutes of Technology is so bad that there is no full-time Director in some institutes. For example, National Institute of Technology, Calicut has been without a full-time Director since October 2010. No promotions or other benefits are being given since the Board meeting is pending for the past nine months. It is also said that more than 200 vacancies have not been filled.

Therefore, just calling these institutions as institutions of national importance is not a great step forward unless we fund them properly, staff them adequately and challenge them to produce the world class results thereby making India a true leader in the science and technology in the coming years. We must not forget the clear link between the strong economy and the R&D and a clear link between the useful R&D and the quality education for our country.

Thank you again for providing me this opportunity to initiate the discussion on this Bill. I hope, several distinguished Members in this august House will have more to add.

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Thank you, Chairman, Sir. I am here to support the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 being brought before the House by the hon. Minister of Human Resource Development.

Mr. Chairman, Sir, we had around 2048 such technology institutes in our country. Now, because of the Government giving thrust to a great extent to the technical education, the number of institutions, both Government and private, including the IITs and NITs has gone up to 8000. I remember and salute the great visionary leader, our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. He felt it wise and necessary that this nation has to stand before other nations who are developed in the field of science and technology and that was the time when a lot of science and technology institutes were introduced in the country.

Though our Government is spending a lot in this regard, much more needs to be done in the field of technical education. The noble intention of the hon. Minister is to develop a visionary mechanism of governance, a perfect regulatory and monitoring system which we are lacking. Today, there are deficiencies in Indian institutions, whether it is IITs or NITs. They have to be strengthened. Through this Bill, the Government is going to apply its visionary effort to consolidate technical education.

The Government of India is spending around Rs. 13,100 crore in the field of higher education and an additional Rs.5,660 crore for the technical education in our country. This comes to around 3.78 per cent of our GDP. But I am sorry to say that in 1960, the Kothari Commission had recommended for six per cent of GDP to be spent in the field of education. If it was a recommendation in 1960, then what would be the requirement now? The population has been developing like anything. In five years, the budgetary system is going to be spent around Rs. 20 lakh crore. When money is being distributed to the people and inclusive growth is the agenda, there is hunger for the technical education of students in the nation and to compete with the whole world, the Indian students are striving their best by running from pillar to post. But because of their financial incapability and poverty situation, they are unable to get this technical education in their respective localities.

Keeping in mind all these aspects of the nation, the Government should also think what are the requirements today in the field of technical education. What should be the

expenditure and how many numbers of technical institutes should be there in the nation? That should be the parameter of the Government.

We have shortage of faculty in these institutions. I would like to know whether this aspect has been looked into and whether the institutions have conducive atmosphere or not. The faculty should have perfect atmosphere in the institutional areas so that the children are looked after well and given proper primary education and high school education. I would like to know whether they have other facilities in that locality so that they can sustain in that area to impart the technical education and strengthen these technical educational institutes. There are a number of private institutions, which do not have even 50 per cent of the staff in their institutions but still these institutions are running. They are giving certificates to the technically qualified engineers. But if you examine their performance and excellency, it is just zero. They are not able to render best service to the nation, even though, they are qualified and they are getting degrees.

So, this is one of the deficiency areas that should not be ignored. I would request the hon. Minister to give a lot of emphasis on this and see what are the facilities, which we are unable to provide to these faculty.

Almost in all the institutions, we have the requirement of around 93,000 number of faculty in the coming years. But you do not have institutions to create 93,000 faculties in the country. So, number of institutions should increase. We are definitely proud of IITs like Kanpur, Kharagpur, Roorki, Pune and many others. But they also need a lot of governance reform in their institutions. The glamour of these institutions is dying gradually. The Government must restore the dignity and glamour of these institutions so that they could have its name and fame around the world. The students from all over the world used to come over here. That should further continue.

Our other Institutions whether it is the 15 IITs or 30 NITs, all these Institutions need to have proper attention so far as the provision of faculties, provision of basic infrastructure and other facilities are concerned. I would like to present one major area in this House. What was the thrust of our freedom fighters? What was the thrust of our leader, Shri Rajiv

Gandhiji? It was to strengthen the whole younger generation of this country. But I am sorry to say that we are unable to fulfil the dreams of our visionary leaders.

A few States like Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala only have developed from technical education point of view. But in other parts of India, people are deprived of it. Forget about the States like Orissa or Jharkhand or Chhattisgarh or Uttarakhand which are backward States and their population is Scheduled Castes, Scheduled Tribes and weaker sections of people. They cannot develop unless they are given special importance in the field of technical education. You should spend more money in the backward regions of the country. You are spending IIP fund to provide basic facilities in the naxalite and Maoist affected areas. The engineers present over there cannot spend even Rs.5 lakh or Rs.10 lakh a year but they have been given to spend Rs.2 crore. They are drawing Rs.4000 as salary. How could we develop these under developed areas with this kind of system? Unless and until, the students could come out, get themselves educated from these institutes and are from that particular area, they cannot serve in that area, with the result, infrastructure development cannot take place.

Our Minister is a visionary person and he is giving a lot of emphasis on education and a revolutionary step like Right to Education has come into effect. But this is a major area for suffering class people. Gandhiji had given emphasis to the suffering class people of the nation. In the system of education, for this suffering class area, regional imbalance is there. From the education point of view also, imparting technical education is also highly needed to give a thrust.

Take for example my area of KBK region, that is, Koraput, Bolangir, Kalahandi region. In all eight districts constitute the KBK region. In this region, there is no such institute even though the Government of India is giving special funds for that. When Rajivji was there, he made a programme called ADOPT. From then onwards, the KBK region came and North-Eastern Development Council came into formation. But the technical education is not taking place over there.

So my urge would be that Bhawanipatna is the headquarters of the KBK region. Why not for the backward region, the Government should have an institution of NIT nature

to impart technical education to the youngsters of that region? The economic capacity of that area is well understood by everybody and I do not like to emphasise on that. It would be my urge to the hon. Minister and the Government of India that in future whatever plans and schemes come, they should be distributed properly to the under-developed regions of the country whether it is my area or whether it is other neighbouring States so that the regional disparity is not there. Educationally all sections, and categories of people from all regions could grow to contribute to the development of the nation as a whole.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय विद्वान मंत्री, श्री कपिल सिब्बल जी जो ये विधेयक लेकर आए हैं, इसका हम सपोर्ट तो करेंगे ही, लेकिन इस पर मैं आपको थोड़े से सुझाव देना चाहूंगा।

आज अगर देखा जाये तो आप राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान के लिए जो संशोधन लेकर आये हैं, उसमें बोर्ड बनाने की बात आपने कही है। मैं विधेयक में देख रहा था कि 20 राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान बनाने का आपका लक्ष्य है, जिसमें आपने 2808 करोड़ की लागत बताई है कि उसमें लागत आएगी। आज देश में भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थानों में आपने कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, त्रिवेन्द्रम के जो संस्थान हैं, उनको आपने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बनाने का एक लक्ष्य रखा है, जिनको आप शत-प्रतिशत केन्द्र के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।

जहां तक देखा गया है कि 2009-2010 के बजट में 2115 करोड़ रुपये आपने 11वीं पंचवर्षीय योजना में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षण संस्थानों के लिए रखे हैं। एन.आई.टी. की स्थिति अगर देखें तो आज योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है और समय-समय पर इस पर सवाल भी उठे हैं। संसद् की जो स्थाई समिति है, उसमें मैम्बरों ने भी सवाल उठाये हैं, जबकि हमारे देश में आज वैज्ञानिक और प्रभावशाली योग्य युवाओं की कमी नहीं है और वे एक अच्छे शिक्षक भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उनको आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

आपका लक्ष्य है कि देश के अन्दर शिक्षा का प्रचार-प्रसार अत्यधिक हो और इसके लिए आपने दो लाख सीटें भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मुझे इस बात की खुशी है और मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षित सीटों पर आप ट्यूशन फीस भी नहीं लेंगे, उनको पढ़ाने का जो आपने लक्ष्य रखा है, मैं चाहूंगा कि गरीब छात्रों का जो पांच प्रतिशत आपने रखा है, उसे कम से कम 50 परसेंट करें, क्योंकि आज हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है। खासकर जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स हैं, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या उच्च वर्ग के भी बहुत से गरीब लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे बेचारे बैंकों से लोन लेते हैं और बैंकों से लोन लेने में उनके गार्जियंस को बड़ी दिक्कत होती है और वे पैसों का भुगतान भी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि उनको घर की खराब माली हालत में जमीन तक बेचनी पड़ती है और अपना मकान तक बेचना पड़ता है, यह स्थिति है।

मैनेजमेंट कोर्सों के लिए 80 हजार और आर्कीटैक्ट कोर्सों के लिए 2200 सीटें आपने बढ़ाई हैं, इनको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। नये संस्थान खोलने के लिए जमीन की भी जरूरत पड़ती है, उसमें आपने रियायत बरती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने उसकी सीमा 10 एकड़ रखी है और शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़, यह सही है। आज भी ज्यादातर गांवों में देखा जाये तो सीमान्त और लघु कृषक हैं या ग्राम सभा की जो परती, ऊसर या बंजर जमीनें हैं, उनमें भी

कमी आई है, लोगों के पट्टे हुए हैं तो मेरे ख्याल से जो 10 एकड़ की सीमा रखी गई है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। 10 से 5 एकड़ कर दें तो मेरे ख्याल से उपयुक्त होगा।

3200 इंजीनियरिंग कालेज आपने खोलने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पांच लाख छात्र तैयार होकर निकल रहे हैं, उनमें बहुत से लोग बेरोजगार हैं। आज आई.टी. के प्राइवेट और सरकारी तमाम संस्थान खुले हैं। आज बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमें अपना बायोडेटा देते हैं कि साहब, हमें कहीं किसी प्राइवेट कम्पनी में रखवा दीजिए। उनकी संख्या बढ़ रही है, आप संस्थान भी खोल रहे हैं, उनको सुविधाएं भी दे रहे हैं, लेकिन उनको कहां एकोमोडेट करेंगे, उनको कहां पर रोजगार देंगे, यह व्यवस्था भी...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This Bill has been allotted 2 hours. Today is Friday and we have to finish it before the Private Members' Business.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। मैं बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव दे रहा हूं, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। ...(व्यवधान) आज बोलने दीजिए। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उनके रोजगार के लिए जो शिक्षा आप दें, वह रोजगारपरक हो, उनको रोजगार भी दें। आई.टी. के क्षेत्र में छात्रों का रुझान कम हुआ है और बहुत सी ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि बहुत से आई.टी. के संस्थान बन्द हुए हैं। आज दुख होता है कि देश की आजादी के 62 वर्ष बाद, जबकि जब स्वतंत्रता मिली तभी अनिवार्य शिक्षा लागू कर देनी चाहिए थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, इसे बहुत पहले आपको लागू करना चाहिए, अब बहुत देर हो चुकी है। आज इसकी दशा किसी से छिपी नहीं है। आज आप देखें कि बहुत से स्कूल हैं, जहां भवन नहीं हैं, फर्नीचर नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, तमाम ऐडेड स्कूलों में कई-कई महीने अनुदान नहीं दिए जाते हैं, इसलिए निचले स्तर पर स्थिति सुधारने की बहुत आवश्यकता है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें संतोषजनक परिणाम भी देने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे।

महोदय, केंद्रीय अध्यापक पात्रक परीक्षा, सीटीईटी की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उसे आपको दूंगा। विद्यार्थियों का एक डेलीगेशन मेरे पास आया था। इसमें रिजल्ट भी लगा हुआ है, जिसमें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनाक्रोश है। मेरे पास डेलीगेशन आया था। मैंने पत्र लगाकर आपको देने के लिए तैयार रखा था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब इस बिल पर डिस्कशन होगा, तो इस बात को मैं जरूर रखूंगा। ट्रिपल आईटी में संचालन बोर्ड बनाने की बात आपने कही, जिसमें उनके दाखिले हैं, फीस है और स्टाफ के वेतन और भर्ती संबंधी तमाम पॉवर उनको दी हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि किसी की मोनोपोली न हो और गड़बड़ी न हो, इसका भी मूल्यांकन समय-समय पर होना चाहिए। हमारे इलाहाबाद में तीन संस्थान हैं, ट्रिपल आईटी भी है, पिपलगांव हमारे घर से बहुत नजदीक है और मोतीलाल

इंजीनियरिंग कालेज भी है। उसकी हालत बहुत खराब है। वहां समय-समय पर कर्मचारियों की हड़ताल होती रहती हैं, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। व्यावसायिक शिक्षा पर अलग से बोर्ड बनाने के लिए आपने एक लक्ष्य रखा है और राज्यों से विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक मूल्यांकन किया जाए तो व्यावसायिक शिक्षा में हमारे यहां छात्रों की उम्र केवल 18 साल है। अन्य देश जैसे ब्रिटेन में 14 वर्ष, चीन में 12 वर्ष, फ्रांस में 11 वर्ष और ब्राजील में 16 वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने छात्रों को देते हैं, उसमें इन छात्रों की शिक्षा की शुरूआत माध्यमिक स्तर से ही करनी पड़ेगी, तभी जाकर उम्र का रेश्यो कम हो पाएगा। अभी आपने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को टेक्निकल एजुकेशन पर डिस्कशन करने के लिए बुलाया था। इसमें राज्यों का रूझान कम हुआ है। केवल आधा दर्जन राज्य ही इसमें आए। इसमे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान सहित आधा दर्जन राज्यों के लोग आए। उसमें उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने सवालिया निशान उठाया कि केंद्र राज्यों की अनदेखी करता है। कई मुद्दों पर देखा है कि सदन के अंदर राज्य केंद्र पर और केंद्र राज्य पर ब्लेम थोपता है, उन पर आरोप लगाते हैं। जो बिल आप लेकर आए हैं और व्यायसायिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, उनकी बेहतरी हो, अच्छे विद्यार्थी निकलें, उनको रोजगार मिले, यह हमारा प्रयास होना चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलाजी अमेंडमेंट बिल, 2010 जिसे माननीय मंत्री जी लेकर आए, वह बहुत सूक्ष्म लेकर आए हैं। केवल इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो पांच इंस्टीट्यूट बने हैं, उसको लाने के लिए और कुछ डायरेक्टर्स वगैरह के लिए ही है। मेरा कहना है कि हम बार-बार अमेंडमेंट ले आते हैं और सदन का भी समय दो-तीन घंटे जाया होता है। एक कांप्रिहैंसिव अमेंडमेंट आना चाहिए। एनआईटी में आज जहां तक मैं महसूस करता हूं, एक व्यापक स्तर पर संशोधन की जरूरत है। आपने स्टेटवाइज कह दिया कि बीस एनआईटीज आलरेडी पूरे देश में आज की डेट में हैं, दस और आप बनाने जा रहे हैं। इससे लार्ज स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बड़े राज्यों को डिसएडवांटेज होता है। उत्तर प्रदेश बीस करोड़ आबादी से अधिक का राज्य है। वहां एक एनआईटी है। यह बात बार-बार उठती है, उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की बात होती है, स्टेट के डिवीजन की बात होती है। मेरा कहना है कि जो बड़े राज्य हैं, जहां आबादी अधिक है, आबादी के अनुपात में एनआईटी के स्टैब्लिशमेंट करने का प्रयास करें।

कम से कम इलाहाबाद में है तो बुंदेलखंड में हो जाए, वेस्टर्न यूपी में हो जाए मिडल यूपी में हो जाए। इस तरीके से आप करें यह मेरा सुझाव है। बारबार फिर हम एक अमेन्डमेंट ले कर आएं कि दूसरे स्टेट्स में इस तरीके, हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम एक बिल सदन में लाएं तो एक काम्प्रिहेन्सिव प्लानिंग कर के आया करें। आप वकील हैं। आप से उम्मीद करता हूं कि आप जब भी आएंगे तो बेहतर तरीके से आएंगे। मैंने एक-दो बार देखा हूं कि आप छोटे-छोटे अमेन्डमेन्ट ले कर आ जाते हैं। एन्ट्रन्स इग्जाम, इसमें एक और व्यापक सवाल है। कम से कम नेशनल लेवल पर जैसे आईआईटी हो गया,एनआईटी आप ने बनाया। इसका आप तीन अलग-अलग इग्जाम कराते हैं। ज्वाइंट एन्ट्रन्स टेस्ट कराते हैं, आईआईटी कराते हैं, एआईईईई कराते हैं आप। एक अम्ब्रेला के नीचे एक ही इग्जाम कराइए। इस संबंध में सदन में हमारे साथियों ने बारबार बात उठाइ कि इससे गरीब छात्रों को दिक्कत होती है। इंजीनियरिंग का एक ही टेस्ट देने के लिए बच्चे अलग-अलग तीन बार एक हजार रूपये, दो हजार रूपयें या तीन हजार रूपये के फार्म खरीदते हैं। इससे उनके ऊपर कितना वित्तीय संकट आता है? आप एक इग्जाम कराइए और उसमें से मेरिट बना दीजिए या कैटेग्राइज्ड कर दीजिए। उसमें से जो इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आएंगे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। यह मेरा महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने जवाब में इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। खासतौर से छात्र हितों का ध्यान देंगे और गरीब बच्चों का भी ध्यान देंगे। इसमें मैं एक कठिनाई महसूस करता हूं कि हमारे यहां जब लड़का बारहवीं कक्षा पास कर जाता है तो वह इंजीनियरिंग का एन्ट्रन्स इग्जाम देने के लिए योग्य है। इंजीनियरिंग इग्जाम के पेपर अगर उसी स्टैंडर्ड में रहें तो ज्यादा अच्छा है। मैं देख रहा हूं कि देश में बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश हो गए हैं। कोटा जैसे कई शहर केवल कोचिंग इस्टीट्यूट्स की अर्थव्यवस्था पर चल रहे हैं।

इस देश में इस संबंध में कोई रेग्युलेशन नहीं है। यहां कोचिंग इस्टीट्यूट्स को लेकर कोई रेग्यूलेटरी बॉडी नहीं बनी है। कोई रेग्यूलेशन न राज्य ने बनाया न ही केन्द्र सरकार ने बनाया है। इसमें एक-एक बच्चे की फीस 50 हजार रूपये, 1 लाख रूपये, या डेढ़ लाख रूपये लेते हैं। उनकी फीस लेने की कोई सीमा ही नहीं है। मेरा यह कहना है कि जब सिलेबस स्टैन्डर्ड रहेगा तो निश्चित तौर पर जो गरीब बच्चे हैं, जैसा अभी शैलेन्द्र जी ने कहा कि गरीब आदमी भी अपनी जमीन बेच कर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। निश्चित तौर पर कोचिंग में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए कोर्स को इस तरह से स्टैन्डर्डाइज करें कि बारहवीं का बच्चा इंजीनियरिंग इग्जाम को कम्पलिट कर सके उन्हें कोचिंग की जरूरत न पड़े। अगर कोचिंग जाने की जरूरत पड़े तो सरकार अपने लेवल पर एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराए। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने यूपीए-टू के अभिभाषण में कहा था कि हम हायर एजुकेशन में व्यापक स्तर पर रिफॉर्म ले आएंगे। रिफार्म की प्रक्रिया में मैं आपको एक-दो सुझाव दे रहा हूं। एक बात मैं और कहूंगा कि बारबार कुछ मुद्दों पर यह बात उठती है। जो बुनियादी सवाल हैं जैसे एजुकेशन और हेल्थ है इन मुद्दों पर हम बारबार यह कहते हैं कि केन्द्र विषय, राज्य विषय, अलग-अलग समवर्ती सूची तो कम से कम जो जनता के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए जो सवाल है इस बारे में कम से कम एक कंसेस स्टेट को लेकर बनाना पड़ेगा। अब यह दौर आ गया है। अब आप देख रहे हैं इस देश में किस तरह का वातावरण बना हुआ है। यह दौर जरूर आ गया है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार सदन में अपनी बातों को रख दें, सरकार अपनी बातों को रख ले। सरकार है, आज आप हैं, कल वह रहेंगे। कोई परसों इधर रहेगा। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर बिल ले आती है। अपनी बात मनवा ले जाती है, ऐसा न हो। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जन सुविधाओं से जुड़े जो मूलभूत सवाल हैं, बुनियादी सवाल है उस पर हम लोग कम से कम स्टेट के साथ सामंजस्य बना कर, निश्चित तौर पर हम लोग यहां स्टेट, नेशन और पब्लिक के वेलफेयर के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर इन सवालों से जब हम भटकेंगे और दोषारोपण का दौर जब हम शुरु करेंगे तो निश्चित तौर पर जनमानस हमारे खिलाफ खड़ा होगा। यही कठिनाइयों का दौर आया है जिसकी वजह से हम कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और सवाल हमारे संसद के ऊपर खड़ा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निश्चित तौर पर उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब अपना जवाब देंगे कम से कम disadvantage of the large number of entrance examinations और आप एन्ट्रेन्स इग्जाम को स्टैन्डर्डाइज करेंगे तो बुनियादी सवालों को जरूर ध्यान में रखेंगे।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हैं। मैं संक्षेप में अपने कुछ सुझाव दूंगा। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु इस दिशा में सफलता तभी मिलेगी जब सरकारी स्कूलों का स्तर सुधार कर शत-प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की जाएगी। आज सरकारी स्कूलों की दशा किसी से छिपी नहीं है। कहीं भवन नहीं, कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं अध्यापक नहीं। एडेड स्कूलों को कई-कई महीने अनुदान नहीं मिलता। ऐसे में जब तक निचले स्तर पर शिक्षा में सुधार नहीं होता, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के संतोषजनक परिणाम नहीं निकलेंगे।

देश में 22 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे में हैं, लेकिन इनमें से महज 1.3 करोड़ ही विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच पाते हैं। 20.7 करोड़ बच्चों को विश्वविद्यालय में पहुंचाना एक चुनौती है। आठ नए आईआईटी में 55 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। आईआईटी, पटना में केवल 45 अध्यापक हैं। बाकी प्राध्यापक बाहर से आते हैं, विज़िटिंग प्रोफैसर हैं और विदेशों से विज़िटिंग प्रोफैसर की मांग की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें संकाय सदस्यों के रूप में प्रोफैसरों की भर्ती की जाए तभी सफलता मिलेगी। मैंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख दिनांक 24.3.2011 को इसी प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलते समय किया था।

आज हमारे यहां टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है। वह विदेशों के लेनी पड़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि बचपन से ही नौनिहालों को टेक्नोलॉजी मुखी शिक्षा दी जाए और प्राइमरी शिक्षा के स्तर से ही मजबूत किया जाए। कोई सभ्य समाज तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी बुनियाद में ही सारी बातें गढ़ दी जाएं। चीन, जापान, जर्मनी इत्यादि देशों में टेक्नोलॉजी शिक्षा बहुत बचपन से ही दी जाती है। वहां का आर एंड डी बहुत मजबूत है। एक लाख की जनसंख्या पर ही अभियंत्रण संस्थान हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां पर दस लाख की आबादी पर एक आईटीआई है। यही कारण है कि आज हमें विदेशों से कल पुर्जे आयात करने पड़ते हैं, यहां तक कि आज हमारे देश में सीएफएल नहीं बनता जबकि चीन में यह बहुतायत से बनता है। वहां यह कुटीर उद्योग के रूप में है। इस मानसिकता को समझना होगा कि आज हम टेक्नोलॉजी के मामलों में विदेशों पर क्यों निर्भर हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस मानसिकता को धीरे-धीरे तोड़ा जाए।

आईआईटी के उत्तीर्ण छात्र यहां नौकरी न कर ज्यादातर अमरीका की तरफ रूख करते हैं और वहीं बस जाते हैं। इसे रोकने की पहल सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया है और क्या करेगी?

आईआईटी के उत्तीर्ण छात्र भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि में चले जाते हैं जिससे उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं होता। इसे रोके जाने की जरूरत है।

आईआईटी छात्रावासों में रह रहे छात्रों द्वारा लगातार आत्महत्या किए जाने से पूरा देश स्तब्ध है और सरकार ने इसका जवाब यह दिया है कि वर्ष 2008, 2009 एवं 2010 में देशभर के सभी आईआईटी और उच्च तकनीकी संस्थानों में कुल 24 छात्रों ने इस प्रकार का आत्मघाती कदम उठाया है। इनमें सबसे ज्यादा आईआईटी, चेन्नई (तमिलनाडू) में छ: मामले सामने आए हैं। सरकार ने बताया कि इन सभी आत्महत्याओं के पीछे अवसाद, पढ़ाई का बोझ, साथी छात्रों के दबाव और मानसिक अवसाद के चलते छात्रों ने यह कदम उठाया।

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Sir, I welcome this National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. I am also a part of the Standing Committee on HRD. We have discussed this Bill in detail. One thing I can make here is regarding the shortage of faculty - the prime concern of our country. I would like to just show the statistics regarding the faculty of higher education institutions.

Sir, in our 15 Central Universities, the sanctioned strength of faculty is 9,825, but the vacancy position is 3,761. The Indian Institutes of Technology are institutes of national importance. In the existing IITs, the number of vacancies in faculty is 1,179. Now we have established 7 more IITs and the vacancy position of faculty there is 385. We are facing the same situation even in our IIMs also. The vacancy position of faculty in our IIMs is 95. So, the Government should urgently intervene and fill up these vacancies. Our hon. Minister of Human Resource Development, while presenting the Bill before this House, has explained the importance of our higher educational institutions. But our existing IISER and new IITs, a majority of them are working in rental buildings. So this situation should be improved by constructing proper buildings for them. In the interest of gross enrolment ratio and providing better education to the future generations of our country, the situation needs to be improved at the earliest. Otherwise, it will greatly affect our young generation.

13.57 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Secondly regarding review of the performance of our existing national institutions, I would like to quote an example here. Kindly see the position in our neighbouring country China. Their efforts are incomparable in higher education especially in science and technology. Shanghai Jiao Tong University of China has conducted an academic ranking of worldwide universities in 2006. Our IIT, Kharagpur was the only engineering college from India listed among the 500 universities from all over the world. Our IITs and IIMs have been there for more than 50 years now. But even now we are not ready to review their performance in the field of research, in technological advancement and progress of the student community. This should be done in order to help our future generations.

Thirdly, I would like to make a point regarding the reservation policy of these institutions. Many reserved posts of teaching staff are lying vacant and admission of reserved candidates has also come down in the last few years. So, there is an urgent need to look into this matter and fill up the reserved posts of faculty in our higher educational institutions.

Now I would like to make a point regarding the infrastructure in these institutions. Our Minister of Human Resource Development has stated publicly and also inside the House that the Government would like to set up more universities in our country. We are now having only 22,500 colleges and the Government wants to increase this number to 45,000 colleges. At present we are having only 450 universities in our country and our Government wants to increase it to 900 in order to increase our Gross-Enrolment Ratio (GER) from 12.8 per cent to 30 per cent by 2030. We agree with this proposal. But our spending on education, particularly on higher education is very meagre. It is only 0.7 per cent of our GDP whereas the USA spends 2.6 per cent of its GDP on higher education, Europe spends 1.2 per cent of its GDP and Japan also spends 1.2 per cent of its GDP on higher education.

14.00 hrs.

So, I urge upon the Government to increase the spending in higher education. Even though there is lesser spending in higher education, the utilisation of this money is around 30 per cent to 40 per cent. It is a serious concern of the Government. The Government should intervene in this. Who is responsible for not utilising the money allotted in the Budget? So, there should be an urgent need to intervene in this matter.

The Government is going to introduce the foreign and innovation universities also. While we open up the window for the foreign players, we should take some measures to protect our own institutions. Otherwise, these foreign players will take away the best faculties in our universities and also they are buying some of our universities. In future that will badly affect the growth of our GER and growth of our higher education.

With these words, I conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I stand here today to deliberate on the Bill that has been moved by the hon. Minister of Human Resource Development relating to National Institute of Technology (Amendment) Bill, 2010.

The hon. Minister has another four important Bills in line, the Foreign Educational Institution (Regulation of Entry and Operation) Bill, 2010, The National Accreditation Regulatory Authority for Higher Educational Institutions Bill, 2010, the Prohibition of Unfair Practice in Technical Educational Institutions, Medical Educational Institutions and Universities Bill, 2010, and also The Educational Tribunals Bill, 2010, which will again be referred back to this House after it is passed in Rajya Sabha.

The Bill that is before us today is equally very important in nature. At the outset, I would say, India's rapid economic growth in the past two decades can be largely attributed to the investments that have been made in education in the previous 60 years. But a lot of ground still needs to be covered and can be gauged by the fact that on the Human Development Index, as per the 2010 report of the United Nations Development Programme, India ranks 119 out of a total of 169 countries. It falls in the category of medium human development, much below China, which ranks 83 and below even countries like Guatemala, which ranks 116, Kyrgyzstan, which ranks 109 and Honduras, which ranks 106.

While the number of institutes is growing, there is no commensurate rise in the availability of teachers, to which the hon. Minister initially had, in his opening remarks, mentioned. With its inability to attract even the top one per cent of each year's class into Ph.D programme, the quality of instruction and scholarship in Indian higher education is often seen as set for decline.

Today's challenges, therefore, of quality in Indian higher education, are inability to attract a sufficiently large number of talented youth to teach and do research, separation of education from research, inadequate financing and administrative weaknesses and wasteful expenditure. These are the five categories in which we have to look into.

The National Institute of Technology (Amendment) Bill, that is before us, seeks to confer the status of institutions of national importance on the newly established five Indian

Institutes of Science Education and Research at Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram.

This Bill seeks to strengthen the networking of NITs and Indian Institutes of Science Education and Research by giving representation in their Board of Governors to the Indian Institute of Technology in whose territory or zone the National Institute of Technology or the Indian Institute of Science Education and Research falls.

One would appreciate the initiative taken by IISERs, no doubt, but the inter-disciplinary knowledge regime as indicated by the Department is not clearly spelt out in the Bill. I would say, this needs to be sustained, strengthened and expanded further.

I hope that the Minister would seriously strive towards flexibility for freedom and research environment within inter-disciplinary regimes so that the students could practically move seamlessly from one area to another. NITs have made significant contribution in making the outreach of technical education possible to far off areas of this country but it needs further expansion.

Expanding knowledge base is crucial for a country's economic growth. Mr. Minister says India's higher education sector will have 44 million enrolments by 2020. Our country is slated to add another 120 million people to the working age segment in the same period and education can make many of these people contribute towards economic growth.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude; there are so many Members to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Despite India being one of the largest higher education centres in the world with almost 14 million students enrolled in more than 25,000 institutions, various studies have shown that size often does not translate into employable quality. This needs to be looked into. The education sector is poised at a critical juncture. If we do not address issues of inclusion, expansion, and quality, we risk our demographic dividend turning into a drag.

Taking the advantage of speaking here on this Bill, I would again remind the hon. Minister that earlier the former HRD Minister Mr. Arjun Singh on 14th February, 2008 had intimated the Chief Minister of Orissa regarding establishment of a world class university and for that 700 acres of land near Talabasta of Banki Tahsil of Cuttack district was provided free of cost. Additional Secretary to the Government of India, Ministry of HRD, visited the proposed site on 10th February, 2009. Yet, there is no further progress in the matter. I would request the Minister to look into this aspect.

The Government of Orissa has also asked to open a medical college in the Central University of Koraput to which the Minister had himself visited. The Ministry of HRD is yet to take decision.

Before concluding, I would like to draw your attention to a very important issue which has been very recently published in the media. It is a very alarming fact that has come to light relating to scientific misconduct. Scientific misconduct in India has risen four times since the nineties, pushing the country to the top of the fraud rate across the world. A study by Prof. T.A. Abinandanan from the Indian Institute of Science on scientific misconduct in India finds that misconduct rates have risen from 10 per 100,000 papers in 1991-2000 to 44 per 100,000 papers in the decade 2001-10.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. You have taken too much time.

This is really very alarming. Out of 70 retracted papers, 45 papers were attributed to some form of plagiarism, 23 for text plagiarism, 18 for self-plagiarism and three for data plagiarism. The 45 papers involve a large number of scientists from some of the best institutes in the country. The researchers behind misconduct laden papers are not only from lower tier institutes but also from top institutes of this country including CSIR lab, including DBT labs, Banaras Hindu University, Post-Graduate Institute for Medical Education and Research and IIT Kanpur. This is a very alarming situation. What I find here is this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I need hardly one minute.

It is not that United Kingdom, USA and Japan are free from it. There also plagiarism takes place. But the rate is very low like 13, 14 and 16. In our case it is 68.

So, I would like to mention in this House that the hon. Minister also should take cognizance to the plagiarism and the retraction of the papers relating to the research specially, in the fields of science.

Odisha was deprived of IISER. I hope Government will consider to set-up more such institutes in different States including Odisha where the students have a liking towards science and research.

With these words I conclude.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this discussion.

The hon. Minister is good enough to say in the beginning that he is going to start many NITs in various parts of the country specially in the remote States of North-East. This is a very welcome suggestion. He said that the structure of NITs is changing and that is why, he is bringing an amendment. He said that as there are a lot of members in the Advisory Committee, he is going to reduce the number. It is a good suggestion. Most of the bureaucrats are not attending the meetings. It is a fact.

At the same time, I would like to bring to the notice of the hon. Minister certain facts. The NITs are originated from RECs. I was also the Chairman of REC which is under the Education Ministry of Tamil Nadu when I e\was Education Minister in the State. There was a dispute started at that time when the Central Government was converting REC into NIT. Our State had opposed it. Even the States of West Bengal and Punjab had opposed it because these institutions are mainly developed to give more importance to the local students. When they became NITs, the quota was reduced. At that time we opposed it. The State Government had given land and other facilities. The Central Government had given finance to improve the institutions. When these NITs were growing in various States, you brought All-India level structure. The students were admitted in that. What I am requesting the hon. Minister is this. The local needs of the students must be taken care of and the local students have to be given importance at the time of admission.

The professional courses are mainly for the local needs of a State. Education is in the Concurrent List. When we start the professional courses for engineers, doctors, agriculturists, they are based on the local needs of the States. When you are slowly bringing all the Acts together to the Centre and controlling them, then the importance of the States will go down. Most of the doctors and engineers who are studying in their States may serve their States. You are allocating more seats at the Central level. Suppose, students of Bihar going to Tamil Nadu and after becoming doctors and engineers, they would not serve there. They would like to serve their own State. I am appreciating your

efforts to start more institutes in different States. We should start them in all the States. Give them the opportunity. All the States must have equal standard of institutions.

But at the same time, admission must be given to the local students. That is very important. What is happening in IITs? The students studying in IITs go to Germany and other foreign countries. We are losing their talents in India.

Therefore, when you are giving admission at the All India level, the local students may not get a fair chance. That is why, I am insisting on this.

Sir, we are generally advocating for mother tongue as a medium of instruction. In most of the schools, the students are studying in their mother tongue.

Now, as regards admission to medical colleges, you have already announced about having the All India Entrance Examination. In AICTE also, they are going to have it for admission in Engineering. You are going to conduct the Entrance Examination in English or Hindi. What about the other States – Maharashtra, Karnataka, West Bengal, Kerala and Tamil Nadu? The students in these States are studying in their mother tongue. They cannot compete in the Entrance Examination. When you conduct the examination in English, they cannot compete and they are losing admission. Therefore, the All India Entrance Examination must not be there. That is why, our Chief Minister of Tamil Nadu Selvi J. Jayalalithaa has opposed the Entrance examinations to professional courses.

Also you are conducting three-hour Entrance Examination. You are not taking into account their Plus Two Examination marks, and you are taking into account only the marks obtained in the Entrance Examination. Therefore, only elite students and urban students are benefited but not the students coming from the rural areas. That is what our friend has said. So, you have to consider students coming from the rural areas.

There are many coaching centres where only the elite students are only studying. The students coming from the rural areas are not getting this kind of opportunity. Therefore, you have to take into account the marks obtained in Plus Two Examination for giving admission. The State Government is conducting this examination. States have different syllabus. You try to have a uniform syllabus, which we are advocating. You

have to take into account the marks obtained in Plus Two examination. Even you take into account the marks obtained in CBSE. … (*Interruptions*)

SHRI K. BAPIRAJU (NARSAPURAM): In Railway, the Examination is conducted in regional languages also. … (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : Yes, the Entrance Examination must be conducted in regional languages also. It would also be better to take into account the marks obtained in Plus Two Examination. The students are preparing for many years and writing this examination. I do not know how one can judge the intelligence of the students in the two-hour or three-hour entrance examination. Why have you introduced the Common Entrance Examination? It is because we have different syllabus. So, to find out the merit or intelligence of the students, you introduced the Entrance Examination. The rural students are studying in their mother tongue, and they cannot compete in the Entrance Examination which is conducted in English or Hindi. That is why, I am making this request.

Take the Engineering Colleges. They are giving a lot of advertisements in all the newspapers. Two days back, there was an advertisement in *The Hindu* by IIPM. What is this advertisement? Now, education has become a commercial product. Over TV, certain Engineering Colleges are giving advertisements, and they say that their institution is having a lot of facilities – good hostel, good teachers and one hundred per cent placement. Can any institute give one hundred per cent placement? It is a wrong advertisement. It is misleading the students and parents. If they go and see these institutes, they may not be having these facilities. AICTE and UGC have recognized certain Institutes. All of these Institutes are equal. When they are giving permission to start an Engineering College, that institute must be good. Why are they giving such advertisements? Therefore, you have to ban such advertisements. Education cannot be commercialized like aspirin or some other products. Therefore, you have to ban such advertisements. They can give advertisements calling for applications. That is all right. But they are giving advertisements which say that they are giving good facilities and also showing a picture that students are walking with coats. They also say that so and so had started their institution and their institution is

a world-class institution. What is this going on in this country? Therefore, I would humbly request that the Government should take this matter seriously.

There are many institutes which are giving a lot of advertisements by spending crores of rupees. I have seen an advertisement given by IIPM, and it may cost Rs.5 crore or Rs.6 crore. Whose money it is? They are charging that money from the students. These institutes are misleading the people with such advertisements. This is the situation. It is high time that the hon. Minister should ban all such advertisements. This is the biggest corruption. This is a very serious matter. The Government has to derecognize the institutes which are giving such advertisements over TV and also in the newspapers. They are also charging that money from the students. Therefore, this is my humble submission.

Regarding the NIT, you have brought good amendments. I am appreciating them. But at the same time, I would request you, Mr. Minister, to consider the locals of the States. Please give the opportunities to the local students there.

SHRIMATI J. HELEN DAVIDSON (KANYAKUMARI): Respected Deputy-Speaker, Sir, I express my sincere thanks for giving me this opportunity to speak on the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010, which is a very important Bill for discussion keeping in view the higher education system in our country.

Sir, I rise here to support the Bill. The preamble of the Act states that it meant to declare certain Institutes to be Institutions of national importance and to provide for instructions and research in branches of engineering, technology, management, education, sciences, arts and for the advancement of lowering and distribution of knowledge in such branches and for certain other matters connected with such Institutions.

Sir, the Bill adds another Schedule to include five Indian Institutions of Sciences Education and Research established in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram as Institutions of national importance.

Sir, I would like to emphasize for your kind consideration that though there are hundreds of engineering colleges in Tamil Nadu but Institutions like the NIT are in adequate numbers in Tamil Nadu. Keeping in view the high expectation of the educated people of Tamil Nadu, especially of my Constituency where there is a cent per cent literacy rate, I would urge upon the hon. Minister to establish more Higher Technical Educational Institutions of NIT status, which would benefit the students of our States, particularly of Kanyakumari. Hence, I take this opportunity to urge upon the Government that more number of NIT type of Institutions may kindly be established in Tamil Nadu.

Sir, now, I would like to raise a matter of serious concern. It is about non-availability of required faculties in Higher Education Institutions. There is a massive expansion of Higher Education both in the Government and private sector along with new specialized courses emerging in the recent years. But there is an acute shortage of qualified teachers. This is increasingly a disturbing trend. Keeping in view such a scenario, I would urge upon the Government that while setting up new Higher Education Institutions, specially premier Institutions like IISERS and NITs, this crucial area needs to be paid the maximum attention. Although fresh pass outs can prove themselves to be very good teachers, but it is the need of the hour to have qualified and motivated faculty. Present

trend of guest faculty or visiting professors as teachers could only fill up the visible gap in a very limited way. In a vast country like India, there is no shortage of experts and scientists. So, this problematic area needs to be tackled in a mission mode.

With these few words, I conclude.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I welcome the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. This is a small Bill and there is no scope for discussion at length. I hope, the hon. Minister would bring a comprehensive Bill so far as the Institute of Technology is concerned. Particularly, in regard to the health of the Institutes of Technology, in some places, it is a matter of concern. So, we should have a discussion at length about the health, about the system and about the conditions of the Institutes of Technology in different parts of the country.

The Bill amends the National Institutes of Technology Act, 2007, which declares certain Institution of Technology as the Institutes of national importance and provide for instructions and research in these Institutions. It is a good step. The Act has a Schedule of Institutions declared as Institutions of national importance.

The Bill adds another Schedule to include five Indian Institutes of Science Education and Research which are established in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram as institutes of national importance.

But I want to make some points. A Council is going to be formed. A Council or Board shall be established for all the Indian Institutes of Science Education and Research. It will consist of specified Members, including Minister in-charge of Technical Education, Secretary of Technical Education, Chairperson of every Board of Institutions and Chairman of the University Grants Commission. But why is the representative from the State Government deprived of his involvement here? So, I think the Minister will think over it so that the representative of the State Government can be inducted or involved in this matter.

Sir, many things have been said earlier by the previous speaker about the prevailing situation in our education system in the country. We have over 400 universities, 22,000 colleges and over 1,200 engineering institutes. As of now, nearly 10 million children are engaged in pursuing higher education. But this translates into a gross enrolment ratio of just over 12 per cent. This is below the average rate of the developed countries. Even this is below the global or world rate.

In this regard, what is the recommendation of the National Knowledge Commission and the Yashpal Committee? They estimated that the country requires at least 1000 more universities and 10,000 more colleges, and at the same time more technological institutions are required. What is the thinking of this Government? How is the Government going to respond to the recommendations made by the National Knowledge Commission and the Yashpal Committee in this regard?

Coordination is very much required. Whatever it may be, whether it is the Board or the Council or the technical institutions or the IISER, there should be coordination. But at the same time I want to know whether the newly included institutions as institutions of national importance, which are in Kolkata, Pune, Mohali, Bhopal and Thiruvananthapuram, will be empowered or not. Will they enjoy their autonomous right or not? Or by making a Council comprising all of them, will the autonomy be enforced? So, this is a very important point.

With these points, I support this legislation. I think the Minister will bring a comprehensive legislation later for discussion at length.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की सिफारिश पर पांच विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान बनाए जाएं। इनका प्रस्ताव यह भी है कि इसे एनआईटी में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ये कहां था? आपने प्रधानमंत्री की सिफारिश को पांच को संस्थान बना दिया लेकिन किसकी सिफारिश पर इसमें शामिल करने के लिए प्रस्ताव ले आए? यह हमें समझ में नहीं आता है। आईआईटी पहले पांच थे अब 15 हो गए। फिर एन.आई.टी. 20 हो गये। आईआईटी और आईआईआईटी 20 हैं, जो आईटी की पढ़ाई कराते हैं। देश में 32 हजार इंजीनियरिंग कालेज हैं, उन्होंने आईटी की पढ़ाई बंद कर दी। कहते हैं कि अब इसे नहीं पढ़ायेंगे, इसमें लोगों की रुचि खत्म है, इसका अब कोई आकर्षण नहीं है। जो नये आईआईटी खुले हैं, उनमें 1500 शिक्षकों की कमी है। उनमें शिक्षक ही नहीं है। एनआईटी का भी वही हाल है। जो नये दस एनआईटी खुले हैं, उनमें 55 फीसदी शिक्षकों का अभाव है, केवल 45 फीसदी सीटें भरी हुई हैं। आप क्या संस्थान खोल रहे हैं, हमें क्या बताने आये हैं और क्या पास करने आये हैं? इन्होंने दावा किया है कि हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेंगे। लेकिन कानून में लिख देने से कि हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कानून लाये हैं, क्या वह राष्ट्रीय महत्व का हो जायेगा? राष्ट्रीय महत्व का होने के लिए उसमें और बहुत सी बातों की भी जरूरत होगी, वे सब कहां हैं? उनमें क्या पढ़ाई होगी, कौन लोग पढ़ेंगे, किसका नाम लिखा जायेगा, क्या ये सब अभी तक तय हुआ है? इसके अलावा इनमें शिक्षक कहां है। इसलिए आप कुछ भी दावा करें और कहें कि ये राष्ट्रीय महत्व के होंगे, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें सुनते हैं...(व्यवधान) लेकिन आपको बात के साथ काम भी करना पड़ेगा। यह टैक्निकल पढ़ाई है, जनरल पढ़ाई में लोग पढ़-पढ़ कर संस्थाओं में अपना नाम लिखवाने के लिए परेशान होते हैं और साथ-साथ सारे माननीय सदस्य परेशान होते हैं। लड़के कहते हैं कि सैंट्रल स्कूल में नाम लिखा दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा नाम लिखवा दीजिए। लेकिन वहां कट ऑफ लिस्ट की बात होती है और कहते हैं कि हटो, हमारे यहां कोई जगह नहीं है। आखिर लड़के कहां जायेंगे। हमारा कितना बड़ा नौजवानों का देश है। हम दुनिया में दावा करते हैं कि हमारे यहां लड़के और नौजवान संख्या में अधिक है। यदि अधिक हैं तो उन्हें योग्य भी बनाना पड़ेगा। वे यूनिवर्सिटी और कालेज में जाते हैं तो कह दिया जाता है कि आपका नाम नहीं लिखा जायेगा। अगर आपके सौ प्रतिशत नम्बर हैं तो ठीक है, नहीं तो जाइये।

महोदय, वहां शिक्षक नहीं हैं। यदि शिक्षक नहीं हैं तो क्या है, वहां शिक्षामित्र बहाल कर दिया जाए। एक शिक्षक चार हजार रुपये प्रति माह की दर पर है और दूसरा बीस हजार रुपये प्रति माह की दर पर है तो वहां क्या पढ़ाई होगी। हाई स्कूल में एक छः हजार रुपये प्रति माह की दर पर है और दूसरा तीस हजार रुपये प्रति माह की दर पर है। वहां क्या पढ़ाई होगी। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या व्यवस्था है? चाहे जनरल पढ़ाई हो या तकनीकी पढ़ाई हो। 32 हजार इंजीनियरिंग कालेजों में कितने अपटू दि मार्क हैं। इन कालेजों में दो लाख, पांच लाख और दस लाख रुपये में नाम लिखे जा रहे हैं और मैडिकल कालेजों में 25 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपये लेकर नाम

लिखे जा रहे हैं। यह क्या गुणवत्ता है? कहीं कम्पिटीशन है, कहीं एन्आईटी है, कहीं आईआईटी है, कहीं एमआईटी है और कहीं बीआईटी है, ये क्या हो रहा है, आपका क्या मैनेजमैन्ट है? जैसे-तैसे कुव्यवस्था को लोगों ने बढ़ावा दिया। लड़के इतना पढ़-पढ़ कर आते हैं और कहते हैं कि हमारे नाम फलां कालेज में लिखाने के लिए फोन कर दीजिए। उनके नाम लिखाने के लिए फोन करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इससे सब माननीय सदस्य भी पीड़ित होंगे। उसके बाद जब इन कालेजों से पास हो जाते हैं तो नौकरी के लिए कहते हैं कि कहीं कंपनी में फोन कर दीजिए। यह पीड़ा है कि नहीं है। ...(व्यवधान) ये क्या हो रहा है, क्या उनका प्लेसमैन्ट हो रहा है? यदि प्लेसमैन्ट हो रहा है तो उसकी तनख्वाह प्रतिमाह लगभग 30 हजार होनी चाहिए, लेकिन वह बेचारा पांच हजार रुपये प्रति माह में काम करके खट रहा है। उसने क्या पढ़ाई की है।

महोदय, इसीलिए इन सब बिंदुओं को जोड़ते हुए शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान में विज्ञान की पढ़ाई होगी या शिक्षा की पढ़ाई होगी या अनुसंधान होगा, आखिर क्या होगा? इन्होंने बहुत बड़े-बड़े दावे किये कि हम प्रधान मंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार के सुझाव पर यह लाये हैं। लेकिन क्या वह वैज्ञानिक बनायेगा, इंजीनियर बनायेगा या अनुसंधान करेगा। अब कोई 12वीं पास करके कोई इसमें आयेगा। लेकिन हमारे देश में 12वीं की रंग-बिरंगी पढ़ाई है। सीबीएसई अलग है, स्टेट्स के बोर्ड्स अलग हैं, कौन से नम्बर पर उसका नाम लिखेंगे, आपने उसका कोई कम्पिटीशन भी नहीं कराया है। आखिर वह कैसे इसमें अपना नाम लिखायेगा। इनमें टीचर्स की कमी है, इनमें यह बात भी साफ नहीं है कि वह अनुसंधान करेगा, वैज्ञानिक बनेगा या क्या करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम बात साफ कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, साफ हो रहा है, बहुत साफ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं बात साफ कर रहा हूं। जो समस्या है, उसे हम लोग कहां बतायेंगे, आम जन की पीड़ा को हम यहां बतायेंगे। यह आम जन की पीड़ा है, हमारे सभी माननीय सदस्य इससे पीड़ित होंगे। सब जगह नीचे से ऊपर तक, अपने निर्वाचन क्षेत्र से, आम जन के बीच से यहां तक पीड़ा ही पीड़ा है, संकट ही संकट है। सरकार का दावा है कि हम राष्ट्रीय महत्व कर रहे हैं। यह क्या राष्ट्रीय मह[illegible], कैसा राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय महत्व किसे कहा जायेगा? सरकार कहती है कि यह राष्ट्रीय महत्व है, यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, इसे कौन मानेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या सुझाव है? आप अपना सुझाव दीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम सुझाव देते हैं। इस गड़बड़ी से सम्पूर्ण सदन सहमत है। भारी कुव्यवस्था है, पढ़ाई-लिखाई में, बहाली में सबमें घोर मिसमैनेजमेंट है। अब आप हमारे सुझाव सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिये। आपका भाषण बहुत लंबा हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम जल्दी ही कर रहे हैं, हम देर नहीं कर रहे हैं। हम बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते हैं। चूंकि यह जनहित का विषय है, देश के भविष्य का सवाल है, नौजवानों की देख-रेख का सवाल है। दुनिया का वातावरण गड़बड़ हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि अमेरिका का भारतीयों से कम्पटीशन चल रहा है, चीन वाला अलग जोर लगाये हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव दीजिये। अमेरिका और चीन को छोड़ दीजिये और यहां की बात कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं यहीं की बात कह रहा हूं। हमारे लोग वहां हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें भी हम देखेंगे कि वे वहां किस हालत में हैं, वे वहां क्या कर रहे हैं? यह होता है कि विलायत पढ़ने चले जाइये, विदेश में जाइये और वहां नौकरी कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अपनी बात संक्षेप में कीजिये। आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं। ये एनआईटी खोल रहे हैं, उनकी संख्या 15 या 20 है। ये इन्होंने किस आधार पर खोले हैं, आबादी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर, जरूरत के आधार पर खोले हैं, यह कोई नहीं बताता है। देश में वे पांच खुले हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप 10-20 क्यों नहीं खोलेंगे? एक कोलकाता में, एक मोहाली, एक पुणे, एक तिरूवंतपुरम में खोला है, लेकिन और जगह क्या होगा? मैं यही कह रहा हूं कि इनके खोलने का क्या क्राइटेरिया है? यह देश नीति सम्मत तरीके से चलेगा। यह बहुत बड़ा देश है। कोई नीति, सिद्धांत बनाइये और उस पर चलिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन में आया, वहीं खोल दिया और उसकी भी व्यवस्था ठीक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे आई.आई.टी. की दुनिया भर में रैपुटेशन है। उस रैपुटेशन में गिरावट की संभावना है, उनमें शिक्षकों की कमी है। उसमें आप बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से एनआईटी पहले आरआईटी था, रीजनल था, अब इसे रीजनल नहीं नेशनल कर दिया। तम्बिदुरई साहब कह रहे थे कि इससे राज्य सरकारें सहमत नहीं थीं और कह रही थीं कि आरआईटी को मत कीजिये, इसे रहने दीजिये। खैर एनआईटी हुआ, इससे हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन एनआईटी के स्टैंडर्ड का क्या होगा? बाकी जो तकनीकी 32 हजार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें कैसी पढ़ाई है, उनकी क्वालिटी कैसे सुधरेगी? कहीं पर एडमीशन नम्बर के आधार पर हुआ था, कहीं पर एडमीशन पैसे पर हुआ था, इसे कौन देखेगा और इसमें कौन सुधार करेगा? इन सभी सवालों पर नीति सम्मत काम होना चाहिए। देश का भविष्य, जनता की आकांक्षाओं और देश-दुनिया में जो जरूरत है, उस तरह की चीजों का प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान हमारे नौजवानों को होना चाहिए। प्रथम चीज रोजगार है, जिससे उसका

जीवन-यापन हो और उसकी जीविका चले। इन सभी सवालों का हल निकलना चाहिए तभी सुधार होगा, केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टैक्नोलॉजी अमैन्डमैंट बिल 2010 पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। महोदय, सरकार का लक्ष्य है कि 2017 तक हम टैक्निकल एजुकेशन में ग्रोथ एनरोलमैंट रेशियो 21 परसेंट तक ले जाएंगे। It is the target of Government of India. मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि यह वर्तमान में 12 परसेंट है, ग्लोबल स्टैन्डर्ड 23 परसेंट है और विकसित देशों में यह 50 परसेंट और उससे ऊपर है। किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है जिससे ये 2017 तक टैक्निकल एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमैंट रेशियो 21 परसेंट तक ले जाएँगे, यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरी बात यह है कि इस देश में टैक्निकल एजुकेशन की कमी है, संस्थाओं की कमी है। सरकार ने नॉलेज कमीशन बनाया, यशपाल कमेटी बनाई। उन दोनों ने यह रिपोर्ट दी और आकलन किया कि इस देश में 1000 से ज्यादा और यूनिवर्सिटीज़ की आवश्यकता है, 10 हज़ार से ज्यादा और टैक्निकल कालेजों की आवश्यकता है। इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? यह जो बिल आया है, इसमें पीपीपी मॉडल का अभाव है और बीओटी मॉडल का भी अभाव है? इसको केवल प्राइवेट सैक्टर के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। 20 एनआईटी ऑलरेडी हैं, 10 ये और ला रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान इस देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो सिर्फ एक ही एनआईटी है। सिर्फ इन 10 और 20 एनआईटीज़ से इस देश में काम नहीं चलने वाला है। इस देश में बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस खोले जाने चाहिए, तब जाकर रीजनल इंबैलैन्स दूर होगा। हमारा भी रेगिस्तानी इलाके में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। अब वे प्राइवेट सैक्टर के भरोसे छोड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें होलिस्टिक व्यू के साथ गवर्नमैंट को आना चाहिए था। फिर भी हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

दूसरा जो एक इश्यू आया कोटा का कि वहाँ पर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और कोटा में कोचिंग एक इंडस्ट्री बन गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई रैगुलेटरी बॉडी होगी या नहीं, और जो प्लेसमैंट करते हैं संस्थाओं में, उसके लिए सरकार कोई प्लेसमैंट पॉलिसी लाएगी या नहीं, ये मेरे दो अहम सवाल इससे संबंधित हैं। आगे मैं अपनी बात बहुत सीमित कर रहा हूँ।

महोदय, इस देश में रिसर्च की बहुत कमी है और अभी यूजीसी का एक सर्कुलर आया कि पीएचडी करने वालों को भी एन्ट्रैन्स परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पीएचडी करने वालों की तो पहले ही कमी है, फिर इस तरह का अमैन्डमैंट क्यों आता है? यह सब होलिस्टिक व्यू में आना चाहिए जिससे आर एंड डी पर खर्चा अधिक हो और रिसर्च करने वालों को प्रमोशन मिले, मोटिवेशन मिले। नहीं तो अगर उनको एंट्रैन्स में बैठना होगा तो वे सोचेंगे कि पीएचडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वे कहीं और बाहर की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेंगे या बाहर जाकर पीएचडी कर लेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में गिरावट आएगी और हमारा टेलेन्ट बाहर जाएगा।

मैं इस समय दूसरा बिन्दु इस तरह से कहना चाहता हूँ कि इस बिल में वीकर सैक्शन्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में किसी तरह का उल्लेख नहीं है कि उनके बच्चों का एडमिशन किस तरह से होगा, उनके हितों का संरक्षण होगा या नहीं। और जो फैकल्टी लगेगी, उसकी पहले ही कमी है। जो फैकल्टी लगेगी, उसमें भी वीकर सैक्शन्स ऑफ द सोसाइटी का उल्लेख नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनका जो महत्वपूर्ण अमैन्डमैंट है, वह बिल के 11 ए में है। इसमें इन्होंने कुछ व्यक्तियों का उल्लेख किया है कि ये लोग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मैम्बर बनेंगे। The sub-clause (g) of clause 11A reads :-

> "Chief Secretary of the State in which the Institute is located, *ex officio;* "

चीफ सैक्रेटरी के पास काम बहुत ज्यादा है जैसे मंत्री जी अपने इनीशियल रिमार्क्स में कह रहे थे। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि चीफ सैक्रेटरी के नीचे कुछ एडीशनल चीफ सैक्रेटरी भी होते हैं जिनको इस विषय की रुचि होती है। रुचि वाले आदमी को इस मीटिंग में रखेंगे तो वह मीटिंग भी अटैन्ड करेगा और कुछ कंट्रीब्यूट भी करेगा, कुछ सजैशन देगा। वरना मीटिंग अटैन्ड करके और चाय पीकर आ जाएगा, कोई सुझाव नहीं देगा। दूसरा इन्होंने कहा है, The sub-clause (f) of clause 11A reads :-

> "three Secretaries to the Government of India, to be nominated by the Central Government representing its Scientific or Industrial Ministries;"

अगर वर्तमान में वह मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, यह ज़रूरी नहीं है कि जो सैक्रटरी लेवल का आदमी है, उसकी इस सब्जेक्ट में रूचि है या नहीं, यह देखने की ज़रूरत है। यदि ऐसे सैक्रटरी को आप नोमिनेट करेंगे, तो जिस मक़सद से इस बिल को लाए हैं, वह पूरा होगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बिल होलिस्टिक एप्रोच में आना चाहिए था, फिर भी हम बिल का स्वागत करते हैं। राजस्थान जैसे बड़े राज्य को इसमें नेगलैक्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन करते हैं। आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the amendments in the National Institutes of Technology Bill, 2010, and in doing so, I would like to bring in a couple of points. I will not take more than half-a-minute or may be a minute.

Firstly, the most important aspect, which has been mentioned and it cannot be over-emphasized is the need for great faculty. I think that this is one impediment to the strengthening of our institutes of national importance, and I completely agree with the point that what is the use of saying 'national importance' if we do not have great faculty. I think that this is an area of greatest concern, and it has been voiced rather emphatically in this House. I think that we need to pay a lot of attention towards great faculty because skill development and multi-disciplinary approach are the qualities that are going to be required in the 21st Century. The 21st Century Graduate -- from a national institute and of national importance -- must have all these qualities, and I think that we need to have an approach where the quality does not deteriorate.

The other point that I would like to bring in is that these institutions are being made available across the country. One of the things that need to be understood is that these cannot be institutions of islands in themselves. They need to be able to penetrate into the society that they desire to serve. For instance, we have a National Institute of Technology, which has been setup in Sikkim, but for me that is just an institution that has made no effort to integrate itself within the society that it serves. I would like to completely emphasize that the Board of the Institute should be strengthened with local people so that you can get the local societal nuances, which penetrate into the thinking of the Board of Directors. I think that this is something, which I can see gets accord across the House, and I completely support this. Otherwise, I think that it is a great moment where we are trying, and I think that the hon. Minister is also trying his level-best to see that we build the capacity to give more and more access to the students of this great country.

Deputy-Speaker, Sir, with these words, I would like to thank you for giving me this opportunity, and I support this Bill.

SHRI KAPIL SIBAL : Thank you, Sir. First of all, at the outset, I would like to thank the distinguished Members of this House who have participated in this debate, and have broadly supported this particular amendment. I think that in the course of the debate, we have touched a wide variety of issues -- some of them, of course, dealing with these amendments, but others much beyond these amendments.

I just wish to make a general statement, by and large, generally dealing with the issues, and then I will come to particular contributions made by the distinguished Members.

If you really look at education in this country, we must realize that -- with the number of young people in this country -- we need to have a critical mass of people to go into the university system. That links up with the issue of Gross Enrolment Ratio (GER), which several distinguished Members have raised, including Shri Meghwal Ji. The difference between the developed world and the developing world is precisely this. In the developed world, the Gross Enrolment Ratio, on an average, is above 40, and in some of the developed countries, it is beyond 60. It means, out of every 100 students between the age group of 18 and 24, 60 students go to the university or the college. That Gross Enrolment Ratio in India, I would imagine as I speak, would be between 13 and 14 and not 12.6. That is the difference between development and an economy which is emerging.

This fits into the rationale of Right to Education Act. When you talk about universal elementary education, what you are trying to do is to push the students of that age group to go to school as a universal right. The Prime Minister the other day said from Lal Qila that 'we are trying to and thinking of giving this right or granting this right through Madhyamik Shiksha Abhiyan for children up to Class X. Now, if we are able to have universal education up to Class X, hopefully up to Class XII at a later point in time, you will have a huge availability of human resource that will move into the university system and increase that Gross Enrolment Ratio upwards.

That is why my dream is that by 2020 this Gross Enrolment Ratio goes from 13 per cent or14 per cent today to 30 per cent. Unless we reach that Gross Enrolment Ratio, we will not get that critical mass of human development that reaches the university system for

the creativity which is the only form of wealth of a nation. In the university system, you have creativity, knowledge and through that emerge patterns which then are translated by industry into goods and services. That is how the economy grows. So, our effort is really with that Vision. It is all very well to say that this is our Vision. How do you really translate it on the ground?

Now, the only way to translate it on the ground is do three or four things. Distinguished Members have raised this issue – how do you improve quality. You can have access and you can have inclusion, but if you do not have quality you will not have that creativity in the university system. So, quality involves faculty, and there must be an independent mechanism within the State or outside the State, to ensure that the institutions that have come up, institutions that are presently in existence and institutions that are likely to come up are institutions of quality.

It is with this in mind that we have the National Accreditation Regulatory Authority Bill, which Shri Mehtab Ji referred to, one of the four legislations that are coming. What we are trying to do through that is that no institution in India, private or public, will be able to move forward unless they get an accreditation from that Authority. That accreditation will be based on parameters which are objective and will be evolved by experts in the subject, not by the Government. So, it will be an agency independent of the Government which will evolve parameters for accrediting institutions. That is how we take care of quality in terms of infrastructure, in terms of faculty and in terms of syllabi. That is one aspect.

Some distinguished Members raised the issue that what about those institutions which are issuing misleading and false advertisement everyday. Dr. Thambidurai Ji, distinguished and very experienced Member of this House, has raised this issue and it is a very vital issue. All kinds of misleading in advertisements are being put in place today. Children are being fooled into entering an institution by giving wrong advertisements. They think that they got into the institution which was advertised and they realise that the reality is entirely different. All kinds of monies are charged under the table. It is with this in the mind that we are bringing the other legislation, Shri Mahtab ji has again referred to

the Education Malpractices. This is defined as a malpractice. A misleading advertisement is defined in that Bill as a malpractice. So, we will able to deal with those institutions who give the misleading information.

At the moment, there is no legal framework in place. All kinds of malpractices including Capitation fees will be dealt under that. I am waiting for distinguished Members of this House to debate on this vital issue. We cannot wait because institutions are mushrooming. All kinds of permission are being given and NOCs are being given. These NOCs are not being given by Central Government. Distinguished Members raised the issue. Shri Raghuvansh Ji raised the issue. इतनी संस्थाएं बन रही हैं, इनका क्या होगा, क्या जरूरत है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हमने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है।

श्री कपिल सिब्बल : आपने यह कहा कि जरूरत ज्यादा है। लेकिन इसकी अनुमति केन्द्र सरकार नहीं देती, राज्य सरकारें देती हैं। केन्द्र सरकार नहीं कहती कि कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, एआईसीटी, रेगुलेटरी ऑथोरिटी हों, एक बार एनओसी मिल जाए, संस्था बन जाए तो फिर एआईसीटी के पास संस्था आती है, एप्लीकेशन लाती है और कहती है कि आप इसे रेगुलेट कीजिए।

मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हर स्टेट को पहले जांच लेना चाहिए कि वहां कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज़, मेडीकल कॉलेजेज़ और आर्कीटेक्चर कॉलेजेज़ की जरूरत है। जब वे जांचे तो उसी हिसाब से अनुमति मिलनी चाहिए। आपने बिलकुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन हो यह रहा है कि जब अनुमति मिलती है तो वह प्रोबलम हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हम उसका रेगुलेटरी एआईसीटी परमिशन नहीं दें तो हमें कहा जाता है कि दखलअंदाजी एवं भेदभाव कर रहे हैं और अगर परमिशन दें तो आप दे क्यों रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। I am just trying to explain the issue now. I will deal with all the issues that distinguished Members have raised. The point is that you have to deal with those malpractices and you have to ensure quality and you have to ensure that a critical mass of young people move into the university system for the creation of knowledge. And in the process, a large number of disputes are going to come up because if you have an accreditation authority, you will have a malpractice mechanism to deal with the malpractices. You have a large number of institutions because Shri Meghwal ji mentioned about this issue, जो निजी संस्थाएं हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, सरकार को बनानी चाहिए, हम भी इस बात को मानते हैं कि सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार बनाना चाहे तो फिर इकोनोमिक ग्रोथ भी नौ प्रतिशत होनी चाहिए। उसके लिए आपको जीएसटी पास करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब ये काम होगा, हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वह पैसा मिलेगा और उस पैसे के साथ ज्यादा इनवेस्टमेंट होगी। हमारा ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में आठ-नौ प्रतिशत रहा, इसीलिए हमने 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीस और लगा दीं, आठ नयी आईआईटी कर दीं, सात आईआईएम्ज़ बना दिए, दस नई आईआईटीज़ बना दीं, ट्रिपल आईआईटीज़ कर दीं। ये हमने इसीलिए कीं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर थी। लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती और सच्चाई यह है कि अगले दस सालों में अगर हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेश्यो 30 प्रतिशत तक पहुंच गया, आज के दिन 14 मिलियन बच्चे कॉलेज जाते हैं।

15.00 hrs.

अगर 40-45 मिलियन बच्चे जाएंगे तो 30 मिलियन बच्चों के लिए हमें उच्च-शिक्षा के संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। आप सोचो-अगर आज के दिन 560 यूनिवर्सिटीज़ 14 मिलियन बच्चों के लिए हैं तो 30 मिलियन बच्चों के लिए कितनी और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए होंगी-लगभग एक हजार। क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार एक हजार यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर सकती हैं, नहीं कर सकतीं।

ये बड़े गम्भीर मामले हैं, इसीलिए हम जो नीति अपनाने जा रहे हैं, उसमें हम आपकी सहमति चाहते हैं। आज मुझे आपसे बातचीत करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, हम यही नीति अपनाने जा रहे हैं कि आप हमें...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसके बाद भी मौका मिलेगा।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: आप तो हमें हमेशा ही मौका देते रहेंगे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक हजार उच्च-स्तर की संस्थाओं की हमें स्थापना करनी है तो उन्हें निजी लोग ही बनाएंगे। उसके लिए हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। We must expand the education sector for the private sector to make more investment which means we must create an environment for more investment in the education sector. It also means that we must allow other institutions from outside also to invest in this country by way of twinning arrangements, by way of joint collaborations, by way of setting up independent universities. Unless we use all possible avenues for investment, we are not going to get the number of institutions of quality that we require to meet the demands of the public. It is because at that point in time young students are going to say that they are passing class 12th, but where are the institutions to go to.

शैलेन्द्र जी, सामान्य शिक्षा के बारे में बड़ा अच्छा सवाल आपने रेज़ किया, धनंजय जी, आपने बड़ा सही सवाल रेज़ किया। हम यही कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन मैं आपको बताऊं कि सारे स्टेट बोर्ड्स के साथ मैं खुद मीटिंग कर चुका हूं। हमने साइंस में एक कोर कैरीकुलम बनाया है और सारे स्टेट बोर्ड्स हमारे साथ हैं। वह कोर कैरीकुलम लागू हो रहा है, चाहे स्टेट बोर्ड्स हों, चाहे सैण्ट्रल बोर्ड हो, कहीं भी स्कूल हो, वह कोर कैरीकुलम ही पढ़ाया जायेगा। वैसा ही कोर कैरीकुलम कॉमर्स में बना है। वही कोर कैरीकुलम बनाया, जो आपने सवाल रेज़ किया और बिल्कुल सही रेज़ किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा, चाहे वह देहात में हो, चाहे वह एक अर्बन सैण्टर में हो, उसको अपोर्चुनिटी एक ही होनी चाहिए और जब तक समान रूप से शिक्षा नहीं मिलेगी तो अपोर्चुनिटी एक नहीं रहेगी। अभी हमने ह्यूमेनिटीज़ में यह नहीं किया, क्योंकि ह्यूमेनिटीज़ में थोड़ी डिफीकल्टी है, लेकिन साइंस और कॉमर्स में हम कर चुके हैं।

फिर हम क्या सोच रहे हैं, हमने कई और कमेटीज़ बनाई हैं। एक रामास्वामी कमेटी है, हमारे सैक्रेटरी साइंस और टैक्नोलोजी उसको हैड कर रहे हैं। He has prepared a Report after about a year's work. He has had extensive consultations throughout the country. That Report is suggesting a way forward in the context of the questions that have been raised by the distinguished Members of this House that there should be one examination in India for all students who want to enter into the university system. That examination should consist of two parts – one is the class 12th result and then an all-India examination covering every subject. It will be a kind of a SAT which does not test your domain knowledge, but tests your general attributes. Then you give a certain weightage to the class 12th marks and a certain weightage to that all-India test. Then you will have an all-India examination and each child would be entitled to choose the institution that he wants to go to on the basis of merit. There will be no capitation fee. We will remove that possibility of capitation fee because it will be an all-India examination. We intend, I hope, that we could have that examination for the first time in 2013. This is my attempt.

क्योंकि जब तक वह अवसर हमारे बच्चे को नहीं देंगे, तब तक ये बातें समाज में रहेंगी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, मुझे 15 एग्जॉम्स देने पड़ते हैं, हर जगह मुझे फीस देनी पड़ती है। जब मैं फीस देता हूं, तो सिक्योरिटी डिपोजिट देना पड़ता है। जब मैं इम्तिहान नहीं दे पाता हूं और डिपाजिट वापस मांगता हूं कि मैं एग्जॉम नहीं दे पाया तो वे सिक्योरिटी डिपोजिट वापस नहीं करते। ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी। अगर आप एक ऑल इंडिया एग्जॉम बनायेंगे तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान) इसमें सब आएंगे, सभी को इम्तिहान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जहां-जहां भी टॉप मेरिटियस स्टूडेंट है, वह एक संस्था में जाना चाहेगा। ...(व्यवधान) उसकी च्वाइस होगी। जैसे ही नीचे जाएगा, तो उसकी च्वाइस कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी मेरिट कम है, लेकिन संस्था तो उसको भी मिलेगी।

DR. M. THAMBIDURAI : Why cannot you take the Plus Two marks into account?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am only telling you what we are thinking of doing. There is an Expert Committee that has been set up. Tamil Nadu takes only the Plus Two marks. But the problem with taking only the Plus Two marks is that you do not test the other attributes of the child. Therefore, we need to do that. That is why we are changing the methodology of teaching even in schools. We need to do that.

So, this is the vision that we have and this is how we are moving forward. If India is going to be at the centre of the world and have its rightful place in the comity of nations, it is only through education. There is no other way to do it. There will be issues like आपने एनआईटीज के बारे में कहा, पांडा जी ने भी कहा कि एनआईटीज में जब हमारा एडमीशन होता है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है। एनआईटीज का यह है कि we have converted the engineering colleges into NITs. But the minimum State representation is 50 per cent. Those students in the State can also compete for the general quota, for the all-India seats. The minimum is 50 per cent, but if they compete for the all-India seats and they get their marks in the all-India list, they will be included. But of course the States can set up their own universities and give their preference to the students of the State.

जनार्दन स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बातें कहीं। ये बाहर पढ़े हुए हैं, बाहर यूएस में रहे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लीडरशिप से मिलें और उनसे कहो कि हमारी जो लेजिस्लेचर्स हैं, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है। You have enormous experience and you know the positive aspects of the systems of education outside that we need to actually look at. So, the point you have raised is very valid. But this is of course only one aspect of the matter. The other aspect is the faculty, which distinguished Members have raised across the board. Bijuji has raised it. Puniyaji has made very valuable contribution.

Now the question is, we cannot create faculty overnight. If the expansion of the education sector has taken place at such a speed, it is impossible to create faculty overnight. So, what are we trying to do? I will share with you what we are trying to do. We have a scheme called the National Knowledge Network. The National Knowledge Network is going to connect every institution in this country through fibre optics, through an IT

network. That means a student who is studying in a college in one part of the country can actually take a lecture from a lecturer in another part of the country. We are going to connect every village with fibre optics in the next two years.

<u>15.10 hrs.</u>

(Shri Francisco Cosme Sardinha *<u>in the Chair</u>*)

Every panchayat will be connected with fibre optics in the next two years, and then, with BWA to the home. How will that impact on education? Children will be able to receive lectures sitting where they are. ऐसी बात नहीं हैं। देखिए जहां बिजली नहीं वहां भी व्यवस्था होगी।

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please do not disturb.

… (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : आपने इस बात पर प्रश्न उठाया क्योंकि आज मैं आईटी भी देख रहा हूं तो मैंने टेलिकॉम के लोगों को कहा कि टेलिकॉम टावर्स स्कूल के नजदिक लगे। इसमें कोई रेडिएशन की बात नहीं है। जब टेलिफोन टावर्स होंगे तो उनको चलना पड़ेगा और उनके पास एक्सट्रा पावर रहती है। वही पावर स्कूलों में इस्तेमाल होगी। चूंकि आपने सवाल उठाया है और हमारी जो सोच है, हम कोशिश कर रहे हैं, We cannot control this overnight. In the meantime, we have improved the conditions of teachers exponentially. जो पहले 30 हजार रूपये लेते थे अब 60 हजार रूपये ले रहे हैं। We have improved the conditions of teachers. Now, we have an Assistant Professor, an Associate Professor and a Professor. We give promotions; we are giving autonomy to institutions to appoint faculty. All these things are happening.

Shri Mahtab talked about the world class university. He is right; we had announced this programme sometime ago. But we have to make legislation in order to realize the dream of that world class university. We call such university as an university for innovation. That legislation has now been prepared. In fact, probably in the next few weeks, it is going to go to the Cabinet. That will be introduced. Once that Bill is introduced and passed, then the setting up of a university aiming at world-class standards will be a

reality. We are looking into all these aspects and working very hard on them. As you know, this is an area where even if we try, we cannot build the whole infrastructure of education throughout the country overnight. It cannot be built overnight. But our efforts are to move forward with a new vision. More important than that is the governance structure. That is even more important. आजकल के संस्थाओं में क्या होता है कि बाप चांसलर है, बेटा वाइस चांसलर है और परिवार संस्था चलाता है। यह रियलिटी है। इसको बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप प्रोफेशनलिज्म शिक्षा में नहीं लाएंगे तब तक आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? ये पुरानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो बनी हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटिज में आज एकेडेमिक काउंसिल है, इग्जेक्यूटिव काउंसिल है, शैलेन्द्र जी आप जानते हैं कि वहां क्या होता है? धनंजय जी भी इसे जानते हैं। अगर हम खुद जिस राज्य में हैं वहां पर गवर्नेस स्ट्रक्चर बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। यह केन्द्र सरकार नहीं कर सकती है। केन्द्र सरकार दखलअंदाजी भी नहीं कर सकती है और न हम करना चाहते हैं। यह साझेदारी हम आप के साथ चाहते हैं। यह साझेदारी आप करिए, भागिदारी करिए, आप जो भी चाहें उसके साथ हम खड़े होने को तैयार हैं। जो सुधार आप लाना चाहते हैं हम उसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एक और आग्रह मैं करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की जो बात है उसमें सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा चलना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, मैंने जो पत्र दिया है उसका भी बता दीजिए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैंने रिजर्वेशन पर कुछ बोला था।

MR. CHAIRMAN: Stop this please.

श्री कपिल सिब्बल : अब कुछ दिल्ली की बात हुई कि रिजर्वेशन कट-ऑफ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : ऑल इंडिया की बात हुई। अध्यापकों की परीक्षा में रिजर्वेशन की बात हुई।

श्री कपिल सिब्बल : जहां तक अध्यापकों की परीक्षा की बात है तो जो एलिजबिलीटी टेस्ट पास करेंगे he will be entitled to teach. ...(व्यवधान) एलिजबिलीट टेस्ट जो पास करेगा उसको नौकरी मिलेगी। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please stop this debate.

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आज के दिन यह है कि जो पास करेगा उसे नौकरी मिलेगी। आप चाहते हैं कि on the basis of reservation उसका स्टैन्डर्ट कम किया जाए।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Dhananjay Singh, you may ask your question.

… (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने आपको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाइलाइट किया है, हमने दिल्ली यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर को बोला कि दिल्ली यूनीवर्सिटी में 27 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज़ को रिजर्वेशन मिलेगा और एक भी सीट जनरल कैटेगरी को नहीं जाएगी। हमने वाइस चांसलर को यह डायरैक्शन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कल जजमैंट हमारे पक्ष में दी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल : मैंने मोटे तौर पर आपके सामने सारी बातें रख दी हैं।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर) : आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : मैं देख लेता हूं। अगर आपका सवाल कोई खास है तो मैं अभी उसका जवाब दे दूंगा।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : मैंने सवाल किया था कि जो बड़े राज्य हैं...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : आपने कहा कि कि दो-दो संस्थाएं हों।...(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : जहां उत्तर प्रदेश की आबादी बीस करोड़ है, हम वन फिफ्थ पौपुलेशन कवर करते हैं। वहां आपने एक एनआईटी दे रखा है।...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : धनंजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आज आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारा पहला लक्ष्य यह था कि जहां एनआईटीज़ नहीं हैं, पहले वहां उनकी स्थापना करें। कई प्रदेशों, यूनियन टेरीटरी, नार्थ ईस्ट में एनआईटी नहीं थी। इसलिए हमारी सोच थी कि जहां नहीं है वहां पहले उनकी स्थापना करें। हमने दस एनआईटीज़ की स्थापना कर दी। जहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ नहीं हैं, वहां सैंट्रल यूनीवर्सिटीज़ की स्थापना करें। अगर कहीं आईआईटी है तो वहां आईआईएम नहीं हो और जहां आईआईएम है वहां आईआईटी न हो। इमने इस तरह एक इक्विटेबल सिस्टम बनाया था।...(व्यवधान)

आप जैसे ही हमारे साथ समर्थन करेंगे, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो, जीएसटी पास करेंगे...(व्यवधान) मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक रिफार्म्स की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। आप इनका समर्थन कीजिए। जितनी संस्थाएं चाहें, ले लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, we all support the educational reforms.… (*Interruptions*)

श्री कपिल सिब्बल : मैंने कहा था कि वित्त मंत्री जी को सपोर्ट कीजिए और जो चाहेंगे, वह मिलेगा।...(व्यवधान) मैं आश्वासन देता हूं।...(व्यवधान) इनके बिल्स में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

श्री कपिल सिब्बल : इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपने सुझाव दिए।...(व्यवधान) बिल पास करना है, साढ़े तीन बज जाएंगे।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Janardhana Swamy, if you do not want to ask question, I will call another Member.

SHRI JANARDHANA SWAMY :While initiating the discussion I had asked some very specific questions. My main question was relating to the principle being followed with regard to naming the institutes. It is very confusing to name the new institutes as the Indian institutes of Science. The only difference I find in the name is we are adding 'Education and Research' to the new Indian Institutes of Science. This is actually creating confusion because it implies as if there is no education and research in the present Indian Institutes of Science.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, the Title of the Bill is going to be changed in the following way. It is going to be called 'National Institutes of Technology, Science, Education and Research' and that is a part of the amendment.

SHRI JANARDHANA SWAMY : Sir, there are two things. One is NIT.… (*Interruptions*) Sir, my question has not been answered.… (*Interruptions*)

---

* Not recorded

श्री शैलेन्द्र कुमार :आप हमें प्रश्न पूछने दीजिए। यह परम्परा है।...(व्यवधान)

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Sir, the hon. Minister has not spoken about the backward region of the country. In my speech I had requested the hon. Minister to talk about the backward region and I would like to listen something from him about our programme with regard to the backward region.

SHRI KAPIL SIBBAL: Sir, if you look at the Central Universities that we have set up, whether it is in Koraput or Thiruvarur, these are all in the backward regions of India. So, as and when we set up more institutions those considerations will certainly be kept in mind. There is no question about it. This Government has always invested where the common man needs to benefit and we shall continue to do so.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत विद्वान मंत्री हैं। आपने बहुत एडवोकेट के तरीके से स्पीच दी और समझाने की कोशिश की। मैंने आपको जो पत्र दिया है, मेरे पास छात्रों का डेलीगेशन आया था, वह रिजल्ट सहित दिया है। आप उसे गंभीरता से देखते हुए कुछ न कुछ कदम उठाइये, क्योंकि यह रिजर्वेशन से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। यह आपके लॉ में भी है। आपके उस संविधान में भी है, जो आपने किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कपिल सिब्बल : आपने हमारे सामने जो बात रखी है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That the Bill to amend the National Institutes of Technology Act, 2007, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment

> shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3 to the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 3 to the National Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to be moved."

The motion was adopted.

New Clause 1A **Amendment of Long Title**

Amendment made:

Page 1, *after* line 5, *insert*, -

'**1A**. In the National Institutes of Technology Act, 2007 (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, for the words "certain institutions of technology", the words "certain institutions of technology, science education and research" shall be substituted.'.
(3)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That new clause 1A be added to the Bill"

The motion was adopted.

New clause 1A was added to the Bill.

Motion Re: Suspension of rule 80 (i)

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 4 to the national Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to the moved."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha insofar as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 4 to the national Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 and that this amendment may be allowed to the moved."

The motion was adopted.

New Clause 1B **Amendment of Section 1**

Amendment made:

Page 1, *after* line 5, *insert,* -

'**1B**. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words " National Institutes of Technology", the words "National Institutes of Technology, Science Education and Research" shall be substituted.'.

(4)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That new clause 1B be added to the Bill"

The motion was adopted.

New clause 1B was added to the Bill.

Clause 2 **Amendment of Section 2**

Amendment made:

Page 1, *for* lines 6 to 8, *substitute,* -

'**2**. In section 2 of the principal Act, for the words " the Schedule", the words "the First Schedule and the Second Schedule" shall be substituted.'.

(5)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 to 6 were added to the Bill.

Clause 7 **Insertion of new Section 11A**

Amendments made:

Page 2, line 30, -
after "Government of India"
insert "or his nominee not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India". (6)

Page 2, line 36, -
for "three"
substitute "two". (7)

Page 2, line 38, -
after "Institute is located"
insert "or his nominee not below the rank of the Joint Secretary to the Government of India". (8)

Page 2, *for* lines 41 and 42, *substitute* -

"(*i*) two eminent scientists, to be nominated by the Council, having special knowledge or practical experience in respect of education, engineering or science, one of whom shall be a woman; and ". (9)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clauses 8 to 11 were added to the Bill.

Clause 12 Insertion of new Section 30 A

Amendment made:

Page 3, line 41, -
for "five"
substitute "four". (10)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 Amendment of Section 37

Amendment made:

Page 4, line 24,-
for "2010"
substitute "2011". (11)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 14, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 Power to remove dificulties

Amendment made:

Page 4, line 50,-

for “2010”

substitute “2011”. (12)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN : The question is:

“That clause 16, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17 Amendment of Schedule

Amendment made:

Page 5, *for* lines 8 to 10, *substitute*,-

'1`**17**.(1) The Schedule to the principle Act shall be numbered as the First Schedule and in the First Schedule as so numbered after Sl. No.20 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

21	National Institute of Technology, Goa Society.	National Institute of Technology, Goa
22.	National Institute Of Technology, Puducherry Society	National Institute of Technology, Pudlucherry.
23.	National Institute of.Technology, Delhi Society.	National Institute of Technology. Delhi.
24.	National Institute of Technology. Sumari (Srinagar) Uttarakhand Society	National Institute of Technology, Uttarakhand.
25.	National Institute of Technology, Sohra (Meghalaya) Society.	National Institute of Technology, Meghalaya.
26.	National Institute of Technology, Mizoram Society.	National Institute of Technology, Mizoram.
27.	National Institute of Technology, Manipur Society.	National Institute of Technology. Manipur
28. .	National Institute of Technology, Nagaland Society.	National Institute of Technology, Nagaland.
29.	National Institute of Technology, Arunachal Pradesh Society	National Institute of Technology. Arunachal Pradesh
30.	National Institute of Technology, Sikkim Society	National Institute of Technology, Sikkim.".

(2) After the First Schedule as so numbered, the following Schedule shall be inserted, namely:-‘. (13)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

Page 1, line 3,-

for "2010"

substitute "2011". (2)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Sixty-first"

substitute "Sixty-second". (1)

(Shri Kapil Sibal)

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.28 hrs.

CUSTOMS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2011

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up Item No.13.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Customs Act, 1962, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, this is a very small Bill. It is for amending Section 28 of the Customs Act with retrospective effect because in a recent judgment of the Supreme Court, it has been decided that the Customs Officers so specifically authorized can issue the notices to impose duty, short duty, non-duty, recovery and excess recovery. All these can be done by the officers who are specified for the purpose in the jurisdiction. Earlier, the interpretation was that those who are Custom Officers, they can do it. DRI who are also Customs Officers and Central Excise Officers who are also discharging the duties of Customs Officers in the port area, all of them used to do it.

But with the judgement of the Supreme Court it appears that now each officer is to be specifically authorised and specified by the designation so that these specified officers can discharge these responsibilities. I am asking for the retrospective amendment and validation through this Bill because if we do not do so, then over the last 25 to 30 years all the charges which have been issued all those will become invalid and it will create a total chaos. As it is arising out of the judgement of the Supreme Court of February, 2011 there was no way by which we could have rectified this earlier and so I would request the House to consider it and to agree to it.

MR. CHAIRMAN : All right. Now, the House will take up Private Members' Business.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, we may first pass this Bill… (*Interruptions*) We can pass this Bill in another two minutes time… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Well, if you want to speak, then we can take it up on the next day. But if you do not want to speak, then we can pass it today… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): ऐसे कैसे पास करा देंगे, इस बिल पर हम बोलेंगे इसलिए चर्चा होनी चाहिए।

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): Sir, we would like to give our views… (*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): यह सुप्रीम कोर्ट के कारण अमेंडमेंट मूव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से प्रोसिक्यूशन अदरवाइज़ बेकार हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Then we can take it up on Monday… (*Interruptions*)

SHRI UDAY SINGH : Otherwise, you give us 20 minutes now and we will finish it today… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: So, we will continue consideration of this Bill on Tuesday as Monday is a holiday.

---

[*] Not recorded

<u>15.32 hrs.</u>

MOTION RE: NINETEENTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

MR. CHAIRMAN: The House would now take up Private Members' Bills and Resolutions.

Shri Vijay Bahadur Singh.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH (HAMIRPUR, U.P.): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions to the House on 18 August, 2011."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Nineteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions to the House on 18 August, 2011."

The motion was adopted.

15.33 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

CHAIRMAN: Shrimati Supriya Sule -- Not Present

Shri D.V.Sadanand Gowda -- Not Present

(i) COMMISSION FOR IMPARTING SCIENCE, ENGINEERING AND MEDICAL SCIENCES EDUCATION IN INDIAN LANGUAGES BILL, 2011*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं भारतीय भाषाओं में विज्ञान, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आयोग की स्तापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for setting up of a Commission for imparting science, engineering and medical sciences education in Indian languages and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.34 hrs.

(ii) COW PROTECTION AUTHORITY BILL, 2011*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में गौ और उसकी संतति के संरक्षण के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकरण तथा राज्य स्तर पर समरूप प्राधिकरणों के गठन और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* Published in the gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

MR. CHAIRMAN: The question is:

> “That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an Authority for the purpose of protection of cow and its progeny in the country and similar authorities at the State level and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : मैं विधेयक पुरःस्थापित * करता हूं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): मेरा ऑब्जैक्शन सुन लिया जाए। इन्होंने कहा है कि पुरःस्थापित किया जाए, इन्हें कहना चाहिए कि पुरस्थापित हुआ।

MR. CHAIRMAN : It is only introduction of the Bill.

… (*Interruptions*)

---

* Introduced with the Recommendation of the President

15.35 hrs.

(iii) CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2011* (Amendment of the Schedule))

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950".

The motion was adopted.

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.35½ hrs.

(iv) GUTKA AND PAN MASALA (PROHIBITION) BILL, 2011*

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गुटका और पान मसाला के उत्पादन, संप्रवर्तन और विक्रय का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the production, promotion and sale of gutka and pan masala."

The motion was adopted.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.36 hrs.

(v) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Amendment of Article 72)

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The motion was adopted.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.36½ hrs.

(vi) COMPULSORY MILITARY TRAINING BILL, 2011*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to make military training compulsory for all able-bodied persons and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to make military training compulsory for all able-bodied persons and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.37 hrs.

(vii) NATIONALISATION OF INTER-STATE RIVERS BILL, 2011*

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for nationalization of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river waters among the States and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for nationalization of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river waters among the States and for matters connected therewith or incidental thereto".

The motion was adopted.

SHRI ADHIR CHOWDHURY: I introduce the Bill.

15.37½ hrs.

(viii) SPECIAL EDUCATIONAL FACILITIES (FOR CHILDREN OF PARENTS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2011*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special educational facilities to the children of parents living below poverty line and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special educational facilities to the children of parents living below poverty line and for matters connected therewith".

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.38 hrs.

(ix) UNIVERSITY OF PATNA BILL, 2011*

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पटना में एक अध्यापन तथा आवासिक विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे चलाने एवं उससे संबंधित वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish and maintain a teaching and residential university at Patna and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.38½ hrs.

(x) GOVERNMENT SERVICES (REGULATION OF COMPASSIONATE APPOINTMENTS) BILL, 2011*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का विनियमन और उससे संसक्त वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the regulation of appointments on compassionate grounds in offices under the control of Central Government and for matters connected therewith".

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.39 hrs.

(xi) TELEVISION PROGRAMMES (REGULATION) BILL, 2011*

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रमों का प्रसारण विनियमित करने और तत्संबंधी अथवा उसके आनुंगिक वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the programmes telecast on television channels and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.39½ hrs.

(xii) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011*

(Insertion of new article 16A, etc.)

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

The motion was adopted.

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.40 hrs.

(xiii) SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (RESERVATION IN POSTS AND SERVICES) BILL, 2011*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation in appointments or posts in civil services for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for reservation in appointments or posts in civil services for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in establishments and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.8.2011

15.41 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2011
(Insertion of new articles 275A and 371J)

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further consideration of the motion moved by Prof. Ranjan Prasad Yadav on the 11th March, 2011.

Shri Dara Singh Chauhan – not present.

Shri Arjun Roy.

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, प्रो. रंजन प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए संविधान संशोधन विधेयक, 2009 को अंतःस्थापित किया गया है, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बिहार देश का बहुत ऊर्जावान और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और देश के निर्माण में हमारा मानना है कि बिहार की जो भूमिका रही है, वह किसी भी स्तर पर कम नहीं रही है। बिहार आज लाचारी और बेबसी के किनारे खड़ा है। एक तरफ बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए बिहार में संघर्ष चल रहा है। लोकसभा में बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए गैर सरकारी संकल्प पर पिछले शुक्रवार को डिस्कशन हुआ था और आज विशेष आर्थिक सहायता लेने के विषय पर डिस्कशन हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में संघीय ढांचे का निर्माण हुआ, तो राज्य और केंद्र के बीच दायित्वों का जो बंटवारा हुआ, इसमें फाइनेंस और आय की जितनी भी ताकत थी, ज्यादा से ज्यादा ताकत केंद्र को दी गई और सेवा के क्षेत्र में जो काम करना था, वह राज्यों के जिम्मे दिया गया। हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और हम लोगों के लिए भी चिंता का सवाल है कि आज पूरे देश में क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है।

15.44 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

केन्द्र को जिस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए कि किस तरह से क्षेत्रीय विषमता देश में कम हो और देश का पूरा विकास हो, जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी लगभग बराबर हो। लेकिन भारत सरकार ने इस दिशा में जो उचित कदम उठाने चाहिए, वे नहीं उठाए। मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय बिहार वर्ष 2000 में और उससे पहले जिस समय बिहार और झारखंड एक साथ थे, देश की सर्वाधिक खनिज सम्पदा उसी बिहार में थी। आज के समय में बिहार में ही सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। चूंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं, दुनिया में जितने फोल्डेड माउंटेन वैल्स से जो नदियां निकलती हैं और उसके जो बेसिन हैं और उसके द्वारा जो मैदानी इलाका बना है, वही सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका है जिसमें जो गंगा का बेसिन है, उससे ज्यादा उपजाऊ जमीन इस धरती पर कोई नहीं है। वह बेसिन बिहार में है।

लेकिन आज जिस कृषि के क्षेत्र में बिहार में क्रान्ति होनी चाहिए, कृषि से संबंधित उद्योग धंधों में जो तरक्की होनी चाहिए, देश की और भारत सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, बिहार की उपेक्षा किये जाने के कारण आज बिहार कृषि के क्षेत्र में भी देश में अंतिम पायदान पर लटका हुआ है। बिहार के लोग देश ही नहीं दुनिया में सबसे मेहनतकश लोग माने जाते हैं। बिहार के विद्यार्थी चाहे वे बिहार में पढ़ें या बिहार से बाहर पढ़ें, जितनी भी सर्विसेज के लिए जो प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो या एसएससी की परीक्षा हो या यूपीएससी की हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो या इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा हो, बिहार के छात्र चाहे बिहार में संसाधन कम हैं, शैक्षणिक संस्थान बिहार में कम हैं, हमारे यहां पठन पाठन की स्थिति ठीक नहीं है, दूसरे राज्यों- कोटा, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद और बैंगलोर इत्यादि विभिन्न राज्यों में जाकर बिहार के छात्र पढ़ते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देश और दुनिया में देने का काम करते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, मेहनतकश लोग, पर्याप्त जल संसाधन, नेपाल से आने वाली 24 से 28 नदियां बिहार में बहती हैं, और मैक्सिमम नदियां बारहमासी हैं और आज बिहार जहां विकास की सारी सुविधाएं हैं, जहां विकास का कोई एक भी ऐसा साधन और संसाधन नहीं है जो बिहार में न हो लेकिन फिर भी बिहार विकास के मायने में देश में अंतिम पायदान पर खड़ा है।

1993-94 से लेकर 2005-06 में जो आंकड़े हमने देखे, बिहार विकास के मामले में देश के अंतिम पायदान पर है। कभी पंजाब आगे है, अच्छी बात है। कभी महाराष्ट्र आगे है, अच्छी बात है। हमारे देश के सभी राज्य विकसित हो जाएं लेकिन बिहार जिसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा शक्ति है, जिसने देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है और वह विकास के मामले में अंतिम पायदान पर रहे, बीच में भी नहीं रहे, अंतिम से ऊपर भी नहीं रहे, लास्ट पोजीशन

पर ही रहे, यह देश के लिए चिंता का विषय है। केवल बिहार के लिए चिंता का विषय नहीं है। पूरे देश और सरकार के लिए चिंता का विषय है।

बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, मध्य मार्ग दिया। बिहार ने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया और देश की आजादी के आंदोलन की जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई, वह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार से शुरु हुई और आज बिहार इस स्थिति में खड़ा है।

हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। दुनिया के स्तर पर हम कमजोर हैं। हम विकासशील देश कहलाते हैं। इस देश में गरीबी और अमीरी के बीच में जो फासला है, वह बहुत ही चिंता का विषय है। आज देश में जो आंकड़े बताते हैं, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि देश के लगभग 77 से 80 फीसदी लोग 20 रुपये प्रति दिन की आय पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन इस देश में 100 व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पास देश की पूरी सम्पत्ति का एक चौथाई भाग है। कहने का मतलब है कि इस तरह की आर्थिक गैर-बराबरी कि 100 व्यक्ति देश की पूरी सम्पत्ति का एक चौथाई भाग रखता हो और 80 फीसदी व्यक्ति 20 रुपये से कम पर जीवन यापन करते हों, यह किस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस देश में है? यह किस तरह की आर्थिक व्यवस्था है और किस तरह का भारत सरकार ने वित्तीय प्रबंधन किया है? हम इस पर सवाल खड़ा करते हैं।

सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बाहर से किसी इश्यू पर आवाज देता है, जनता के बीच कोई इश्यू खड़ा करता है तो देश के लोग आंदोलित हो जाते हैं लेकिन सरकार या सदन की तरफ से कोई बात आती है तो देश के लोग खड़े नहीं होते। देश में अमीरी और गरीबी, विचार करने का विषय है। आपने गरीबी के लिए जितनी भी कमेटी बनाई हैं, चाहे तेदुंलकर, सक्सेना या सेनगुप्ता कमेटी हो, किसी में अंतर नहीं है, किसी में बराबरी नहीं है। इनमें एक तरह के आंकड़े और जानकारी नहीं आ रही है, इन सब में मतभिन्नता है। मतभिन्नता और पैरामीटर के आधार पर न तो केंद्र सरकार और न ही योजना आयोग द्वारा कोई ठोस पहल की जा रही है जिससे गरीबी और अमीरी में भारी अंतर को कम किया जा सके और गरीबी कम हो।

मैं बिहार के संबंध में बताना चाहता हूं कि योजना आयोग कहता है कि 65 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी के लिए जो पैरामीटर तय किया गया, जब बिहार सरकार ने सर्वे कराया तो उसके मुताबिक बिहार में 1,40,00,000 परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए। जब बिहार सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया कि 1,40,00,000 परिवारों को अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना के तहत बीपीएल को खाद्यान्न देना चाहिए तो भारत सरकार ने मना कर दिया। भारत सरकार ने बिहार के गरीबों को भुखमरी की कगार पर छोड़ने का काम किया। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति 44,000-45,000 रुपए वार्षिक आय है जबकि बिहार में 11,000 रुपए है। हम क्यों विशेष पैकेज की बात कहते हैं? हम क्यों आर्थिक सहायता की बात कहते हैं? क्योंकि हम गरीबी के मामले में

देश में अंतिम पायदान पर हैं। हमारी माली हालत सबसे खराब है। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए एसजीएसवाई के तहत उपाय किए हैं, यह फेल है, मनरेगा फेल है। आपकी एक भी योजना बिहार में ठीक से चल नहीं रही है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम पायदान के नजदीक है। यहां 2001 में 47 प्रतिशत लोग शिक्षित थे, मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने बहुत सी पहल की हैं, आज 74 प्रतिशत से अधिक लिटरेसी रेट है और बिहार 63 प्रतिशत के नजदीक पहुंच गया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतिश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में साईकिल योजना, बालिका पोषाक योजना, प्रथम श्रेणी से पास करने वाले बच्चों को खास तौर से बच्चियों के लिए 10,000 रुपए आगे पढ़ाई करने की योजना लाए। दो लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली हुई। इस तरह से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए हैं। अभी हमें और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करने हैं।

बिहार में आठ ऐसे जिले हैं और आपको इनके बारे में जानकर हैरानी होगी की इनमें अनुसूचित जाति का लिटरेसी रेट 10 प्रतिशत के आसपास है। यह कैसा देश है? कैसी आजादी है? जहां दस प्रतिशत लोग किसी समाज के शिक्षित होंगे वह कैसे विकसित हो सकता है? हम विशेष पैकेज चाहते हैं ताकि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र का विकास हो। जब स्पेशल स्टेट्स के संबंध में चर्चा हुई थी तब इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात आई थी। देश में लगभग 33 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क है लेकिन बिहार में 87,000 किलोमीटर है। हमें लगभग तीन लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क चाहिए। देश में लगभग 66,000 किलोमीटर एनएच है और बिहार में मात्र 3,600 किलोमीटर बनाया गया। देश के लैवल पर जनसंख्या के अनुपात पर 5,000 किलोमीटर बिहार को चाहिए था।

सभापति महोदय : आपके ही दल के चार-पांच सदस्य हैं इसलिए आप संक्षिप्त में बोलिए।

श्री अर्जुन राय : आप बुंदेलखंड में स्पेशल पैकेज दे सकते हैं। बंगाल और मुम्बई में प्राकृतिक आपदा आती है तो इनको स्पेशल पैकेज देते हैं लेकिन 2007 में बिहार में 23 जिले वाशआउट हो गए और आपने एक रुपए की सहायता नहीं दी। वर्ष 2008 में कोसी में त्रासदी आई, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हैं। 14 हजार करोड़ रुपये की मुख्य मंत्री की पुनर्वास के लिए डिमांड होती है, जिसे आप खारिज कर देते हैं। आखिर बिहार कैसे विकास करेगा। यदि बिहार को विकसित करना चाहते हैं तो जो बिहार की मांग है, जो बिहार का हक है, उसे आपको देना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि समय का अभाव है, बिहार का सवाल है और यह केवल बहस और भाषण से हल नहीं होगा। चूंकि बहस और भाषण होते हैं और सरकार की तरफ से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए लोगों में क्षोभ पैदा होता है, अविश्वास पैदा होता है और लोगों में भ्रम पैदा होता है कि भारत सरकार किसी खास इलाके को, किसी खास

क्षेत्र को, किसी खास वर्ग को मदद करना नहीं चाहती है। बिहार में दस करोड़ लोग हैं, आंदोलन की धरती है। अगर बिहार को आप स्पेशल स्टेटस और विशेष पैकेज नहीं देते हैं तो अभी आपके खिलाफ देश में संग्राम चल रहा है। लेकिन बिहार से बहुत भारी संग्राम की शुरूआत होगी और तब कहीं आपके कान में आवाज जायेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लिखकर दे दीजिए, सब लोग सम्बद्ध हो जायेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डा.रंजन प्रसाद यादव द्वारा एक अच्छा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। लेकिन बिहार विधान सभा ने 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का सर्वसम्मत प्रस्ताव किया था और ये 90 हजार करोड़ पर आ गये। यह घट क्यों गये, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब इनके संशोधन में हमारा संशोधन है। 1 लाख 79 हजार करोड़ रुपये का सभी दलों ने बैठकर फैसला किया है कि बिहार को इतने पैसे का पैकेज मिलना चाहिए और इन्होंने उसे 90 हजार और तीस हजार रुपये सालाना कर दिया। बिहार सौ वर्षों में तीन बंटवारों से पीड़ित हुआ है। 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए और 1936-37 में उड़ीसा अलग हुआ और तीसरा बंटवारा 15, नवम्बर, 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया और वर्तमान बिहार बच गया। उस समय भी बहस हुई थी, तब हम लोग उधर थे। इस पर बहुत जद्दोजहद हुई, हम लोगों ने इसकी खिलाफत की कि बिहार नहीं बंटना चाहिए। उधर से श्री आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने वचन दिया था कि बंटवारे के कारण बिहार का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई केन्द्र सरकार करेगी और पैकेज देगी। हम लोग खोज रहे हैं कि पैकेज कहां है तो पैकेज का पता नहीं चलता है। …(व्यवधान) उस समय सरकार में थे तो अभी जो सरकार है, उसे भी तो विचार कराना पड़ेगा। अभी वर्ष 2000 से 11वां साल बीत रहा है, हम केन्द्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि उस वचन का पालन क्यों नहीं हुआ। बंटवारे के समय कहा गया था कि यह दे देंगे, वह दे देंगे।

बिहार में जो सारे इंडस्ट्रीज थे, खान और खनिज थे, वे सब झारखंड में चले गये और इधर बाढ़, सुखाड़, जल जमाव और नदी से कटाव की समस्याएं रह गईं और इन सबसे बिहार की जनता पीड़ित है। हर साल बिहार भारत-नेपाल की नदियों की बाढ़ से, दक्षिण बिहार के सात जिले सुखाड़ से, दस लाख हैक्टेअर जमीन में जल जमाव से और नदियों के कटाव से, जिसमें गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के कटाव से बिहार के लोग पीड़ित हैं। इन चारों के कारण हम ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है। बाढ़, सुखाड़, जल जमाव और नदी से कटाव ये चार आपदाएं बिहार में हर साल होती हैं।

16.00 hrs.

यह वचन दिया गया कि हम पैकेज देंगे, हम बिहार की सहायता करेंगे। देश में विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन उसमें नम्बर एक समस्या रीजनल डिसपैरिटी है। क्षेत्रीय विषमता घटी नहीं है। यदि क्षेत्रीय विषमता को समाप्त नहीं किया गया तो देश की एकता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। क्षेत्रीय विषमता बहुत दिनों तक नहीं रहनी चाहिए। इसलिए पॉलिसी में, नीति में, कार्यक्रम में क्षेत्रीय विषमता दूर करने की तरफ जोर देना चाहिए। क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए श्री अर्जुन राय जी भी कह रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए क्या हुआ? वर्ष 2000 से वर्ष 2011 तक केंद्र सरकार ने अपना कहा हुआ क्या किया, बिहार को क्या सहायता मिली? सभी लोगों की मांग थी, सभी लोग प्रधानमंत्री जी के यहां गये थे। उस समय नीतीश कुमार जी कन्वेनर थे और रंजन जी उप कन्वेनर थे। सब लोग प्रधानमंत्री जी के यहां गये थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उस समय से अभी तक लड़ाई जारी है। इससे पहले वाली, 13वीं लोक सभा में तीन बार सवाल उठा, आठ-आठ घंटे बिहार पर बहस हुई। यह कहा गया कि हम उपाय करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। हमारे उस पैकेज का क्या हुआ? हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 2000 से वर्ष 2011 तक क्या हुआ? इन 11 वर्षों में बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पढ़ाई-लिखाई के मामले में अभी एक बिल पास हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, यह मांग बहुत दिनों से है, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। महात्मा गांधी के नाम पर राज्य सरकार कहती है कि चंपारण में दीजिये, लेकिन भारत सरकार उसमें पेंच लगाती है। बिहार में चार सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आप हिसाब लगाइये, देश में क्षेत्रीय विषमता दूर करने की आपकी क्या पॉलिसी है? पिछड़े क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ-ईस्ट में, हर छोटे-छोटे राज्य पांच लाख, दस लाख की जनसंख्या वाले राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो रही है, लेकिन दस करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में कुछ नहीं है।

महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा कहां गया? कम से कम तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में होनी चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी तो पहले से ही डिजर्व करती है कि उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। चंपारण में यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कम से कम तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप हिसाब लगाइये नहीं तो हम हिसाब लगा लेंगे कि और राज्यों में कितनी-कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। हमारी दस करोड़ की आबादी है। एमआईटी मुज्जफरपुर में है, क्यों आईआईटी नहीं हो रहा है? हम लोगों ने बीएचयू में मना किया था, वहां परम्परागत इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसकी रैपुटेशन थी। उसके बारे में बोला कि इसे हम राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं। मदन मोहन मालवीय जी के वक्त से वहां इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसे आईआईटी बना दिया। आप हमें यह बताइये कि एमआईटी, मुज्जफरपुर को आप क्यों नहीं बनाते हैं? एमआईटी, मुज्जफरपुर को आई आईटी होना चाहिए। वह पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसकी रैपुटेशन है और उसके

पास सारे संसाधन हैं। बिहार में एक भी आईआईएम नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि एक भी आईआईएम बिहार में क्यों नहीं है? सरकार की क्या पॉलिसी है, किस हिसाब से आपकी पॉलिसी चलती है? मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वहां आप आईआईएम वाला इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल रहे हैं? हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं। सेंट्रल स्कूल खोलने के क्या मापदंड हैं? बिहार में जितने सेंट्रल स्कूल होने चाहिए, वहां पर उतने सेंट्रल स्कूल नहीं हैं। कहते हैं कि बिहार पीछे छूट गया है, हम पैकेज देंगे, हम हिफाजत करेंगे और हम पढ़ाई-लिखाई में तरक्की करायेंगे। सेंट्रल स्कूल के मापदंड के हिसाब से बिहार का जो हिस्सा है, वह हमें मिलना चाहिए।

मैडिकल कॉलेज के बारे में देखा जाये कि देश के किस हिस्से में कितने मैडिकल कॉलेज हैं, लेकिन बिहार में मैडिकल कॉलेज कहां हैं?

आज हमारे देश में डाक्टरों की कमी हो रही है। देश में करीब 9000-10000 लोगों पर एक डाक्टर है और बिहार में 20000 पर एक डाक्टर है। इसलिए 30 मैडिकल कालेज बिहार में खोलने की योजना बनानी चाहिए। बड़े-बड़े जिलों में कम से कम एक मैडिकल कालेज होना चाहिए। इंजीनियरिंग कालेजों की भी कमी है। और जगह से तो हमारे बिहार के लड़के बाहर जाते हैं। देश भर में जो इंजीनियरिंग कालेज और मैडिकल कालेज हैं, वहाँ के 50 प्रतिशत बच्चे बिहार के होते हैं, वे पूना में या और जगह जाकर पढ़ रहे हैं। बिहार में इंस्टीट्यूशंस ही नहीं हैं। लोग कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए 30 इंजीनियरिंग कालेज कम से कम खुलने चाहिए। ...(व्यवधान) आप देखिये कि कर्नाटक में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, और राज्यों में भी गिन लीजिए कि कितने हैं। इसलिए बिहार में इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हों, जिसमें पढ़ाई हो, मेधावी लड़के जाएँ, पढ़ें, तरक्की करें, अपनी ज़िन्दगी सुधार करें। इससे समाज, देश और प्रदेश, सबका भला होगा।

महोदय, यहाँ बिहार के कई माननीय सदस्य बैठे हैं। सब जानते हैं कि सबके यहाँ सप्ताह में चार-पाँच बीमार तो ज़रूर आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर अस्पताल में कोई बीमार जाता है, पटना में अस्पताल में जाता है, तो उसको कहते हैं, एम्स जाइए। यहाँ लड़खड़ाता हुआ आता है, बीमार है, मरने वाला है और एम्स वाले कहते हैं कि 2013 में आइए। फिर वह हमारे यहाँ पहुँचता है और बताता है कि इस प्रकार एम्स वाले कहते हैं कि 2013 में आइए, लेकिन हमें लगता है कि दो-चार दिन भी वह रहेगा या मर जाएगा। वहाँ के लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं इसलिए बिहार में कम से कम पाँच एम्स के दर्जे वाले अस्पताल होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? महोदय, क्या आप जानते हैं कि देश में नये एम्स खोलने की बात हुई है। उत्तराखंड में हुई है, उसका स्वागत है, वहाँ की आबादी 85 लाख है। झारखंड में एक एम्स अपग्रेड करने की बात हुई, वहाँ की दो करोड़ की आबादी है। छत्तीसगढ़ में एम्स के अपग्रेडेशन की बात है, वहां दो करोड़ की आबादी है और बिहार की 10 करोड़ की आबादी है लेकिन एक भी अपग्रेडेशन नहीं है। एक नया खोल दिया जिसका 2004 में भैरों सिंह शेखावत जी ने शिलान्यास किया था। अब सात वर्ष हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कि उस एम्स का क्या हुआ। पाँच-सात मरीज़ लोग हर वक्त माननीय सदस्यों के डेरे पर पड़े रहते हैं। किसी को

कैन्सर है, किसी को ट्यूमर है, हार्ट की परेशानी है, वॉल्व की खराबी है। गरीब आदमी को हार्ट की वाल्व की खराबी की बीमारी होती है, बड़े आदमी को बीमारी होती है बायपास वाली। यह सभी तरह के बीमार एम्स में आते हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि देश में 19 मेडिकल कालेज और अस्पतालों को एम्स के रूप में अपग्रेड करेंगे, लेकिन बिहार का एक भी क्यों नहीं? सरकार में बैठा हुआ कोई आदमी जवाब दे। ऐसा अंधेर है और कहते हैं कि पैकेज ला रहे हैं, संविधान संशोधन ला रहे हैं। यह पैकेज की बात हम सुन रहे हैं लेकिन इसको देने वाला कोई नहीं है। कोई हमें जवाब दे कि 19 अस्पतालों में से बिहार का एक भी अस्पताल क्यों नहीं है? हमने सूची में देखा है। मुजफ्फरपुर मैडिकल कालेज और अस्पताल, दरभंगा मैडिकल कालेज और अस्पताल, भागलपुर मैडिकल कालेज और अस्पताल, गया मैडिकल कालेज और अस्पताल, आईबीएमएस पटना, इन पाँचों के अपग्रेडेशन का हम सवाल उठाते हैं। नहीं तो सरकार बताए कि क्यों नहीं हमारे यहाँ हुआ? 19 पर विचार हो गया लेकिन हमारे राज्य पर कोई विचार करने वाला नहीं है।

महोदय, बिहार में उद्योग तो हैं ही नहीं, बिजली नहीं है। विभिन्न राज्यों में बीएचईएल के कारखाने हैं, लेकिन बिहार में एक भी नहीं है। प्राइवेट वाले उद्योग भी नहीं रहे और पुरानी जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री थी, उनमें केवल पाँच-सात चालू हैं, बाकी सब चीनी मिलें बंद हैं। कहते हैं कि वे मिलें चालू होंगी, लेकिन क्यों चालू होंगी। ...(व्यवधान)

आधी बंद हैं। इसलिए इसे चालू करने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या कोई खोज खबर ली है। मैं मांग करता हूं कि हमारे यहां मोतीपुर चीनी मिल की 1200 एकड़ जमीन है, रेल हेड में है, ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के बगल में है, उसमें भेल कारखाना खोले। राज्य सरकार भी जमीन दे दे। आप लोगों से कहते हैं कि राज्य सरकार से भी जमीन दिला दीजिए। भारत सरकार वहां भेल का कारखाना खोले। किसी तरह से तो उद्योग लगना चाहिए। कुछ नहीं हुआ है, किसी प्रकार का निवेश नहीं हुआ है। कृषि के क्षेत्र में एमएसपी का हमारे यहां किसान गेहूं अथवा धान पैदा करते हैं, मिनिमम स्पोर्ट प्राइज भी उन्हें नहीं मिलता है। एफसीआई की दुकानें नहीं हैं। किसान डिस्ट्रेस सेल करते हैं। जैसे-तैसे औने-पौने दाम में किसान को अपनी उपज बेचनी पड़ती है, नहीं तो आगे वह खेती कैसे करेगा। जब तक वह अपनी उपज बेचेंगे नहीं और उनके पास गोदाम भी नहीं हैं। सरकार देखे कि कितनी विषमता है। किसानों के पास बेचने के लिए अनाज है, लेकिन उन्हें भाव नहीं मिल रहा है।

बिजली का भारी संकट है। देश भर में सबसे न्यूनतम बिजली बिहार में है और पर-केपिटा की खपत बहुत कम है, लेकिन मांग बहुत है। सबसे ज्यादा डिमांड बिहार की अन्य राज्यों के मुकाबले में है, इसलिए बिजली के ट्रांसमिशन का मामला, बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन का मामला और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन का मामला, जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रीफिकेशन, चारों मामले में बिहार बहुत पीछे है। बिजली के लिए लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं। सप्लाई भी नहीं है। राजीव गांधी विद्युतिकरण में छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगा दिए, सिर्फ 16 किलोवाट के, रंजन जी ने कहा है कि पैकेज दो, अब पैकेज की क्या बात करें, कुछ भी नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the extended time allotted for the discussion on this bill is over. I have still five more hon. Members who want to speak of this Bill. So, if the House agrees, the time for the discussion may please be extended by one more hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes, please.

MR. CHAIRMAN: All right, the time of the ongoing discussion is extended by another one hour. Yes, Dr. Raghuvansh Prasadji, now, please conclude.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह विषय बहुत अहम है, इसीलिए शुक्रवार के दिन सदस्य सदन में उपस्थित हैं। लोग उत्साहपूर्वक बैठे हैं।

महोदय, बिजली का उत्पादन, संचरण, वितरण और ग्रामीण विद्युतिकरण। सभी मायने में राजीव गांधी विद्युतिकरण के तहत कहते हैं कि हम केवल गरीब के यहां केबल लगाएंगे और दूसरे लोगों के यहां नहीं लगाएंगे। वह कहता है कि तार ही काट देता हूं। यह सभी संकट गांवों में है। इन सभी समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार को देखना चाहिए। सब कुछ राज्य सरकार पर छोड़ रहे हैं। राज्य सरकार भारत सरकार का नाम लेती है। राज्य सरकार कहती है कि भारत सरकार की ढिलाई है, भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकार की ढिलाई है। दोनों सरकारों के बीच में वहां की जनता की पिसाई हो रही है।

महोदय, सिंचाई का सवाल है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, पुनपुन, सोन नदियां बिहार में बहती हैं। लेकिन वॉटर मैनेजमेंट नहीं है। बाढ़ रोकने, जल और सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। कटाव की वजह से वहां के लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। इस बारे में कोई इंतज़ाम वहां भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। समय का अभाव है, अन्यथा मैं आपको अक्षर-अक्षर बताता कि कहां-कहां भेदभाव हुआ है, कहां-कहां गलत हुआ है।

महोदय, श्री अर्जुन राय जी ने सड़क का सवाल भी उठाया था। जब श्री बालू नेशनल हाईवे के मंत्री थे, उस समय 990 किलोमीटर चार लेन का मंजूर हुआ, लेकिन काट दिया। अभी वहां मुज़फ्फरपुर से बरौनी एन.एच.-28 15000 पी.सी.यू. से ज्यादा है, फोर लेन का डिजर्व करता है, वह अभी तक नहीं हुआ है। उसी तरह से खगड़िया से पूर्णिया है, वह भी 15000 के करीब है। उसका नाम भी फोर लेन से काट दिया गया।

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : फिर आरा से मलियाबाग़, मलियाबाग़ से मोहनियां, पटना से गया, इन सभी में फोर लेन है, यह स्वर्णिम चतुर्भुज को मिलाने की सरकार की नीति है। उधर बख्तियारपुर से बरही, बीच में टू-लेन, बरही से रांची तक फोर लेन, उधर फोर लेन बीच में टू-लेन, इसलिए ये सभी को फोर-लेन होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो दूसरी हुकूमत यूपीए-2 की आई, उसमें एक किलोमीटर की सड़क भी मंजूर नहीं हुई है। ऐसा भेदभाव क्यों हुआ?

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह बस अन्तिम बिन्दु है। पर्यटन के बारे में आप जानते हैं। आप आध्यात्मिक रूचि और आध्यात्म के विशेषज्ञ हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, भगवान महावीर की जन्मभूमि, श्री गुरू गोविंद सिंह की जन्मभूमि, ये सब ऐतिहासिक धरोहर हैं। लेकिन बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट, रामायण सर्किट, जैन-महावीर सर्किट कहां है?

सभापति महोदय : अब अपनी बात समाप्त करें। कई और सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये सभी स्थल वहां बिहार में हैं। उन सभी की सांस्कृतिक विरासत है, उसका ऐतिहासिक धरोहर है, यह पौराणिक महात्म्य की चीज है। पर्यटन में भी बिहार उपेक्षित है। इसलिए इसकी सभी मामलों में उपेक्षा हुई। बिहार का बंटवारा हुआ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record now.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, डॉ. रंजन प्रसाद यादव जी ने बिहार के संदर्भ में विधेयक पेश किया है।

सभापति महोदय : कई और सदस्य बोलने वाले हैं। संक्षेप में बोलें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, इसमें पार्टी और समय का बंधन नहीं होता है। मैंने अभी प्रारंभ ही नहीं किया है और आप कहते हैं कि संक्षेप में बोलिए। मैं आगे का कार्यक्रम देख रहा हूं। इस उद्देश्य से मेरी कटौती नहीं होनी चाहिए। मैं खुद संक्षेप में बोलूंगा। लेकिन मैंने बात प्रारंभ ही नहीं की और आप कह रहे हैं संक्षेप में बोलिए।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के चार और सदस्य हैं, वे भी बोलेंगे।

श्री मंगनी लाल मंडल : इसमें पार्टी का बंधन नहीं है। क्या दूसरी पार्टी के लोग बिहार के मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं?

सभापति महोदय : सभी को अवसर मिलना चाहिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : मैंने इसी सदन में देखा है कि एक बिल पर चार-चार, पांच-पांच दिन बहस हुई। इसमें समय का कोई बंधन नहीं है।

सभापति महोदय : आप प्रारंभ कीजिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : आपको आसन की तरफ से बिहार के साथ उदारता बरतनी चाहिए। आप सरकार नहीं हैं, आप तो आसन हैं।

सभापति महोदय : बोलिए-बोलिए। सभी को बोलना है। सभी बोलना चाहते हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल : डॉ. रंजन प्रसाद यादव जी ने बिहार के संदर्भ में जो गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें संविधान के दो अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है कि इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन करके, अपने विधेयक में इन्होंने जो प्रावधान लाया है, उसको इसमें इन्सर्ट करने के लिए इन्होंने बिल लाया है। एक है अनुच्छेद 275-ए और दूसरा है अनुच्छेद 371-जे। अब इसमें डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारी तो मांग 189000 करोड़ रूपए की थी। उससे पहले उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 5000 करोड़ रूपए का ऐलान किया था। लेकिन विधेयक में जहां तक वित्तीय ज्ञापन है, उसमें दो अनुच्छेद हैं और तीन खंड है।

पहला 90 हजार का है और आवर्ती वार्षिक व्यय के रूप में तीस हजार करोड़ है। खंड तीन में बिहार राज्य के विकास के लिए विशेष प्रावधानों का उपबंध है। इस प्रकार संचित निधि से इसमें भी तीस हजार करोड़ रुपया लगेगा। तीस और तीस साठ, नौ और छः पन्द्रह, यानी एक लाख 50 हजार करोड़ रुपए सरकार स्वीकार कर लेती है तो एक लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान करना होगा, 90 हजार का नहीं। स्व. श्री राजीव गांधी जी ने जो घोषणा की थी

और एक लाख 89 हजार करोड़ रुपए की हमारी जो मांग है, यह तो यथावत है। विशेष योजनाओं के लिए पैकेज यथावत है।

सभापति महोदय, अभी आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री हैं। इन्हें जिस समय बिहार के बारे में ज्ञापन दिया गया था, उस समय ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। संभवत: उस समय में आज के प्रधान मंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उन्होंने उस समय आश्वसन दिया था कि बिहार के मामले में हम विचार करेंगे। स्व. श्री राजीव गांधी जी ने जो घोषणा की थी, उस पर भी विचार करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न हो, लेकिन विशेष पैकेज के बारे में उस समय चर्चा हुई थी, उस पर ख्याल तो करेंगे। आज श्री प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री हैं और ये कहते हैं कि बिहार का मामला विचाराधीन है। यह ग्रांट में रियायत करने के मामले में पहला अनुच्छेद है। 2 जुलाई, 2009 अतारांकित प्रश्न संख्या 79 राज्य सभा का है। उसमें सरकार ने कहा था कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला विचाराधीन है। पहला जो 275 अनुच्छेद है, उसमें हम ग्रांट की बात करते हैं। उसमें सरकार ने स्वयं कहा है कि सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन विशेष श्रेणी राज्यों और गैर विशेष श्रेणी राज्यों के बीच 30:70 के अनुपात में किया जाता है। विशेष श्रेणी दर्जा देने से राज्य के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 90:10 अनुदान ऋण के अनुपात में अनिवार्य होता है, जब कि गैर विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30:70 अनुदान ऋण के अनुपात के रूप में दिया जाता है, चूंकि सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा 11 राज्यों को दिया है और इन 11 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड है। उत्तराखंड आपका है, ये बाद में बना है। हमने पहले भी कहा, जब विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया तो हमें कोई एतराज नहीं है। बिहार ने मांग की थी कि हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। स्पेशल पैकेज की स्व. श्री राजीव गांधी जी के समय से मांग आ रही है, आपने इस पर विचार नहीं किया। उसके बाद अनुच्छेद 371 के तहत आपने कई राज्यों पर विचार किया है। अनुच्छेद 275 ग्रांट के बारे में है। प्रो. रंजन प्रसाद जी ने अनुच्छेद 371 में संशोधन के लिए जो मांग की है, उसमें नागालैंड से लेकर महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में स्वशासी बोर्ड बना कर विशेष सुविधा देने की, इस अनुच्छेद के द्वारा संशोधन करके आपने किया है। यह जो अनुच्छेद 371 है, उसमें एक बार ही संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि कई बार हुआ है। आपने अलग-अलग राज्यों के लिए विशेष सहायता दी है, विशेष प्रावधान किया है और विशेष रियायत दी है। राज्यों के आधीन, जहां कहीं स्वशासी बोर्ड बना है, उसका भी इस अनुच्छेद के तहत आपने प्रावधान किया है। प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी जो विधेयक लाए हैं, इस विधेयक के द्वारा विशेष पैकेज की मांग की गई यही मांग की है। हमें एक बात आश्चर्यजनक लगती है कि जब सरकार ने कहा कि इस विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ अलग से व्यवस्था होनी चाहिए।

पहले नहीं किया, जब 11 राज्यों के लिए सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा दिया। जब 11 राज्यों को घोषित किया और सारी सहायता दी तो बाद में 2009 में सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए क्या-क्या मानदण्ड होंगे। मानदण्ड में कहा कि पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, ताकि बिहार कट जाये। झारखण्ड पहले था, पहाड़ी था, दुर्गम था, उस समय भी हमारी मांग थी, लेकिन आपने हमारी मांग नहीं मानी। जब हमने कहा कि 1.89 लाख हमको चाहिए, आपने पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, कम आबादी घनत्व और पर्याप्त जनजाति आबादी, दूसरे पड़ोसी देशों की सीमाओं के साथ सामरिक स्थितियां, वह हमारी है, आर्थिक और अवसंरचना में पिछड़ापन, अव्यवहार्य राज्य भी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने एक्जेक्यूटिव ऑर्डर से यह कंडीशन बनाई है कि संविधान में जिन दो अनुच्छेदों को संशोधित करने का विधेयक श्री रंजन प्रसाद यादव जी लाये हैं, उस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है कि कंसेशन के साथ जो अनुसूची है, जो शैड्यूल है, उसमें यह प्रोवीजन है। बाद में सरकार ने शासकीय आदेश से यह प्रोवीज़न किया है, ताकि बिहार को वंचित किया जाये, क्योंकि, बिहार सन् 2000 से मांग कर रहा है। 2009 से अब तक लगातार संसद के दोनों सदनों में ये कह रहे हैं और बाहर भी कह रहे हैं कि बिहार का मामला विचाराधीन है।

एक बात और सरकार ने कही है और संसद में कहा गया है कि बिहार के अलावा किसी राज्य ने विशेष राज्य का दर्जा देने की जो मांग आती है, उसका कोई मैमोरेण्डम सरकार के विचाराधीन नहीं है। जब कोई राज्य नहीं कहता कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उनका ज्ञापन सरकार के विचाराधीन नहीं है तो फिर बिहार को क्यों वंचित कर रहे हैं, बिहार से आप मुकर क्यों रहे हैं? यह आपका दिया हुआ वचन है और लगातार है। इसीलिए अब यह जो मानदण्ड, क्राइटीरिया बनाया गया है, पैरामीटर बनाया गया है, यह बिहार के साथ घोर अन्याय है। बार-बार हम कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान मंडल में कहा है कि हम आपसे पैसा नहीं मांगते, आपसे पैकेज नहीं मांगते, आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए।

इसमें कहा गया है कि बाहर की पूंजी का निवेश बिहार में नहीं हो रहा है। यह विधेयक में कहा गया है। इन दोनों अनुच्छेदों को आप संशोधित करके संविधान में नया प्रावधान करेंगे तो बाहर की पूंजी देश के अन्दर जो दूसरे राज्यों में है, वह भी पूंजी बिहार में जाएगी और देश के बाहर हम अमेरिका में और दूसरे देशों में भी जो एन.आर.आई. हैं, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे कि बिहार में आप पूंजी निवेश करिये तो एफ.डी.आई. भी होगा, ये दोनों होंगे और जो एण्टरप्रिन्योर यहां से अर्थात वहां से बिहार जाएंगे, उनको विशेष राज्य का दर्जा देने से, ये दोनों संशोधन करने से उनको कर में रियायत मिलेगी। जब कर में रियायत मिलेगी तो जैसे आपके स्टेट उत्तराखंड में है, जो बाहर के लोग वहां कारखाना लगाते हैं, उनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है तो बिहार में भी ऐसे टैक्स से मुक्ति है।

यह जो विधेयक पेश किया गया है, इसमें गैर-बराबरी की बात की गई है। बेकारी की बात की गई है, गरीबी की बात की गई है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार जानती है कि बिहार में साक्षरता की दर हिन्दुस्तान में सबसे कम

है, लेकिन ऑल इंडिया में पिछले 10 वर्षों में आपने जितनी साक्षरता प्रतिशत दर हासिल की है, उससे ज्यादा रफ्तार से बिहार ने हासिल की है। जहां हम पहले 47 परसेंट पर थे, आज 63 परसेंट पर हैं। जब इंडिया की फीगर 75 परसेंट थी तो आप 10 प्रतिशत आगे बढ़े हैं, इसलिए गरीबी, पर कैपिटा इन्कम जहां 80 हजार रुपये किसी राज्य की है, 85 हजार रुपये किसी राज्य की है, ऑल इंडिया की 45 हजार रुपये है, वहीं बिहार की 15 हजार रुपये है। हम सबसे निचले पायदान पर हैं। हमारे यहां पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। बिजली के उत्पादन के बारे में हमारे अर्जुन राय जी ने और दूसरे लोगों ने बताया है। मैं समझता हूं कि डॉ. रंजन प्रसाद यादव जी ने जब बिल के इण्ट्रोडक्शन के समय अपना भाषण दिया होगा तो उन्होंने भी कहा होगा। इसलिए पर कैपिटा बिजली के उत्पादन की बात तो दूर, बिहार के बंटवारे के बाद बिजली का उत्पादन ठप्प है और कहलगांव में जो बिजली का उत्पादन होता है, वह सैण्ट्रल पूल में आप लेते हैं और तब वह हमें देते हैं, बिहार को वंचित करते हैं। बाढ़ में एनटीपीसी का जो कारखाना बन रहा है, उसका धीमी गति से निर्माण कार्य हो रहा है। बिहार को जो बिजली चाहिए, वह बिजली उसे नहीं देते हैं और जो कोल लिंकेज कारखाने के लिए चाहिए, बिजली के लिए चाहिए, उस पर भी आप विचार नहीं करते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि हमें कोल लिंकेज दीजिए। हमारा प्रस्ताव है कि सेल्फ प्रोडक्शन के लिए हमें सुविधा दीजिए, सहायता दीजिए। हमारा प्रस्ताव है कि सिंचाई की पोटैंशियलिटी को क्रिएट करने के लिए हमें सहायता दीजिए। हमारा प्रस्ताव है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री बर्बाद हो गयी है, उसके रिवाइवल के लिए हमें पैकेज दीजिए, पैसा दीजिए, लेकिन आप उस पर भी विचार नहीं करते हैं। इसे स्पेशल स्टैटस नहीं देते हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि डा. रंजन प्रसाद यादव ने जो विधेयक पेश किया है और इस विधेयक के माध्यम से संविधान के दो अनुच्छेद को संशोधन करके, जो व्यवस्था इसमें की गयी है, उसका प्रावधान करने के लिए जो अनुरोध किया है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उसे स्वीकार करे। सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को मिटा दे, बिहार को बर्बाद होने से बचा दे। अगर बिहार बर्बाद होगा तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार किया है।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कोई बात को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया उसके लिए समय दिया जाए।

महोदय, बिहार बंटवारे के बाद परेशानी की हालत में नहीं गया। मैं अलग बात नहीं कह रहा हूं, संशोधन के भीतर जो हमारे मूल उद्देश्य हैं, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। मैं संविधान के अनुच्छेद 275 और 371 की बात कह रहा हूं कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बिहार की जो आवश्यकता है, उसके लिए संविधान में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है। आखिर बिहार को परेशानी क्यों हुयी? कहीं यह दिमाग में यदि हो कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार गरीब हुआ है, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में यह भ्रम है। महोदय, वर्ष 1929 में कमीशन के सामने बिहार के उस समय के तत्कालीन नेताओं ने जो बिहार का चित्र प्रस्तुत किया था, उसके बाद आज तक कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया। हम देश के अंतिम पायदान पर थे और आज भी अंतिम पायदान पर हैं। झारखंड और बिहार के बंटवारे के बाद, मैं वर्ष 1912 और 1935 के बंटवारे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं नवंबर, 2000 की बात कर रहा हूं, जिस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, जिस समय उड़ीसा हमसे अलग हुआ था, तब झारखंड, बिहार की इस भूमि से उसकी पर-कैपिटा इंकम आधी थी। लंबे समय से हम लोगों ने उस आदिवासी इलाके, पहाड़ी इलाके, जंगल के इलाके में रहने वाले अपने बिहारी भाइयों के लिए बहुत कुछ किया था। बिहार के लिए जो भी धनराशि मिली, उसका अधिकांश हिस्सा उसी झारखंड में लगाया गया था और जो हमसे आमदनी में आधे थे, उड़ीसा के बंटवारे के वक्त झारखंड का क्षेत्र पर-कैपिटा इंकम में, जब झारखंड हमसे अलग हुआ तो पर-कैपिटा इंकम बिहारवासियों से उनका दोगुना हो चुका था अर्थात बिहार का एक धनाढ्य इलाका जिसे बिहार ने मजबूत ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया था, वह हिस्सा हमसे अलग हो गया।

महोदय, जब पैकेज की बात होती है, वह पैकेज बिहार को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपए का वह पैकेज नहीं था। संयोग से उस समय बिहार की विधानसभा में हम लोगों ने इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया था। बिहार बंटवारे के दिन जहां था, उस यथास्थिति को बनाये रखने के लिए एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपए की मांग की थी। मैं सदन में बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपए की मांग बिहार को हिंदुस्तान के औसत या अन्य राज्यों की बराबरी पर आने के लिए नहीं की गयी थी, बल्कि झारखंड के बंटवारे के दिन बिहार जहां था, उस यथास्थिति रूप में आने के लिए एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपए की मांग की गयी थी। मैं कहता हूं कि अब क्यों नब्बे हजार करोड़ रूपए की बात है?

1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये एट ए टाइम ग्रांट 90 हजार करोड़ रूपये पर हो गया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बिहार के लोगों ने बंटवारे के बाद एक मत हो कर अपन रिप्रेजन्टैशन 12वीं फाइनैंस कमीशन को दिया

था। जिस तरह से 1929 में रिप्रेजन्टैशन कमीशन के समय पूरे बिहार के नेताओं ने एक साथ दिया था। उसी तरह से हम 12वीं फाइनैंस कमीशन को जो रिप्रेजेन्टेशन दिए थे, लालू प्रसाद पूर्व मुख्य मंत्री जी का हस्ताक्षर, पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी, रामबिलास पासवान जी, शरद यादव जी, नितिश कुमार जी के हस्तासक्षर अर्थात् राजनैतिक मतभेदों को भुला कर हमने 12वीं फाइनैंस कमीशन के सामने एकमत से प्रस्ताव दिया था। हमारा पिछड़ापन ऐतिहासिक है। हम देश के औसत लोगों के बराबर जाना चाहते हैं। राष्ट्र में जो राज्य सबसे आगे है, हम उसके बराबरी पर जाना चाहते हैं। महोदय, वन टाइम ग्रांट 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये की बात मानी गई। फाइनैंस कमीशन के सामने जो हमने अपना प्रतिनिधित्व किया था वहां हमारी बात नहीं मानी गई थी। वह था वर्ष 2000 में यथास्थिति बनाए रखने के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये और फाइनैंस कमीशन के सामने हम गए थे कि डेवोल्यूशन से हमें प्रतिवर्ष राशि 38 हजार करोड़ रूपये मिलनी चाहिए। हमें रेवेन्यू खर्च के लिए नहीं, योजना के लिए हमें ये पैसे चाहिए।

महोदय, मैं आपके सामने इस सदन में कहना चाहता हूं कि 12वीं फाइनैंस कमीशन में पूरा बिहार एक मत हो कर, एक बात कही थी, वह बात नहीं मानी गई और लगातार विशेष राज्य के दर्जे पर, रिजनल इम्बैलेंसेज के नाम पर हम सब एक मत हो कर राष्ट्र के सर्वोच्च सदन में अपनी बात उठाते रहे हैं। बिहार की परेशानी दूर करने के लिए हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि 12वीं फाइनैंस कमीशन के सामने हमने स्पष्ट चित्र रखा था। यदि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों की बराबरी पर हमें बीस सालों के अंदर जाना है तो हमें 15 प्रतिशत ग्रोथ रेट सलाना चाहिए। यदि हमें 15 वर्ष में उनकी बराबरी पर जाना है तो हमको 20 प्रतिशत ग्रोथ रेट चाहिए। महोदय, अब क्या इससे भी आसान मांग देश के सामने हो सकती है। हम 15-20 साल इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हमारी एक छोटी सी मांग 38 हजार करोड़ रूपये की थी, वर्ष 2000 के मूल्य पर। आज के मूल्य पर वह 50 हजार करोड़ रूपये पर होता। इसमें दूसरी जो बात आई है 30 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की, मैं उसका संसोधन करना चाहता हूं कि जहां बिहार के संपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टिट्यूशंस से जुड़े हुए लोग आज के दिन 50 हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की मांग की थी, कृपा कर उसे 30 हजार करोड़ रूपया न कहा जाए। मैं नहीं जानता हूं कि 30 हजार करोड़ रूपया मिलेगा। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि शायद 50 हजार करोड़ रूपया भी न मिले। लेकिन बिहार की जो स्थिति हैं, यहां पर जो पिछड़ापन, गरीबी, अशिक्षा, ह्यूमन इंडेक्स है, हम देश के अंतिम पायदान पर हैं उसके लिए हमें उतनी राशि चाहिए।

महोदय, बिहार को स्पेशल स्टेट्स कैटेगरी यह अलग विषय है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय आगे बढ़ चुका है। रिजनल इम्बैलेंसेज है, मैं यही बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जगदानंद सिंह : सदन में सभी वरिष्ठ लोग बैठें हैं। यह भारत सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। थ्रू फाइनैंस कमीशन इस देश में रिजनल इम्बैलेंस नहीं होने दिया जाएगा। यदि आज रिजनल इम्बैलेंसेज हैं, बिहार आज अंतिम पायदान पर है तो केन्द्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नहीं करने का नतीजा है। हमारी जो प्लानिंग कमीशन है, उस प्लानिंग कमीशन के लिए मैन्डेट है, इस पार्लियामेंट का, इस भारत के संविधान का, भारत के विधान का कि इस हिन्दुस्तान के प्रत्येक क्षेत्रों का, चाहे वे राज्य हों या व्यक्ति हो सब का समरूप विकास हो। महोदय, व्यक्ति के इनक्लुसिव ग्रोथ की बात हो रही है। बिहार जैसे राज्य का क्यों नहीं होगा? मैं थोड़ी सी बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बिहार कहां है? मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार की सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, 12वीं फाइनैंस कमीशन में लगा कि हम लोगों को बहुत पैसा मिला। लोंगों ने कहा कि बिहार को 80 हजार करोड़ रूपये पांच साल के लिए मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से केवल 1838 रूपये मिले थे जबकि हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों को औसत 1895 रूपये मिले थे। हम गरीब हैं। हम अंतिम पायदान पर हैं।

इस देश में फाइनैंस कमिशन द्वारा अन्य राज्यों के औसत व्यक्ति को 1895 रुपये से 1900 रुपये मिलते हैं और बिहार को 1838 रुपये मिलते हैं। हम तो पीछे जाएंगे। हमारी स्थिति उस समय क्या थी। बिहार का अपना रिवैन्यू केवल 536 रुपये प्रति व्यक्ति और पूरे देश का 2856 रुपये था। जिनका रिवैन्यू कलैक्शन 2856 रुपये प्रति व्यक्ति था, उन्हें 1895 रुपये मिले और जिनका रिवैन्यू कलैक्शन 536 रुपये था, उन्हें केवल 1888 रुपये मिले। आखिर बिहार किस बलबूते पर अन्य की बराबरी पर जाएगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : मैं थोड़ी बात और कहना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलैवन्थ फाइनैंस कमिशन की असैसमैंट द्वारा बिहार का पर कैपिटा रिवैन्यू 2122 रुपये था और पूरे भारत में प्रति व्यक्ति रिवैन्यू 4488 रुपये था, अर्थात् बिहार के लोगों का राष्ट्रीय औसत का प्रति व्यक्ति रिवैन्यू का 48 प्रतिशत था। लेकिन वही 2005-2010 के बीच, जहां बिहार का प्रति व्यक्ति रिवैन्यू 2122 रुपये से 2364 रुपये हुआ, पूरा राष्ट्रीय औसत 6787 रुपये हुए और हम राष्ट्रीय औसत के 48 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत पर आ गए। आखिर बिहार के निवेश का प्रतिफल क्या हो रहा है। बिहार में निवेश कहां से हो रहा है? जहां फिसकल फैड्रलिज़्म है, हिन्दुस्तान के खजाने की रखवाली केन्द्र सरकार की है और उसमें से निकला हुआ पैसा राज्यों के विकास के लिए जाता है। प्लानिंग कमिशन पूरे हिन्दुस्तान को समरूप विकास देने की सबसे बड़ी संस्था है। यदि यह दोनों संस्थाएं काम नहीं करेंगी तो बिहार के साथ यह अन्याय कब खत्म होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र स्तर पर हमसे ऊपर उड़ीसा है अर्थात् हम उड़ीसा से भी पीछे हैं। मैं केवल दो बातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। जहां राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय आज 42 हजार है, वहीं बिहार में 14,654 या 15,000 रुपये है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति राष्ट्रीय औसत से केवल 36 फीसदी है। वहीं देश की औसत राशि के उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आमदनी 80 प्रतिशत है। हम फर्स्ट लोएस्ट हैं और उड़ीसा सैकिंड लोएस्ट है।...(व्यवधान) यदि हम उड़ीसा की बराबरी पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें आज के दिन प्रति वर्ष 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : हमारी कोसी का पानी खेतों को नहीं मिल पा रहा है। हमें गंगा का पानी लेने से मना कर दिया गया। वन सागर समझौते के चलते सोन का पानी सोन के कमांड में मिलना बंद हो गया। कोसी का जो बांध टूटा, उससे आज पूरे इलाके में हमारी सिंचाई बंद है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री महाबली सिंह, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : वह शायद दस-बारह साल तक बंद रहेगी। हमें उसका स्टोरेशन चाहिए, हमारी हिस्सेदारी का पानी चाहिए और यदि गंगा का पानी बिहार को नहीं मिला तो हमारे थर्मल पावर नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : हमें देश के खजाने से पर्याप्त निधि मिले। दूसरा, हमारे जो नैचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वे हमारे अधिकार हैं। हम निश्चित रूप से नेपाल की नदियों का पानी झेलते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : महाबली सिंह जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, माननीय सदस्य प्रो. रंजन प्रसाद द्वारा बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और चर्चा के दौरान सभी ने बिहार के पिछड़ेपन की बात बतायी है, बिहार की उपेक्षा की बात की है। इसलिए मैं पुनः उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं एक बात सदन को जरूर बताना चाहता हूं कि अगर सरकार इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने की सोच रही है, तो बिहार की उपेक्षा करके हम इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में नहीं ले जा सकते।

महोदय, बिहार का गौरवमयी इतिहास रहा है। बिहार की धरती से महावीर महात्मा बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर विश्व के कई देशों ने तरक्की की। यही कारण है कि आज विश्व के कई देशों के लोग बिहार की धरती को नमन करने के लिए वहां साल में लाखों की तादाद में पहुंचते हैं।

महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि श्रीलंका, चीन, जापान, थाइलैंड से लाखों की संख्या में लोग बिहार की धरती को नमन करने के लिए पहुंचते हैं। यह बिहार का इतिहास रहा है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसका यह इतिहास रहा है। बिहार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन केन्द्र सरकार के सौतेलेपन व्यवहार के चलते आज बिहार का सम्मान देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी गिरा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन को बताना चाहता हूं कि आज बिहार अपने खोये हुए इतिहास को, खोये हुए मान-सम्मान को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आज वापस आ रही है। अगर केन्द्र सरकार इसमें सहयोग करती है, तो माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आज जो बिहार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है, खोये हुए मान-सम्मान को पाने की तरफ बढ़ रहा है, वह और बढ़ेगा। आज बिहार का सम्मान देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बढ़ा है। अगर बिहार का सम्मान बढ़ रहा है, तो देश का सम्मान बढ़ रहा है। अगर बिहार का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, क्योंकि बिहार का इतिहास और बिहार का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन को बताना चाहता हूं कि अगर इस देश को आप विकसित देशों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं, तो बिहार की उपेक्षा करना बंद कीजिए। अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि बिहार को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था, तो उस समय केन्द्र सरकार ने कहा था कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। झारखंड अलग हो गया, लेकिन केन्द्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया।

महोदय, बिहार की ऐसी बनावट है कि हर साल बिहार को आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है और मध्य एवं दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित हैं। हर साल उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है, जिसके चलते हजारों गांव तबाह हो जाते हैं एवं लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लोग एक-एक दाना खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। विगत वर्षों में जब बिहार में बाढ़ आई, तो बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए। प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ नहीं आपदा आई है। उन्होंने उसे आपदा घोषित किया और उसके लिए पैकेज देने की बात की, प्रभावित लोगों को राहत देने की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ऐसा कहकर भी अपनी बात से मुकर गए और उन बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई। मैं यह बातें इसलिए सदन को बता रहा हूं जिससे पता चल सके कि केन्द्र सरकार क्यों बिहार के साथ भेदभाव और उपेक्षा हो रही है।

महोदय, बिहार में जो नेशनल हाइवेज हैं, उनको बनाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है, लेकिन आज करीब सात साल से केन्द्र की सरकार बिहार के नेशनल हाइवेज को बनाने के लिए राशि मुहैया नहीं करा रही है। राज्य सरकार अपनी निधि से बिहार के नेशनल हाईवेज को चलने लायक बनाने का काम किया है और बनाने के बाद जब केन्द्र सरकार से पैसा मांगा जा रहा है, तो केन्द्र सरकार वह पैसा भी नहीं दे रही है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में प्रधानमंत्री सड़क योजना कई वर्षों से बंद पड़ी है। केन्द्र सरकार कहती है कि हम 1000 गांवो की, आबादी वाले सभी गांवों को सड़क से जोड़ेंगे, लेकिन आज तक उसके लिए बिहार को राशि नहीं मिल रही है। इससे सारे काम बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बिहार की उपेक्षा करना बंद कीजिए क्योंकि यदि बिहार की उपेक्षा होगी, तो देश की उपेक्षा होगी। आपको फिर बिहार के लोगों को पास जाना होगा।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक करोड़ 25 हजार लोगों ने हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेजा है। यह मत समझिए कि वे सिर्फ हस्ताक्षर हैं, वे स्याही से लिखे हुए हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि खून से लिखे हुए हस्ताक्षर हैं। सब लोगों की इज्जत, मान-सम्मान और स्वाभिमान का वह हस्ताक्षर है। अगर बिहार के लोगों की इज्जत, मान-सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ, तो मैं बता देना चाहता हूं, आप तो महराज हैं, आसन पर विराजमान हैं, बिहार में अभी आपने अपनी हालत देख ली है, बिहार के एक व्यक्ति की आवाज नहीं है कि बिहार को

विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जन-जन की आवाज है। अगर आप नहीं देते हैं, तो आने वाले वर्ष 2014 के चुनावों में बिहार की जनता आपको बिहार में घुसने नहीं देगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में जो बिहार आगे बढ़ रहा है, उसका मान-सम्मान देश और विदेश में बढ़ रहा है, आप इनको सहयोग कीजिए, विशेष पैकेज दीजिए जिससे बिहार का नाम रोशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री भूदेव चौधरी ।

श्री भूदेव चौधरी (जमुई): महोदय, मैं सर्वप्रथम इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री भूदेव चौधरी : सभापति महोदय, प्रो0रंजन प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे इसके लिए समय दिया है, इसलिए मैं अंतःकरण से आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं।

महोदय, इस सन्दर्भ में विगत दिनों से लेकर अभी तक लगभग 13 माननीय सांसदों ने अपनी बात रखी है जिनमें से जो सात माननीय सदस्य बिहार से बाहर के हैं, उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से अपनी बात को रखने का काम किया है। उन्होंने बिहार की बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, भुखमरी, बिगड़ते स्वास्थ्य और शिक्षा के अभाव के बारे में बड़े दर्द से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया है। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता, जिन बातों का जिक्र मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया है। मैं थोड़ा अतीत की ओर आपको ले जाना चाहता हूं।

पूज्य बापू महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटकर हिन्दुस्तान की धरती पर आए तो उन्होंने 1916 में अपने गुरु गोखले से मुलाकात कर यह कहा कि इस देश की हवा और देश के नौजवान जंगे आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। गुरु गोखले को बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी चंद महीने पहले पूज्य बापू अफ्रीका से लौटकर यहां आए हैं और उस शक्तिशाली हुकूमत से, साम्राज्य से लड़ना चाहते हैं, जिसका सूरज दुनिया में कहीं डूबता नहीं है। अगर भारत में डूबता है तो अफ्रीका में उदय होता है और अगर अफ्रीका में डूबता है अमेरिका में उदय होता है। वैसी शक्तिशाली सत्ता से बगावत करने की हिम्मत यह कैसे कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि गांधी अगर तुम इस ब्रिटिश हुकूमत से जंगे आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो जाओ, भारत के तमाम शहरों में घूमकर आओ। अगर लोगों की इच्छा होगी, आकांक्षा होगी, फिर जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। पूज्य बापू जी ने अपने गुरु की आज्ञा का आलिंगन करके पूरे देश का भ्रमण किया।

एक साल बाद जब महात्मा गांधी 1917 में फिर अपने गुरु गोखले के सामने उपस्थित हुए तो गुरु गोखले ने मजाकिया लहजे में कहा कि क्या गांधी आज भी तेरे मन में जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने की तमन्ना है, तो इस पर महात्मा गांधी ने उद्दात स्वर में कहा कि मेरी सोच अटल है और जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, लेकिन जब मैंने बिहार की धरती पर पांव रखा तो चम्पारण की वह भूमि जहां से नौजवान की ताकत और क्षमता को देखकर मुझे अनुभूति हुई कि जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज उसी बिहार का बखान हम लोग यहां कर रहे हैं।

देश और दुनिया में आज से हजारों साल पहले जब किसी मां-बाप के बेटे का नामांकन नालंदा विश्वविद्यालय में होता था, तो वह अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि उनके बेटे का ज्ञान के संस्थान, विद्या के जगत में नामांकन हुआ है। जब बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, अखंड बिहार था, मैं उस दिन का बड़े दर्द भरे दिल से बयान कर रहा हूं। वहां से देश की आधी दौलत केन्द्र सरकार को मिलती थी। वहां का लोहा, कोयला,

अभ्रक दूसरे राज्यों में जाता था, परिणामस्वरूप दूसरे राज्य तो विकसित होते गए, लेकिन बिहार जिस स्थिति में 1947 से पूर्व था, उससे भी बद से बदतर होता गया।

मुझे इस बात का दर्द है कि आज के समय में भी बिहार का लगभग एक करोड़ नौजवान, जिसके शरीर में ताकत है, जिसके बाजुओं में क्षमता है, वह अपने बूढ़े मां-बाप, छोटे बच्चों और नई दुलहन को बिलखता छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि प्रदेशों की सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

सभापति जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी दिल्ली में लगभग 40 से 50 लाख बिहार के नौजवान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और यहां तक कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी करीब 50,000 नौजवान काम कर रहे हैं। बिहार में नदियों का कोई अभाव नहीं है। देश को आजाद हुए 63 वर्ष हो गए हैं। पांच वर्षों को छोड़ दें तो बिहार में बाकी 58 सालों में कांग्रेस पार्टी और उसके द्वारा समर्थित एक दल की सरकार काबिज रही है।

17.00 hrs.

मैं उन बातों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार की प्रकृति, बिहार की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण है, परन्तु दुर्भाग्य से यह अत्यधिक पिछड़ेपन से ग्रस्त है। बिहार के सामाजिक पिछड़ेपन का कारण केन्द्र सरकार द्वारा उपेक्षा है। मैं केन्द्र सरकार पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि बिहार भी हिंदुस्तान का एक अंग है, एक भाग है और यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि हमारे सभी राज्य जो इस देश के हाथ, पांव, आंख और आत्मा हैं, वही निश्चित तौर पर बिहार भी है। आज यदि क्रांतिकारियों की आत्मा देश के और राज्यों को देखती होगी तो मुस्कराती होगी, लेकिन बिहार की धरती पर जब उन शहीदों की आत्मा पड़ती होगी तो विलाप करती होगी, बिलखती होगी कि आज भी बिहार वहीं है जहां आजादी से पहले था। लेकिन मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इन पांच वर्षों में उन्होंने बिहार को प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा किया है, लेकिन द्रूत-गति लाने के लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को, बिहार को आर्थिक पैकेज देने की नैतिक जिम्मेदारी है और राजनैतिक कर्तव्य भी है। निश्चित तौर पर अभी जो विकास के रूप में बिहार खड़ा हुआ है उस गाड़ी को एक्सप्रेस बनाने के लिए केन्द्र की सहायता की अति-आवश्यकता है।

17.02 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair)*

मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, वह बहुत ही सुखःद संदेश था। आज बिहार इस बात को महसूस कर रहा है कि बिहार में नदियों को जोड़ा जाए और उसके पानी का संरक्षण किया जाए।

आज बिहार की स्थिति क्या है, आधी जगह बाढ़ है तो आधी जगह सुखाड़ है। आधे लोग सुखाड़ से निजात पाने को तरस रहे हैं और आधे लोग पानी में डूब कर भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। विगत् दिनों की बाढ़ माननीय प्रधान मंत्री जी भी देखने गये थे और उन्होंने क्या कहा था, उसकी चर्चा हो चुकी है।

सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि बिहार पर आपकी दया-दृष्टि की आवश्यकता है। बिहार के एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों के हस्ताक्षर हैं और वहां के जन-जन की आपसे अपेक्षा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि माननीय रंजन प्रसाद यादव जी जो विधेयक लाए हैं वह मानने योग्य है और उसे निश्चित तौर पर माना जाए।

मैं अपने क्षेत्र जमुई के बारे में बताना चाहता हूं जिसके नाम से ही लोग सिहर जाते हैं। अगर बिहार के किसी कोने में जमुई की चर्चा होती है तो लोगों के अंदर सिहरन पैदा होती है क्योंकि जमुई नक्सलाइट एरिया है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब कोई घटना वहां न घटती हो। दुर्भाग्य से वहां पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आज भी वहां लोग उन नदियों और तालाबों से पानी पीते हैं जहां जानवर भी पानी पीते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान जमुई एरिया की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि एक संवेदनशील इलाका है। वहां पर अगर एक केन्द्रीय विद्यालय का निर्माण हो जाए, एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण हो जाए, एक आईटीआई का इंस्टीट्यूशन खुल जाए, एक मेडीकल कालेज खुल जाए, एक पावर सब-स्टेशन बन जाए तो वहां की भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी और बेबसी निश्चित तौर पर दूर हो सकती है। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः डा. रंजन प्रसाद यादव जी द्वारा लाए गये संशोधन विधेयक का दिल से समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। डा. रंजन प्रसाद यादव जी के द्वारा बिहार से सिलसिले में जो विधेयक पेश किया गया है, उसके समर्थन में हम यहां बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे, जिसमें से अधिकांश लोग बिहार से बाहर के प्रदेश के थे और उन्होंने इस बात से अपना इत्तेफ़ाक़ और सहमति व्यक्त की।

महोदय, प्रो. रंजन प्रसाद यादव बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को, बिहार की ज्वलंत समस्या को सदन के सामने प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में सदन के सामने रखने का काम किया है। हमारे विद्वान माननीय सदस्यों ने अपने बहुमुल्य विचारों को रखने का काम किया है। मैं उन बिंदुओं को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय कम है और इससे पहले आपकी तरफ से कोई इशारा हो, मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा।

महोदय, 24 नवम्बर, 2005 में नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद जब उन्होंने बिहार के खजाने का जायज़ा लिया। उसी वक्त उन्होंने महसूस किया कि बिहार के लिए सपना जो बिहारियों के मन में है या उनके मन में है और बिहार को जिस स्तर तक वे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना अनिवार्य है। उसी समय से वह प्रधानमंत्री से वक्त की मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए समय देकर बुलाने का काम कीजिए। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केन्द्र के मन में बिहार के प्रति घृणा का महौल और सौतेलापन का सुलूक़ है, उससे वह ऊपर उठने का काम करे। आज़ादी के 64 साल बीत जाने के बाद भी बिहार जहां था, वहीं खड़ा है। बिहार के अंदर प्रतिभाएं हैं, बिहार के अंदर लोग स्वस्थ हैं, बिहार दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। इतिहास साक्षी है कि बिहार ने दुनिया को रोशनी देने का काम किया था। मंडल मिश्र जैसे विद्वान को भी अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए पहुंचना पड़ा था। शंकराचार्य जी को भी मंडल मिश्र के दरबार में पहुंचने की ज़रूरत पड़ी थी। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी मिसाल है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार को कम से कम 10 विश्वविद्यालय और एम्स मिलने चाहिए। बिहार के अंदर कई प्रस्तावित यूनीवर्सिटियां हैं। बंगाल के अंदर अलीगढ़ यूनीवर्सिटी, केराला के अंदर अलीगढ़ यूनीवर्सिटी और बिहार के अंदर अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के लिए प्रावधान किया गया था। बंगाल के चूंकि प्रणब दादा थे, वहां यूनीवर्सिटी बन गई, केराला में शुरू हो गई, लेकिन बिहार में शुरू नहीं हुई। मैं बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उसने किशनगंज के अंदर 280 एकड़ जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के आबंटित कर दी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध करके उस पर विचार करना नहीं चाहती है। लेकिन केन्द्र सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस पर विचार करना नहीं चाहती। जब वोट मांगने का समय आता है तो गरीब, अकलियत, पिछड़ों तथा दलितों की बात करते हैं, नारा लगाने का काम करवाते हैं, उन तबकों से पोस्टर छपवाने का काम करवाते हैं लेकिन सत्ता के अंदर, विकास

के अंदर जब सांझेदारी और भागीदारी देने की बात आती है तो उनसे नज़रें मोड़ने का काम यह केन्द्र सरकार करती है। केन्द्र सरकार के सौतेलेपन का ज्वलंत उदाहरण इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है।

बिहार में बिजली की स्थिति, सड़कों की स्थिति और दूसरी चीजों की स्थिति पर हमारे दोस्तों ने बहुत बातें रखी हैं। आज का बिहार अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। बिहार में एक ऐसा मुखिया बैठा है जो बिहार को ही रास्ता दिखाने का काम नहीं कर रहा है बल्कि देश को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। आज बिहार में राजनीति करने के लिए बहुत लोगों ने अकलियत, दलितों, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने का काम किया है लेकिन आज बिहार में आप देखेंगे कि हुनर जैसे कार्यक्रम अकलियतों के लिए है जिसमें मैट्रिक पास करने के बाद उनको स्कॉलरशिप देने का कार्यक्रम, उनके लिए उच्च शिक्षा, मौलाना मदन उल्हक मृतप्राय यूनिवर्सिटी को जीवित करने का काम इस हुकूमत द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार पिछड़ गया था, आज नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम बिहार सरकार ने किया है और पूर्व राष्ट्रपति डा, अब्दुल कलाम उसके विजिटर मुकर्रर किये गये हैं। आज बिहार में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नेशलन फैशन टैक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और चंद्रगुप्त मैनेजमेंट जैसी यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। नीतीश कुमार जैसे बिहार के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है।

इसीलिए मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो पैसा देंगे और डा. रंजन प्रसाद यादव जी, यह जो 90 करोड़ रुपये बिहार को एकमुश्त देने की बात कही गई है और 30,000 करोड़ रुपया सालाना जो देने की बात कही गई है, यह मांग शत प्रतिशत जायज है। इसीलिए देश के अंदर आज ऊहापोह की स्थिति है।

आज अन्ना हजारे जैसे लोग देश के अंदर सड़कों पर उतर गये तो पूरे मुल्क के लोग उनके पीछे खड़े हो गये क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से यह सरकार डूबी हुई है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए आप जो पैसा देंगे, उसका सदुपयोग होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बारे में आपने देखा कि जब बिहार से काफिला चला तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और 16 करोड़ लोगों के दस्तखत लेकर यहां पर आए और प्रधान मंत्री जी ने हमारे नेताओं को समय दिया और इस बात का आश्वासन भी दिया कि हम इस बात को एनडीसी में रखने का काम भी करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने कोई बात एनडीसी में रखी हो और वह पास न हुई हो। इसलिए वह पास हो जाए तो अति उत्तम है लेकिन जब तक वह पास नहीं हो रहा है, मैं इस बिल को पास करने के लिए सदन से आग्रह करूंगा कि डा. रंजन प्रसाद यादव जी जो बिल सदन के पटल पर लाए हैं, उसे पारित करने की इजाजत सदन दे और सरकार उसको मानने का काम करे। धन्यवाद।

सभापति महोदय : सभा की अनुमति है तो बिल के समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं सिर्फ एक बात बिहार के बारे में कहना चाहता हूं। बिहार के इस देश में बहुत नेता रहे हैं, उनमें आप भी शामिल हैं। इस समय आप हमारे आदर्श हैं, आप सभापति हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जो हालत की गई है, दुर्गति की गई है, बिहार के लीडरों ने लेबर बनाने के सिवाय बिहारियों का क्या किया है? पूरी दुनिया में लेबर बनाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरा प्रश्न है कि वे नेता हिसाब दें जो तकरीरें करते हैं कि हमने बहुत कुछ बिहार के लिए किया, हम ये कर रहे हैं, वे कर रहे हैं। आप बिहार की हालत देखिए। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि गरीब छोटे, नन्हें बच्चे दूरदराज खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। वे ट्रेनों में जाते हैं, सफर करते हैं। इतने मंत्री रहे, दो-दो मंत्री रहे, चीफ मिनस्टर भी हैं और रहें भी। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार का क्या किया? मेरी आपके माध्यम से विनती है कि वे जवाब दें कि बिहार की यूनिवर्सिटी क्यों बर्बाद हुई? क्यों नहीं बनाई गई? धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, the Bill moved by Prof. Ranjan Prasad Yadav proposes to insert Article 275A after Article 275 and Article 371J into the Constitution of India with the objective of providing special financial assistance to the State of Bihar for accelerated development of the State. Sixteen hon. Members have participated in the debate. I am grateful to them for their valuable suggestions and observations.

Sir, before I come to the specific replies to the questions raised by hon. Members, I would like to state that Bihar receives sufficient Central assistance through the Finance Commission grants in Plan assistance and from various Central Ministries. As the hon. Members are aware, the Finance Commission transfers are made to States on the basis of recommendations made by the Finance Commission on assessment of each States' requirement. The Finance Commission normally finalises their recommendations after consultations with the States. At present we are in the 13th Finance Commission award period which runs from 2010 to 2015.

The 13th Finance Commission has recommended a total devolution for the State of Bihar amounting to Rs. 1,72,944 crore during this award period between 2010 to 2015 as against Rs. 75,646 crore under the 12th Finance Commission award period between 2005-10. This is an increase of 129 per cent. The 13th Finance Commission has also recommended State-specific grant of Rs. 333 crore to Bihar for inter-linking of rivers for prevention of floods. Under the National Disastar Response Calamity Fund, the 13th Finance Commission has recommended a grant which is double the share of Bihar from Rs. 592 crore in the period between 2005-10 to Rs. 1386 crore in the period between 2010-15. In connection with the Kosi floods, cyclonic disturbances and drought, funds have also been provided to the State of Bihar from National Calamity Contingency Fund now known as the National Disaster Response Fund for immediate relief in recent years. The grant of Central assistance to support the State Plan of Bihar amounted to Rs. 12,992 crore in the period between 2005-10. The Central assistance of Rs. 4815 crore was provided for State's Annual Plan for 2010-11 as a grant from the Ministry of Finance alone.

A provision of assistance of Rs. 7,119 crore has been made to support the Annual Plan for 2011-12. In addition:

a. Substantial Central assistance is released to the States under Central Sector Schemes and Centrally-Sponsored Schemes by various Central Ministries/Departments for employment generation and creation of assets. I have been informed that the total releases from Central Government to Bihar for various Centrally Sponsored and State Sector Schemes amounted to Rs. 12,206 crore in 2009-10, which increased to Rs. 20,000 crore in 2010-11. This is again an increase of about 65 per cent over one year alone.
b. Specific assistance has been provided to mitigate the impact of floods in Bihar. The Flood Management Programme, which is a State Sector Scheme, covers flood protection works. Central grant of 75 per cent is provided for projected selected by the States under this Programme. Under this programme, Central assistance of Rs. 544 crore has been provided to Bihar in the 11th Plan so far. I hope that this will reassure Prof. Ranjan Prasad Yadav, Shri Adhir Chowdhury, Shri Vishwa Mohan Kumar and Shri Ghanshyam Anuragi, Shri Mahabali Singh and others who had expressed particular concern regarding the flood situation in Bihar.
c. Further, the State has also been accessing external aid for infrastructure development. In 2010-11, Bihar received external assistance, comprising both grant and loan, of Rs. 941 crore, while a provision for Rs. 2,550 crore of similar assistance is there for 2011-12.

Special Central Assistance for a new Special Plan for Bihar was included in the Rashtriya Sam Vikas Yojana in 2003-04. The original cost of all the projects under the Special Plan for Bihar was estimated at Rs. 5,568 crore. RSVY was subsumed in the Backward Regions Grant Fund Scheme in 2006-07 and the Special Plan for Bihar was brought within its ambit, with a provision of Rs. 1,000 crore per year. In 2011, enhanced support of Rs. 8,753 crore was approved for the Special Plan for Bihar; with the balance amount of Rs. 3,468 crore to be released during 2010-11 and 2011-12 of which Rs. 2,000

crore was released in 2010-11. An amount of Rs. 1,470 crore has been provided in 2011-12. Projects under the Special Plan for Bihar include strengthening of sub-transmission systems, renovation and modernization of thermal power stations, renovation of a major canal, development of State Highways, etc.

Under the new Integrated Action Plan for identified districts, seven districts of Bihar were provided a grant of Rs. 25 crore each in 2010-11 to meet assessed development needs for social sector services and rural infrastructure. This provision has been increased to Rs. 30 crore per district in 2011-12, against which Rs. 10 crore per district has already been released.

Now, I would like to address some of the issues raised in the debate. A request was made by Shri Vishwa Mohan Kumar, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Mahabali Singh, Shri Arjun Roy and several other hon. Members also to categorise Bihar as a Special Category State. Any change in the categorisation of States for Central Assistance would require a decision of the National Development Council, which accorded Special Category status to the eight North-Eastern States and the three hill States.

Planning Commission has informed that, in the case of Bihar, two of the important criteria for classification as a Special Category State, hilly and difficult terrain and low population density and/or sizeable share of tribal population, do not apply. Further, it receives substantial Central Assistance and is not debt-stressed. Therefore, it has not been accorded Special Category status. As such, Additional Central Assistance is being provided for State Plans on a case to case basis considering State-specific problems.

Sir, here I would like to bring to the notice of the hon. Members, mostly from Bihar and others also that Bihar had made a request for Special Category State status again last month and an Inter-Ministerial Group is being constituted by the Planning Commission to look into this request.

Shri Hukmadeo Narayan Yadav, Shri Shailendra Kumar, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Ghanshyam Anuragi and other Members raised the issue relating to the poor power situation of the State. The Ministry of Power has given the following information:

The Government of India is concerned with planning and policy formulation for overall development of power sector in the country. Government of India supplements the efforts of States by establishing generating units for supply of power to States/Union Territories in the Central Sector through concerned Central Public Sector Companies.. Bihar has been allocated from 1727 to 1773 MW from the Central Generating Stations, which is the highest among the States of the Eastern Region. Bihar is expected to get additional allocation of 1637 MW from the future projects of NTPC in the State at Muzaffarpur and Nabinagar. Bihar is also expected to get allocation from Barh-I and Barh-II Thermal Power Projects as per prevailing guidelines for allocation of power.

The Government of India has also launched two schemes, that is, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) for rural electrification and the Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme (R-APDRP) for strengthening of sub-transmission and distribution system in the country, including Bihar.

Under the Special Plan for Bihar, assistance is being extended for renovation and modernisation of Barauni and Muzaffarpur Thermal Power Stations.

Hon. Members Shri Adhir Chowdhury, Shri Ghanshyam Anuragi and other hon. Members also referred to Bihar's irrigation needs. During the Eleventh Plan, so far, Central grant amounting to about Rs.305. crore has been released to support irrigation projects under the Accelerated Irrigation Benefits Programme under Bihar's Annual State Plans.

Sir, Shri Bhartruhari Mahtab pointed out that more powers have devolved on the Union of India under the Constitution and that the Union needs to give attention to under-developed States to correct the regional imbalance.

I would like to tell the hon. Member that a wide range of schemes, including BRGF Scheme, are being implemented with this objective. He had also asked that special attention to be given to Kalahandi-Bolangir-Koraput region that covers eight districts of Odisha. I would like to inform Shri Mahtab that a Special Plan for this region is being funded with 100 per cent Central grants under the BRGF Scheme with Rs.130 crore being

released every year. In addition, 15 districts in Odisha, including seven out of eight KBK region districts are covered under the Integrated Action Plan.

Shri Ramashankar Rajbhar has raised the point that States of Uttar Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh also require Special Packages. Several States are seeking Special Packages. Their requests would be best considered through existing mechanism of the Finance Commission and the Planning Commission in the interest of equity. Shri Adhir Chowdhury had brought out details of critical debt situation in West Bengal, which has necessitated intervention by the Centre. The issue of Bihar's high debt was also raised and it was stated that the Centre needs to intervene.

The Government of India is monitoring the debt situation of all States. Bihar is managing its debt quite well. West Bengal is a highly debt-stressed State. The request for a Special Package from West Bengal is still under consideration.

Shri Semmalai suggested amendments in the 7th Schedule of the Constitution and made various demands for Tamil Nadu during the discussion. The suggestions are outside the scope of discussion. As such, Tamil Nadu is in a comfortable fiscal situation.

Shri Arun Roy has raised about the Special Category Status, which I have already answered. For education, State-specific needs of Bihar are being met through the 13th Finance Commission. Sir, Rs.4,018 crore for elementary education is being provided. I have covered about Kosi floods.

Sir, you have raised the issue of Special Package. Bihar is a very poor State with regional disparity. You have also mentioned that regional disparities are addressed through the Backward Region Grant Fund and the Integrated Action Plan. When you were the Minister this was introduced and you know about this. I have already discussed power problems. The Government of India is making all out efforts to help Bihar.

About irrigation issues, I would like to say that during the last year, under the AIBP scheme, a provision of Rs.700 crore was made but only Rs.230 crore was drawn. During the current year also Rs.700 crore has been allocated. It is a question of State Government utilising the funds provided by the Centre.

Shri Mangani Lal Mandal raised the issue of Special Package, which I had already answered. Along with Shri Yadav, Shri Mandal has raised the issue of insertion of Article 371J. Other hon. Members have also raised, including Prof. Yadav. Sir, the existing Articles 371 to 371 (I) contain enabling provisions for preservation of religious and social practices and customs, law and order. Provisions relating to representation on committees and strength of Legislative Assemblies, special responsibility of Governor are also defined in some of these provisions. The purposes of new Article 371(J) proposed to be inserted through this Bill are entirely different from the existing Article 371.

Therefore, if it is inserted, it would not in keeping with the convention. The insertion of the proposed article relating to implementation of schemes for a wide range of developmental activities in Bihar would be discriminatory to other States. However, adequate mechanism already exists for transfer of resources to Bihar. The State is receiving substantial funding through the constitutional mechanism of the Finance Commission Awards and through various sources of the Plan funds. Therefore, insertion of Article 371J is not justified.

Sir, Shri Jagadanand Singh has made a demand for financial assistance to the State of Bihar to achieve higher growth rate. Under the 13th Finance Commission Awards, Rs. 1,72,000 crore has been awarded to Bihar. Bihar is the second fastest growing State as mentioned by Prof. Ranjan Prasad Yadav himself. He referred to inclusive growth, There is funding under Backward Region Grant Fund and Integrated Action Plan.

Shri Mahabali Singh mentioned about the rich cultural heritage of Bihar and its tourism potential. The 13th Finance Commission Award includes Nalanda Heritage Development Plan for Rs. 50 crore and another Rs. 50 crore for 29 more archaeological sites.

Shri Bhudev Choudhury has raised the issue of inter-linking of rivers to prevent flood and drought. I have already mentioned in my speech that the 13th Finance Commission Award of Rs. 33 crore is being provided to Bihar for interlinking of rivers for prevention of floods.

Sir, some hon. Members have raised issues that are not relating to Bihar. They have raised relevant and pertinent issues regarding the development needs of their own States. As I have already stated at the beginning, there are two routes through which States receive funds. It would be appropriate to raise these issues before the Planning Commission during the Annual Plan discussions and also during consultations with the Finance Commissions.

There already exist adequate mechanism for transfer of resources to Bihar. Therefore, there appears to be no need for the present Bill for providing special financial assistance to the State of Bihar through an amendment of the Constitution. In Bihar's case, there is an additional substantial assistance flowing through the special plan under the Backward Region Grant Fund. The proposed mechanism would be outside the present constitutional mechanism of the Finance Commission and the time tested mechanism of the Annual Plan finalised by the Planning Commission. The proposed Bill seeks to bring Bihar into a category by itself with assured recurring funding in addition to the existing funding. It does not factor any estimation of the fund requirements of other States or the resources available with the Centre. Evidently the Bill is discriminatory against other States.

Sir, in the end, in view of the above facts and circumstances and the reasons that there exists adequate channels for transfer of funds to the State to support their development needs, I would request hon. Member Prof. Ranjan Prasad Yadav to kindly withdraw the Bill.

सभापति महोदय : प्रो. रंजन प्रसाद यादव।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति जी, प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी के कहने से पहले मैं मंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ...(व्यवधान) मैं एक ही बिन्दु पर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ।

सभापति महोदय : राइट टु रिप्लाई तो प्रो. रंजन प्रसाद यादव जी का है।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, एक मामला है जिसका जवाब सरकार ने दिया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि योजना आयोग ने पिछड़ा राज्य के लिए तीन पैरामीटर्स का उल्लेख किया है। कम आबादी घनत्व, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और आदिवासी का बहुसंख्यक होना। इन्होंने कहा कि इन तीनों में बिहार नहीं आता है। फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को देखने के लिए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स कांस्टीट्यूट किया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार ने संशोधन स्वीकार कर दिया और

कहा कि देखने के लिए जीओएम कांस्टीट्यूट किया है, मैं जानना चाहता हूं कि संविधानिक व्यवस्था है, तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है या किस अनुसूची में इसका उल्लेख है या यह जो पैरामीटर है, सरकार ने शासकीय आदेश के द्वारा निकाला है या योजना आयोग ने निर्णय करके सरकार से इस पर सहमति ली है।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): सभापति महोदय, अपने विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देने से पहले मैं सर्वप्रथम उन सभी सदस्यों का, जिनमें माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी, हुक्मदेव नारायण यादव जी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर राजभर, श्री महताब, श्री एस. सेम्मलई, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री घनश्याम अनुरागी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री अर्जुन राय, श्री रघुवंश प्रसाद, श्री मंगनी लाल मंडल, श्री महाबली सिंह, श्री भूदेव चौधरी और श्री हसन हैं, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया और अपने विचार सदन के सामने रखे, जिससे यह पता चलता है कि संसद में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता देने के प्रति सभी पक्षों में आम सहमति है।

मैं जानता हूं कि मेरा विधेयक सरकार के सहयोग के बिना पास नहीं हो सकता है, लेकिन विधेयक लाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि बिहार के विभाजन के बाद जो समस्याएं राज्य में आई हैं, उन्हें सबके सामने रखा जाए और समस्याओं के उपायों को सदन के समक्ष लाया जाए तथा इस संबंध में केंद्र सरकार के क्या विचार हैं, उससे देश तथा राज्य की जनता को अवगत कराया जाए।

महोदय, अभी आपने कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति या बिहार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, इसकी चर्चा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बिहार एक था, 54 जिलों का बिहार था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख 79 हजार स्कवैयर वर्ग किलोमीटर का था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश था, लेकिन बिहार के बंटने के बाद जो हालात हुए कि पूरे एरिया का 46 प्रतिशत तो झारखण्ड राज्य में चला गया। जिसमें 18 जिले, पूरी खनिज सम्पदा, पूरा फॉरेस्ट, लेकिन जनसंख्या केवल डेढ़ करोड़। दूसरी तरफ बिहार में 38 जिले, 54 प्रतिशत एरिया, लगभग साढ़े नौ करोड़ जनसंख्या और जो एरिया है, उसमें से 70 प्रतिशत फ्लड प्रोन एरिया है। 13 बड़ी-बड़ी नदियां, जिनकी साथियों ने चर्चा भी की। 30 प्रतिशत बचे हुए क्षेत्रफल में से 27 प्रतिशत ड्रॉट प्रोन एरिया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसके अलावा राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति राजस्व मात्र 536 रुपए है, जबकि देश के अन्य राज्यों का प्रति व्यक्ति औसत राजस्व 2856 रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि राज्य के पूरे राजस्व को मात्र विकास कार्यों में खर्च कर दिया जाए तब भी अन्य राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति 1700 रूपए की कमी होगी। इससे यह पता चलता है कि राज्य का संसाधन आधार यानि रिसोर्स बेस कितना कम है और इन्हीं कारणों से हमें केन्द्र सरकार की मदद की आवश्यकता है।

महोदय, दूसरा बिन्दु है कि बिहार को एक और प्रकार के भेदभाव को झेलना पड़ता है। अन्य राज्यों को बैंकों के माध्यम से कृषि, औद्योगिक विकास के लिए जो सब्सीडाइज्ड ऋण दिया जाता है, उसमें बिहार का हिस्सा बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के लोगों का पैसा जो बैंक में जमा होता है, वह दूसरे राज्यों के विकास में खर्च होता है।

महोदय, तीसरा बिन्दु यह है कि केन्द्र सरकार की स्पेशल इकॉनॉमिक जोन की नीति से भी राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। इससे उन राज्यों को ज्यादा फायदा हो रहा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही विकसित है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में स्थापित नहीं किए जाते हैं, इन क्षेत्रों को जो कर राहत केन्द्र सरकार की ओर से दी जाती है उससे बाकी राज्यों के हिस्से में आने वाले कर राजस्व में कमी आती है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे विधेयक को सदन में सभी पक्षों का समर्थन मिला है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज के बिहार राज्य को बिना विशेष आर्थिक सहायता दिए हुए उसका विकास संभव नहीं है। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति आज काफी बेहतर है। राज्य में सड़कों की स्थिति भी काफी अच्छी हुई है। लेकिन आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब केन्द्र सरकार उसे विशेष आर्थिक सहायता दे।

महोदय, अभी-अभी वर्ष 2000 में तीन प्रदेश बंटे- बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। उसकी भी हालत बहुत अच्छी है। इसके पहले भी वर्ष 1953 में मद्रास बंटा, आंध्र प्रदेश बना। वहां भी काफी अच्छा विकास हो रहा है। बराबरी का बंटवारा हुआ। वर्ष 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेश बने। वे बराबरी में बंटे। आज देखिए, उन तीनों प्रदेशों की क्या स्थिति है? वर्ष 1966 में पंजाब से हरियाणा बना। फिर पंजाब से हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश को भी आपने स्पेशल स्टेटस दिया। वर्ष 1969 में आसाम से मेघालय और उधर जो सेवेन सिस्टर्स स्टेट्स हैं- मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। उनको भी आपने बांटा, इन्हें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया। लेकिन वर्ष 2000 में जो बिहार बंटा और बंटने के बाद जो जमीन मिली और जो हालात हैं, इसकी कमर टूट गयी है। आप इसको गंभीरता से लें।

महोदय, इसलिए मैंने अपने विधेयक में राज्य को वित्त आयोग द्वारा दिए गए वार्षिक आवंटन और ऐसी अन्य वित्तीय सहायता जो भारत सरकार द्वारा इस राज्य को प्रदान की जाती है, के अतिरिक्त अनुदान

के रूप में एकमुश्त 90000 करोड़ रूपए और अतिरिक्त 30000 करोड़ रूपए प्रति वर्ष बिहार राज्य के समग्र विकास के लिए आवंटित किए जाने की मांग रखी है। आपने चर्चा की कि इस फंड से, उस फंड से, विभिन्न फंडों से राज्यों को जो मिलता है, वह तो आपको देना ही है। इसके अतिरिक्त अनुदान के रूप में अलग से एकमुश्त पैकेज की बात मैंने की है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वे सदन को आश्वासन दें कि राज्य को यथाशीघ्र आर्थिक विकास सहायता दी जाएगी।

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Sir, I appreciate the concern expressed by the hon. Member. I have replied to most of the queries that he has raised but I would like to tell one or two things.

As I mentioned in my reply, an Inter-Ministerial group would be constituted by the Planning Commission. Everything will be discussed and the hon. Member will be able to represent to it but finally the National Development Council will need to endorse the recommendations.

Shri Yadav has raised the issue of C.D. Ratio. Since I am dealing with the banks, I agree with him that C.D. Ratio in Bihar is one of the lowest. There are many other States also. But, as you know, the financial inclusion programme is going on. We are expanding the network of the banking facilities. Our banks would be able to give more and more loans to the entrepreneurs so that more money can be utilized in the States. Similarly, I have mentioned that several schemes are there, and funds are being sent but they should be utilized timely and fully.

Sir, I appreciate the views expressed by several Members about the history, religion, heritage and the role of the people of Bihar in the development of the nation. We cannot think India without Bihar. We understand that. I can assure you that your concerns will be looked into. I have noted them, and we will see to it that Bihar, along with other States, should get more funds under various schemes. As you know, several schemes are going on.

Shri Mahtab raised about the BRGF funds. The BRGF funds are going to Bihar more than any other States. It is better to utilize these funds for better schemes.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सी.डी. रेश्यो को नेशनल एवरेज़ तक लाने का काम आपके हाथ में है।

श्री नमोनारायन मीणा: पहले आपके यहां करेंगे, आपका भी तो कम है।

Along with the Finance Minister, I went to Bihar and discussed the issue with all the Chief Ministers of the Eastern States including Bihar. We had a meeting in Patna. This issue was again raised by the hon. Chief Minister of Bihar, and the Finance Minister asked the bank CMDs to look into this matter. We want to improve the C.D. Ratio of the backward States.

With these remarks, I would against request the hon. Member to withdraw the Bill.

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र): आपने एश्योरेंस दिया है न, आपका आश्वासन है न?

श्री नमोनारायन मीणा : आपके लिए पूरा बन रहा है।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव : मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर फिलहाल इस बिल को वापस लेता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है::

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. रंजन प्रसाद यादव : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

17.56 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2010
(Amendment of the Eighth Schedule)

MR. CHAIRMAN : Now, the House shall take up Item No. 31 – Shri Satpal Maharaj.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मैं गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उत्तराखण्ड की प्राचीन भाषा वैदिकी थी। ऋषि-मुनियों ने इसी वैदिकी में संहिताएं लिखी हैं। लगभग 500 ई.पू. में पाणिनी ने इसका संस्कार किया और इसे व्याकरण के नियमों में बांधा। इसे वैदिक संस्कृति कहा गया। इसी वैदिक संस्कृत में ब्राह्म्णग्रन्थों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। महर्षि पाणिनी ने इसी को भाष्य या भाषा कहा। आगे चलकर वैदिक संस्कृत ने ही प्राकृत भाषा का रूप ले लिया। इसका प्रयोग कालिदास ने अपने नाटकों में किया। 500 ई.पू. से 1000 ई. तक की अवधि में इस प्राकृत के तीन रूप पाये जाते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा पालि कहलाई। बौद्ध शिलालेखों में इसका प्रयोग हुआ। पालि के बिगड़े हुए स्वरूप को द्वितीय प्राकृत कहा गया। इस भाषा के अनेक रूप बने, जैसे शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, कैकय, खस आदि। ये ही भाषाएं साहित्य की भाषाएं बनीं। कालक्रमानुसार इन भाषाओं के रूप बिगड़े, जिन्हें अपभ्रष्ट या अपभ्रंश कहा जाने लगा। शौरसेनी के अपभ्रंश से शौरसेनी प्राकृत निकली। इसी शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती एवं मध्यवर्ती पहाड़ी समूह की भाषाएं उत्पन्न हुईं। इसी समूह में गढ़वाली एवं कुमाऊंनी भाषाओं की उत्पत्ति हुई और यह इन भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं के साथ-साथ पूर्वी पहाड़ी भाषा के रूप में नेपाली एवं पश्चिमी पहाड़ी के रूप में हिमांचली भाषा का जन्म हुआ। लौकिक संस्कृत-पाली प्राकृत अपभ्रंश (शौरसेनी) गढ़वाली के क्रम में गढ़वाली भाषा का विकास हुआ।

महाराजा अजयपाल ने छोटे-मोटे रजवाड़ों को जीतकर के, 52 गढ़ों को जीत करके गढ़वाल राज्य को स्थापित किया और उस राज्य के अन्दर गढ़वाली भाषा बोली जाने लगी। यह देवभाषा है। वह हिमालय पर्वत, जिसको भारत का उच्च-भाल कहा जाता है, जो भारत का मस्तक है, जहां पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम जहां पर विराजमान हैं, इस भाषा का घर है। जहां पर पंच-बद्री, पंच-केदार, पंच-प्रयाग विराजमान हैं, 33 करोड़ देवी-देवता जहां पर रहते हैं, उस उत्तराखंड में उनकी भाषा गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा है।

उसके अन्दर ढोलसागर के जरिये अनेक जागर लगाये जाते हैं। ढोलसागर के बारे में श्री प्रीतम भरतवाण के अनुसार पुराणों के अनुसार स्वर और नाद का ज्ञान भगवान शिव ने रूद्र रूप में देवऋषि नारद को इसी देवभूमि में दिया था। ढोलसागर में गुनीजन दास नाम औजी का बार-बार सम्बोधन होता है, जिसमें स्वर, ताल, लय, गमक का विस्तारपूर्वक संवाद होता है तथा गुरू खेगदास का सम्बोधन आह्वान मंत्रोच्चारण में होता है।

नाट्यशास्त्रों में यह माना जाता है कि नृत्यों से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए जागरों में भी अभीष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के निवारण के लिए देवता नाचने की प्रथा है। इस प्रकार जागरों में ढोल दमौं, हुड़का, ढौंर, थाली वाद्य-यंत्रों का विशेष महत्व है। ढोल दमौं, हुड़का आदि वाद्यों के साथ जब जागर गायन होता है, देवता आकाश से आशीष देने लगते हैं और गन्धर्व पुष्प बरसाते हैं। ऐसा ढोलसागर में लिखा है।

आज भी हमारे उत्तराखंड में जागरों की परंपरा है। जब जागर गाए जाते हैं, तब देवता प्रत्यक्ष हो जाते हैं और मानवों के साथ संवाद करते हैं। ऐसी गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा को हम देवभाषा कहेंगे और यह मांग करेंगे कि इसे आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाए।

सभापति महोदय : आपका भाषण जारी रहेगा। कृपया अब आसन ग्रहण करें।

18.00 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA [*]

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 19th August, 2011."

I also lay on the Table the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2011, as passed by Rajya Sabha on the 19th August, 2011.

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही 23 अगस्त, 2011 के पूर्वान्ह 11.00 तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August, 23, 2011/Bhadrapada 1, 1933 (Saka).

---

[*] Laid on the Table